लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 40—सोमवार 19 अप्रैल, 1965/29 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
902	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अंशदान	3751—53
903	पाकिस्तान–अधिकृत काश्मीर में सांवैधानिक परिवर्तन	3753–56
904	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का सारिणी सम्बन्धी कार्य	3756–57
905	बीमाकृत लिफाफों का खोया जाना	3757–58
906	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	3758—61
907	खनिकों के लिये जूते	3762—67
908	वामपंथी साम्यवादियों का पीकिंग के साथ सम्बन्ध	3768—72

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
909	रूस से प्रसारण यंत्र	3772
910	सिक्किम के महाराजा	3772–73
911	फिल्म सैन्सर बोर्ड	3773
914	नागा शान्ति वार्ता	3773–74
915	श्री अफजल बेग का पारपत्र के लिये आवेदन-पत्र	3774
916	नेपाल में चीन के विदेश मंत्री का वक्तव्य	3774–75
917	वियतनाम में गैस का प्रयोग	3775
918	वियतनाम में शान्ति के सम्बन्ध में ब्रिटेन की कार्यवाही	3776
919	बांडुंग सम्मेलन की वर्षगांठ	3776
920	वियतनाम के बारे में संयुक्त अपील	3777
921	निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक	3777
922	कूच बिहार क्षेत्र में युद्ध विराम	3778
923	पाकिस्तान में भारतीय संवाददाता	3779

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 40—Monday, April 19, 1965/Chaitra 29, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
902	Contributions to N.D.F.	3751—53
903	Constitutional Changes in Pak Occupied Kashmir	3753—56
904	National Sample Survey Tabulation Work	3756-57
905	Loss of Insured Covers	3757-58
906	Ministry of Community Development and Co-operation	3758—61
907	Supply of Shoes to Miners	3762—67
908	Left Communists' Link with Peking	3768—72

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
909	Transmitters from U.S.S.R.	3772
910	Maharaja of Sikkim	3772-73
911	Board of Pilm Censors	3773
914	Naga Peace Talks	3773-74
915	Passport Application of Shri Afzal Beg	3774
916	Chinese Foreign Minister's statement in Nepal	3774-75
917	Use of Gas in Vietnam	3775
918	British move on peace in Vietnam	3776
919	Anniversary of Bandung Conference	3776
920	Joint Appeal on Vietnam	3777
921	Meeting of Disarmament Commission	3777
922	Cease-fire in Cooch Behar Area	3778
923	Indian Correspondents in Pakistan	3779

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
2314	राजस्थान डाकखानों में जमा की गई राशि	3779
2315	उत्तर प्रदेश में बेरोजगार व्यक्ति	3779–80
2316	ठेके पर काम करने वाले मजदूर	3780
2317	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में समितियां	3781
2318	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	3781
2319	टेलीफोन केन्द्र	3781
2320	बेतार केन्द्र	3782
2321	आयुध कारखानों में कार्य-भार	3782–83
2322	ऊंचे शिखरों पर लैम्प-दल	3783–84
2323	आकाशवाणी के अफसरों द्वारा साहित्यिक उपनामों से लेख	3784
2324	आर्मी आर्डनेन्स कोर	3784–85
2325	आर्मी आर्डनेन्स कोर में वेतनक्रम	3785
2326	महासचिव के पद की समाप्ति	3785
2327	केरल में आयुध कारखाना	3786
2328	प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें	3786
2329	संसद् में नेफा का प्रतिनिधित्व	3786
2330	पालम के ऊपर अज्ञात विमान	3786–87
2331	प्रतिद्वन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये चीन का प्रयास	3788
2332	भारतीय रेडियो प्रसारणों का सुना जाना	3788
2333	श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी	3788
2334	भारतीय विदेश सेवा के लिये परीक्षा	3788–89
2435	भारतीय फिल्म संस्था	3789
2336	वियतनाम में स्थिति के सम्बन्ध में बेलग्रेड में सम्मेलन	3790
2337	मुठभेड़ में मारे गये पाकिस्तानी अतिक्रमी	3790
2338	सैनिक फार्मों में दूध का मूल्य	3790–91
2339	आर्मी जनरल के लिये आवास	3792
2340	सैनिक कैन्टीनों में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनक्रम	3792
2341	हण्टर विमान की खरीद	3792–93
2342	छिपे नागा नेताओं के पत्र	3793
2343	भारतीय विदेश सेवा अधिकारी	3793–94
2344	पश्चिमी जर्मनी में अरब लीग का दृष्टिकोण	3794

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2314	Deposits in Rajasthan Post Offices	3779
2315	Unemployed persons in U.P.	3779–80
2316	Contract Labour	3780
2317	Committees in I & B Ministry	3781
2318	Public Call Offices	3781
2319	Telephone Exchanges	3781
2320	Wireless Stations	3782
2321	Work load in Ordnance Factories	3782–83
2322	Armed Forces at High Altitudes	3783–84
2323	Articles by A.I.R. Officers under Pen-Names	3783
2324	Army Ordnance Corps	3784–85
2325	Grades of Pay in Army Ordnance Corps	3785
2326	Abolition of Secretary General's Post	3785
2327	Ordnance Factory in Kerala	3786
2328	Defence Training Institutions	3786
2329	Representation of NEFA in Parliament	3786
2330	Unidentified Plans over Palam	3786–87
2331	China's move for Rival U.N.O.	3788
2332	Audibility of Indian Broadcasts	3788
2333	Real Wages of the working class	3788
2334	Examination for I.F.S.	3788–89
2335	Film Institute of India	3789
2336	Conference in Belgrade on situation in Vietnam	3790
2337	Pakistani intruders killed in encounters	3790
2338	Price of Milk in Military Farms	3790–91
2339	Accommodation for Army General.	3792
2340	Minimum Scales of the staff in Military Canteens	3792
2341	Purchase of Hunter Aircraft	3792–93
2342	Letter from Underground Naga Leaders	3793
2343	I.F.S. Officers	3793–94
2344	Arab Leagues' Stand on West Germany	3794

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
2345	केन्द्रीय सूचना सेवा . . .	3794–95
2346	पत्र सूचना कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट . . .	3795
2347	एशियाई-अफ्रीकी इस्लामिक सम्मेलन . .	3795–96
2348	संसद् सदस्यों को डायरियों का दिया जाना .	3796
2349	रूमानिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति की अन्त्येष्टि .	3796
2350	बहरीन में प्रदर्शन	3796–97
2351	स्वर्गीय ब्रिगेडियर होशियार सिंह के लिये पुरस्कार .	3797
2352	बीड़ी मजदूर	3797
2353	सुच्चा सिंह को लाने के लिये भारतीय वायु सेना का विमान	3798
2354	ल्हासा में भारतीयों की नजरबन्दी .	3798
2355	अरब लीग मिशन	3799
2356	लौह अयस्क कल्याण उपकर . .	3799
2357	आकाशवाणी का व्यय . . .	3800
2358	आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट . . .	3801
2359	प्रतिरक्षा विज्ञान में प्रशिक्षण . .	3801–02
2360	मैसूर में डाकघर	3802
2361	मैसूर में बेरोजगार व्यक्ति	3802
2362	उत्तर प्रदेश में तिब्बती लोगों का घुस जाना . .	3803
2363	"फलाइंग बाऊंटी" . . .	3803–04
2365	लंका मजदूर कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल . .	3804

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान से 300 नागा विद्रोहियों के प्रवेश के समाचार

श्री हुकम चन्द कछवाय 3805

डा० द० स० राजू 3805

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . 3807—12

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 3812

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 3812

दसवीं बठक की कार्यवाही का सारांश . . . 3812

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2345	Central Information Service	3794-95
2346	Hindi Typists in P.I.B.	3795
2347	Asia Africa Islamic Conference	3795–96
2348	Supply of diaries to M.Ps.	3796
2349	Funeral of late President of Rumania	3796
2350	Demonstrations in Bahrain	3796–97
2351	Award for Late Brigadier Hoshiar Singh	3797
2352	Bidi Workers	3797
2353	I.A.F. Plane to bring Sucha Singh	3798
2354	Detention of Indians in Lhasa	3798
2355	Arab League Mission	3799
2356	Iron Ore Welfare Cess	3799
2357	Expenditure on A.I.R.	3800
2358	Staff Artists in A.I.R.	3801
2359	Training in Defence Science	3801–02
2360	Post Offices in Mysore	3802
2361	Unemployed Persons in Mysore	3802
2362	Infiltration of Tibetans in U.P.	3803
2363	Flying Bounty	3803–04
2365	Delegation of Ceylon Workers Congress	3804

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Reported entry of 300 Naga hostiles from East Pakistan—

Hukam Chand Kachhavaiya 3805

Dr. D. S. Raju 3805

Question of Privilege . . . . 3807—12

Paper laid on the Table 3812

Committee on Government Assurances 3812

Minutes of Tenth Sitting 3812

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	3812
अनुदानों की मांगें	3814
परिवहन मंत्रालय	3814
श्री यशपाल सिंह	3814–15
श्रीमती शारदा मुकर्जी	3815––17
श्री लीलाधर कटकी	3817–18
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	3818––20
श्री मि० सू० मूर्ति	3820–21
श्री अचल सिंह	3821
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	3821–22
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	3822–23
श्री राज बहादुर	3823––31
स्वास्थ्य मंत्रालय	
श्री राम सिंह	3832–33
श्रीमती कन्नमवर	3833
महाराजकुमार विजय आनन्द	3833–34
श्री र० ना० रेड्डी	3834–39
डा० श्रीनिवासन	3840–41
डा० शि० कु० साहा	3841–42
श्री रामेश्वरानन्द	3842–43
डा० मेलकोटे	3844
श्री पू० शे० नास्कर	3845–48

Subject	PAGES
Business of the House	3812
Demands for Grants	3814
Ministry of Transport	3814
Shri Yashpal Singh	3814–15
Shrimati Sharda Mukerjee	3815—17
Shri Liladhar Kotoki	3817–18
Shri Surendranath Dwivedy	3818—20
Shri M. S. Murti	3820–21
Shri Achal Singh	3821
Shri Braj Bihari Mehrotra	3821–22
Shri Harish Chandra Mathur	3822–23
Shri Raj Bahadur	3823–31
Ministry of Health—	
Shri Ram Singh	3832–33
Shrimati Tai Kannamwar	3833
Maharajkumar Vijaya Ananda	3833–34
Shri R. N. Reddy	3834—39
Dr. P. Srinivasan	3840–41
Dr. S. K. Saha	3841–42
Shri Rameshwaranand	3842–43
Dr. Melkote	3844
Shri P. S. Naskar	3845—48

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 19 अप्रैल, 1965/29 चैत्र, 1887 (शक)

Monday, April 19, 1965/Chaitra 29, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Contributions to N.D.F.

***902. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 20 lakhs contributed to the National Defence Fund in Maharashtra have not been accounted for ; and

(b) if so, the action Government propose to take against the persons responsible for these irregularities ?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Shri Lalit Sen) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The inspection squad set up by the Citizens' Defcnce Committee (Maharashtra), Bombay with the approval of the State Government, to inspect the National Defence Fund Accounts of the various Citizens' Defence Committees in the entire State had noticed irregularities, discrepancies and procedural defects in the maintenance of accounts and crediting of the amount collected. These irregularities etc. related to an amount of Rs. 20·38 lakhs out of a total

collection of Rs. 9·72 crores and 2·35 lakh grammes of gold. Out of this amount also, a total amount of Rs. 19·23 lakhs has already been credited to the National Defence Fund. The remaining amount of about Rs. 1·15 lakhs is also expected to be cleared shortly. Most of the irregularities pointed out by the inspection squad are procedural and of a technical nature.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has been mentioned in the Statement that there had been certain irregularities. I want to know what sort of irregularities they were, and whether they were committed officially or by employees ?

Shri Lalit Sen : Regarding irregularities, I may say that these were procedural matters and the State Government is interrogating the persons concerned and suitable action will be taken against them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the time for which those persons will be penalised who were found guilty ?

Mr. Speaker : How can it be said now.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How they will be penalised and what will be the punishment ?

Mr. Speaker : According to crimes they will be punished.

श्री दाजी : शब्द 'अनियमितताएं' बहुत अस्पष्ट है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ धन बिना लेखे के पड़ा रहा अथवा जमा करने में विलम्ब हुआ या उसे अभी तक जमा ही नहीं कराया गया ।

श्री ललित सेन : जैसा विवरण में बताया गया है, कुल 9 करोड़ रुपये और कुछ लाख रुपये जो एकत्र हुए थे उनमें से लगभग 20.38 लाख रुपये का लेखा नियमित नहीं था । इस राशि में से भी 19.23 लाख रुपये पहले ही जमा करवा दिये गये थे, परन्तु 1.15 लाख रुपये की अनियमितताओं को ठीक नहीं किया जा सका था ।

Shri Yudhvir Singh : Apart from Maharashtra, whether complaints have been received from any other State Government regarding any irregularity in the money collected for N.D.F. ?

Shri Lalit Sen : From wherever such complaints are received, the State Governments are requested to look into them and inform us.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : महाराष्ट्र के अतिरिक्त और से किन-किन राज्यों से अनियमितताओं के बारे में शिकायतें सरकार को मिली हैं ?

श्री ललित सेन : मुझे खेद है कि मैं सभी राज्यों के नाम नहीं बता सकता हूं ।

Shri Gulshan : Whether any complaint has been received from Punjab also ?

Mr. Speaker : He is not able to tell that.

डा० मा० श्री० अणे : क्या सरकार जानती है कि नागपुर में बाढ़ सहायता के लिए इकट्ठे किए गए धन का कुछ भाग राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया गया है ?

श्री ललित सेन : ऐसे सभी मामले यदि वे अनियमितताओं के अधीन आते हैं तो इनकी भी राज्य सरकार जांच करेगी ।

Constitutional Changes in Pak-occupied Kashmir

+

*903. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the constitutional changes introduced by Pakistan in the Pak-occupied part of Kashmir have been brought to the notice of the U.N.O. ;

(b) if so, the reaction of the U.N.O. thereto ; and

(c) whether Government have tried to ascertain the nature of changes brought about in these areas ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) to (c) A copy of our protest to the Security Council is placed on the Table of the House. The Protest was circulated to all members of the United Nations as a U.N. document. **[Placed in Library, See No. LT—4203/65]**

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether in these protest-notes—one sent to Pakistan on 23-12-1964 and the other sent to the U.N. on 5-3-65, the Government has mentioned that Pakistan have brought many changes in Azad Kashmir Administration by passing an Act and that they have removed the flag of Azad Kashmir and instead Pakistan flag was hoisted on Government buildings. After such a serious action, whether Pakistan as well as the U.N O.have given any reply and whether Pakistan have brought any change in their activities ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक सुरक्षा परिषद् को भेजे गए विरोध पत्र का संबंध है, सामान्य रीति यह है कि इसे सदस्यों में बांटा जाता है । कोई उत्तर नहीं दिए जाते ।

Mr. Speaker : Whether any reply has been received from Pakistan ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

Shri Prakash Vir Shastri : In part (a) of the question I wanted to know what administrative changes have been brought about by Pakistan Government in the Azad Kashmir ? For example the hoisting of Pakistani Natioval flag in place of Azad Kashmir flag what other changes have been effected apart from that through which Pakistan has tried to make that territory as Pakistani ? Whether the Government have tried to collect information in this regard ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आज़ाद काश्मीर में होने वाले यहसभी अवैध कार्य जैसा माननीय सदस्य ने झंड आदि का वर्णन किया, स्तर आदि में परिवर्तन, यह सभी बातें सुरक्षा परिषद् को बता दी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह सब परिवर्तन किया है जो उन्होंने करने का यत्न किया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह परिवर्तन बहुत से हैं, जिनका संबंध आजाद काश्मीर सरकार के संविधान से है। झंडा संबंधी परिवर्तन तथा आजाद काश्मीर अधिनियम जिसके द्वारा इसे पाकिस्तान का ही एक अंग बता दिया गया है, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं ।

श्री शिकरे : यह तो वही बात हैं जिनका वर्णन श्री शास्त्री जी ने किया था। मंत्री महोदया हती हैं कि परिवर्तन बहुत से हुए हैं, अन्य परिवर्तन क्या हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इन सभी परिवर्तनों को विरोध पत्र में बताया गया है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार जानती है कि राष्ट्रपति अयूब खां ने शेख अब्दुल्ला को आजाद काश्मीर आने और वहां प्रवासी सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है और मित्र देशों से मान्यता प्राप्त करने को कहा है ? यदि हां, तो हमारी सरकार की इस नवीनतम स्थिति के प्रति क्या प्रक्रिया हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलग प्रश्न है ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु इसका उससे परस्पर संबंध है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंपा गया था तो उन्होंने एक आयोग की स्थापना की थी, जिस ने कहा था कि वह राज्य की उस सरकार की सर्वप्रभूता को स्वीकार करता है जिसका गठन कानूनी तौर पर भारत सरकार के अधीन किया गया है। जब स्थिति यह है तो क्यों हमारे प्रभुत्व का प्रश्न पुनः नहीं उठाया गया जब तथा कथित आजाद काश्मीर क्षेत्र को पाकिस्तान के एक अंग के तौर पर मान्यता देने की बात चल रहीं थी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं प्रश्न को समझ नहीं सकी हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान ने इसी का तो उल्लंघन किया है । सरकार ने इस पर विरोध प्रकट किया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : संयुक्त राष्ट्र को अब पुनः सूचित किया गया है परन्तु उन्होंने गत कितने ही वर्षो से राज्य की संवैधानिक सरकार को स्वीकार किया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र पर हमने अपना अधिकार जताने के लिये संयुक्त राष्ट्र को इस मामले की सूचना देने से पुर्व क्या कार्यवाही की है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सभा को ज्ञात है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र को 1947 में सौंपा गया था । इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते । इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का सैनिक अधिकार है । सुरक्षा परिषद् को सूचित करने के अतिरिक्त.....

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ सदस्य महोदय ने कहा है मेरी समझ में उनका अर्थ यह है कि यद्यपि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का गैर-कानूनी अधिकार है फिर भी उस भाग पर भारत का नाममात्र प्रभुत्व स्वीकार किया गया था ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने यह अधिकार जताने के लिये कुछ किया है ताकि वह बना रहे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : विरोध–पत्र भेजने के अतिरिक्त हमने अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री प्र० चं० बरुआ : काश्मीर विवाद के इतने अधिक काल तक बने रहने के कारण भारत तथा पाकिस्तान के संबंध इतने खराब हो गये हैं कि वह टूटना ही चाहते हैं और इससे पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर की भारत में मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही है । क्या सरकार का विचार भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध बन्दी रेखा को औपचारिक रूप से सुदृढ़ करने का है ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को वापिस लेने तथा उसको भारत में मिलाने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाएं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के अन्तर्गत इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

Shri D. N. Tiwary : Are the Government aware that in the recent elections in Pakistan, the people of Azad Kashmir were persuaded to caste their votes ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government are aware that Pakistan have never accepted any resolution of U.N.O. so far instead President Ayub Khan had said a few days back that they will accept only these decision of their own Supreme Court which will suit them? When U.N. observers are being shot at and it is difficult for them to save their lives and Pakistan refuses to accept any of their decisions, what will happen by sending these protest notes by the Government? What other steps are being taken by Government and what action has been taken in this regard?

Mr. Speaker : What more the hon. Member wants ? After sending protests only war remains after that. What other action is possible after sendng protests ?

श्री कपूर सिंह : क्या हमारे राष्ट्रीय निश्चय अभी भी जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों को वापस लेने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछे जाने योग्य नहीं है । अगला प्रश्न ।

श्री कपूर सिंह : यहां केवल यहीं प्रश्न है । बिल्कुल ठीक है (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : यदि केवल यही एक ठीक प्रश्न है तो मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker. Sir, with your permission I want to raise a point of order regarding Q. No. 903.

Mr. Speaker : Yes.

Shri Prakash Vir Shastri : My point is this, that when the Security Council had clearly declared regarding both the parts, in 1948 unless a settlement

is reached in respect of the area in the occupation of Pakistan, no legal change of any kind shall be made. Then why all these legal changes are being brought about and in spite of such a serious situation, whether the silence of the Government of India not indicative of weakness? If the Government do not take any decision in this regard.....

Mr. Speaker: As you have just said, you can understand that they feel weakness.

National Sample Survey Tabulation work.

*904. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that the National Sample Survey tabulation work has been entrusted to the Indian Statistical Institute, Calcutta;

(*b*) if so, since when and the terms and conditions under which this work was continued to be undertaken by the Institute after coming into force of the Indian Statistical Institute Act, 1959 with effect from the 1st April, 1960;

(*c*) the amount paid to the Institute so far (year-wise) for the work done; and

(*d*) whether Government have under consideration any proposal to appoint a Review Committee to evaluate the work done by the Institute, and if so, when?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Shri Lalit Sen): (*a*) to (*d*) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Since the inception of the National Sample Survey in 1950, the tabulation work relating to its surveys is done by the Indian Statistical Institute, Calcutta. Until 1958-59, the work was done by the Institute on a grant-in-aid basis. From 1959-60, the basis of payments was changed to one of contract. As the contract system did not work satisfactorily, the grant-in-aid system was readopted from 1st April, 1964.

2. The amounts paid by the Government to the Institute each year from 1958-59 onwards are as under:—

Year	Amount in lakhs
1958-59	50·31
1959-60	48·06
1960-61	53·60
1961-62	26·28
1962-63	57·00
1963-64	47·05
1964-65	81·23

The payments for 1961-62 to 1963-64 were supplemented by amounts made available to the Institute by the State Bank of India under an overdraft facility for Rs. 50 lakhs guaranteed by Government.

3. It has been decided to appoint a Committee under section 9 of the Indian Statistical Institute Act, 1959, to review and evaluate the work done by the Institute during the 5 years since that Act came into force on 1st April, 1960. The composition of the Committee is now under consideration and as soon as the question of the personnel of the Committee is settled and their acceptance obtained, the Committee will be appointed.

Shri Sidheshwar Prasad : It is clear from the statement placed on the Table of the House that either the Government did not put forth any conditions for the work entrusted to this Institute or those conditions had been often changed consequent to which the Government had to suffer loss and the work was also not done satisfactorily. Then why is the Government delaying the appointment of a committee to evaluate the work done by this Institute ?

Shri Lalit Sen : The decision has been taken and the committee will be appointed within two months.

Shri Sidheshwar Prasad : The Public Accounts Committee has made it unequivocally clear that the work done by this Institute is not at all satisfactory and the statistics provided to the Government by this Institute have often proved false. May I know whether the Government would allow this Institute to continue in these circumstances ?

Shri Lalit Sen : The committee that is going to be appointed would look into all these aspects.

Shri Vishram Prasad : While the Government could not produce 80 million tons of foodgrains, the statistics of the Institute show that 200 million tons of foodgrains have been produced. What action do the Government propose to take against such institutes which prepare false statistics. ?

Mr. Speaker : The question which arises here is that the work regarding Sample Survey should be entrusted to some other Committee.

श्री श्यामलाल सर्राफ : अनुभव से यह देखा गया है कि जो आंकड़े आजकल तैयार हो र हैं, विशेषकर विकास कार्यों के बारे में वह विश्वसनीय नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि जो नया संख्यकी संघटन बनाया जा रहा है वह इस प्रश्न की भी जांच करेगा ?

श्री ललित सेन : यह समिति निःसंदेह इस बात की जांच करेगी ।

Loss of Insured Covers

+
*905. { **Shri D. N. Tiwary :**
{ **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that hundreds of valuable articles such as insured covers disappeared from the Safdarjang Airport Sorting Office recently ;

(*b*) if so, the particulars thereof and the value of the missing articles ; and

(*c*) the action taken in the matter ?

693(Ai) LS—2.

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (*a*) Loss of 332 registered letters & 103 insured articles has come to notice.

(*b*) Registered bags containing these articles were done away with and a nil Registered list despatched to the office of destination. Information received about 89 insured articles places the loss so far known at Rs. 54,447/-.

(*c*) The case is under departmental and police investigation. One official of Delhi Air Sorting Office has been arrested by the police.

Shri D. N. Tiwary : May I know what steps have been taken to fix the departmental responsibility?

श्री भगवती : विभागीय कार्यवाही चल रही है और लगभग 100 कर्मचारियों से पूछ-ताछ की गई है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या गायब हुई वस्तुओं के मालिकों ने अपने दावे प्रस्तुत कर दिये हैं अथवा नहीं, और यदि उन्होंने अपने दावे भेज दिये हैं तो उनका ध्यान वापस देने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्री भगवती : हमने देश के भिन्न-भिन्न भागों में डाक अधीक्षकों को यह कहा है कि वे भेजने वालों को सूचित करें कि ये वस्तुयें खो गई हैं और अब वे इनके संबंध में विवरण भेजेंगे और इनकी प्राप्ति की पश्चात् ही आगे की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the person who has been arrested is an employee of the same Post Office or whether some foreigner has also been arrested in this connection?

श्री भगवती : इन सभी मामलों की जाच हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी तो अवश्य दी जानी चाहिये कि क्या वह डाक विभाग का कर्मचारी था अथवा नहीं ।

श्री भगवती : जी, हां । वह डाक विभाग का ही एक कर्मचारी है । यह पहले ही बता दिया गया है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

*906. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का भावी कार्य, विषय और आकार निश्चित करने के लिये कोई समिति बनाई थी;

(ख) यह समिति बनाने के क्या कारण थे ; और

(ग) समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि मंत्री ने श्री वी० शंकर से, जो पहले खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में सचिव थे, अनुरोध किया था कि वे खाद्य तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालयों के कार्यों में सक्रिय समन्वय की समस्या का अध्ययन करें। मेरे कहने पर मन्त्रिमण्डल की एक समिति ने श्री शंकर की रिपोर्ट पर विचार किया।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4204/65]**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पहले भी कई बार इस प्रश्न पर विचार किया गया है और श्री राव द्वारा भी ऐसा ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इस मन्त्रालय की आवश्यकता नहीं है और हमने कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे। मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं इस पर विचार किया है ? सामदायिक विकास मंत्रालय के कार्य के बारे में उनका अपना क्या दृष्टिकोण हैं तथा पंचायती राज संस्था और सामुदायिक विकास में उन्हें कितना विश्वास है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का प्रश्न है, हम उन्हें बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामुदायिक विकास मंत्रालय को इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिये; इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया उन पर होनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वर्तमान खाद्य तथा कृषि मंत्री का यह अनुभव है और उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि जब तक सामुदायिक विकास मंत्रालय को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का भाग नहीं बनाया जाता और जहां तक खाद्यान्न के लाने ले जाने का सम्बन्ध है जब तक राज्य सरकारों को उनके नियन्त्रणाधीन नहीं रखा जाता वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते। ये दोनों प्रार्थनायें स्वीकार नहीं की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में माननीय प्रधान मंत्री यह आशा करते हैं कि खाद्य तथा कृषि मंत्री ठीक प्रकार काय कर सकेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : निस्संदेह, वह इस बारे में सोच रहे होंगे, परन्तु औपचारिक रूप से उन्होंने कभी यह प्रस्ताव नहीं रखा कि सामुदायिक विकास कार्य तथा पंचायती राज कार्य, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आ जाये। परन्तु उन्होंने यह सुझाव अवश्य दिया था कि यदि सहकारी समितियों का कार्य सीधे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आ जाये तो अच्छा हो। फिर भी श्री शंकर के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद हमने यह अनुभव किया कि सहकारी समिति का कार्य सामुदायिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ही रहना चाहिये।

Shri Kapur Singh : May I know how long this joint responsibility will continue. Because of this, neither of the Ministries realise its responsibility.

Shri Lal Bhadur Shastri : Both the Ministries know their responsibilities and they try to fulfil them.

श्री कपूर सिंह : माननीय प्रधान मंत्री ने हमें बताया कि इस मंत्रालय के कुछ कार्यों को बांटने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में इस मंत्रालय को या तो विलय द्वारा या किसी अन्य प्रकार, सर्वथा समाप्त करने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनकी एसी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने यह कहा है।

श्री कपूर सिंह : मैंने उन्हें ऐसा करने का सुझाव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय ।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether the Government have accepted the report of Shankar Committee, fully or partly which was appointed to determine the future course, subjects and scope of the ministry of Community Development and Cooperation, and the recommendations of that committee which Government did not accept?

Shri Lal Bahadur Shastri: This Committee was not appointed by the Government. The Food Minister entrusted this works to Shri Shankar. Because his recommendations were of important nature, those were passed on to me and I asked the Sub-committee to consider them. We did not accept their recommendation regarding co-operation but we accepted the recommendation in connection with agricultural production board etc.

श्री हेम बरुआ : श्रीमान् एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि यह समिति सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गई थी परन्तु इसे खाद्य तथा कृषि मंत्री ने नियुक्त किया था। क्या इससे हम यह समझें कि खाद्य तथा कृषि मंत्री सरकार का भाग नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सारी बात स्पष्ट की है । आरम्भ में इस प्रकार ही किया गया था ; फिर प्रधान मंत्री ने यह कार्य स्वयं ले लिया और एक समिति नियुक्त की। उन्होंने बताया है कि इसे कसे आरम्भ किया गया। खाद्य तथा कृषि मंत्री भी सरकार का भाग है। यह सरकार से भिन्न नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: The officers of the Ministries of Food and Agriculture as well as of Community Development remained isolated and this had an adverse affect on agricultural production, which we had to face a bad situation last year.

May I know whether it is a fact that these two ministries are not being merged because of some political considerations ? If so, when will the hon. Prime Minister remove the political difficulties and merge those ministries and thus help increase the agricultural production ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रधान मंत्री यह बात जानते हैं कि जहां तक वर्तमान ढांचे का सम्बन्ध है, सामुदायिक विकास और कृषि विभाग एक जैसा ही काम कर रहे हैं और उनमें कोई समन्वय नहीं है जिसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि उत्पादन में बाधा पड़ रही है। यदि यह ठीक है तो क्या वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यह दोनों मंत्रालय समन्वित होकर किस प्रकार काम करें ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवाद कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है जिसके कारण कृषि उत्पादन में बाधा पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कृषि उत्पादन बोर्ड की विशेष समिति काम कर रही है और यह निर्णय किया गया है कि उसे सक्रिय बनाया जाये । यह भी निर्णय किया गया है कि खाद्य

तथा कृषि मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, सामुदायिक विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे और कुछ अन्य लोग भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यह भी निर्णय किया गया है कि इस बोर्ड के लिए एक विशेष सचिव की नियुक्ति की जाये ताकि उचित समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्विति हो सके।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के मामले में सामुदायिक विकास मंत्रालय की असफलता पर प्रधान मंत्री ने असन्तोष प्रकट किया है ? यदि हां, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं यह नहीं कहता कि मैंने असन्तोष प्रकट किया था परन्तु मैंने यह अवश्य कहा था कि सामुदायिक विकास खण्डों को कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैंने यह कहा था कि अन्य कामों के साथ साथ उन्हें इस काम को सबसे अधिक महत्व देना होगा। मेरा विचार है कि हमने जो उपाय किये हैं और जो उपाय करने का हमारा विचार है, उनके परिणाम इच्छा के अनुसार निकले हैं।

Shri Sarjoo Pandey: It has been stated in the statement that the responsibility to carry on the Cooperative movement was mainly on the Central Government. There are different laws regarding Co-operation in the different states. Are the Government considering a scheme to bring uniformity in the Co-operative movement ?

Shri Lal Bahadur Shastri: I cannot say in this regard but it is a fact that the condition of co-operatives is different in different states and they have framed rules accordingly. I think that work in some states has been very satisfactory while in some other states it has lagged behind but I do not think that it is only due to rules or laws.

Shri Lehri Singh: Sincethe farmers in this country have small holdings and agricultural development is not possible without co-operation, why has the Prime Minister not accepted the report to bring co-operation under the Ministry of Agriculture?

Mr. Speaker: That is an argument.

Shri Lehri Singh: The Committee said that this thing should and the Prime Minister has not acceded to it. I want to know what are the reasons for this decision ?

Mr. Speaker: How can all those reasons, be explained now.

Shri Rameshwaranad: Our Government thinks that production of food-grains can be increased by forming co-operative societies and food problem of the country can be solved. Cooperative farming and Governmental farming is being carried on in Russia but their food problem has not been solved. What is wrong with the Government that they are carrying on the work of Co-operative farming ?

Mr. Speaker: Shri Chaturvedi.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस बात का क्या लाभ है कि दो विभाग एक ही प्रकार का कार्य करे और फिर उनके काम के एकीकरण के लिए समन्वय बोर्ड स्थापित किया जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: प्रत्येक मंत्रालय में काम बहुत अधिक है और यदि विभिन्न विभाग हों तो उससे कार्यकुशलता बढ़ती है और अधिक प्रभावी रूप से काम होता है। मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दोनों विभाग या मंत्रालय खाद्य तथा कृषि मंत्री के अधीन हैं।

खनिकों के लिये जूते

+

*907. श्री किशन पटनायक :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बूटासिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 14 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसर्स रूबी इन्डस्ट्रीज द्वारा दिया गया टेंडर सब से कम था, यदि हां, तो किस फर्म ने अगला ऊंचे मूल्य का टेंडर दिया था और उसने क्या दर बताई थी ;

(ख) क्या करार करने से पहले रूबी इन्डस्ट्रीज़ के अनुभव व क्षमता के बारे में उचित जांच कर ली गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि करार करने तथा टेंडर मंजूर करने से पहले ही आर्डर दिये गये थे ;

(घ) क्या मूल्य बढ़ाते समय नये टेंडर मांगे गये थे और क्या मूल मूल्य पर दिये गये आर्डरों के लिए भी बढ़ा हुआ मूल्य लागू किया गया था ; और

(ङ) क्या मूल्य जूतों की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें मिलने के बाद भी बढ़ाये गये थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मैसर्स रूबी इन्डस्ट्रीज़ द्वारा दिया गया टेंडर सब से कम था। अगले ऊंचे मूल्य के टेंडर के बारे में सूचना सभा की मेज पर रखे गए विवरण में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 4205/65]

(ख) सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक से की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि मैसर्स रूबी इन्डस्ट्रीज़ सरकार को इस प्रकार का माल, सप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड चन्द फर्मों में से एक है ।

(ग) कोयला पंचाट (कोल अवार्ड) के अनुसार खनिकों को जूतों की सप्लाई कोलियरी कम्पनियों द्वारा की जानी थी। अतः कुछ कोलियरियों द्वारा मैसर्स रूबी इन्डस्ट्रीज़ से करार करने से पहले ही आर्डर दे दिए गए होंगे, परन्तु संयुक्त क्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा वास्तव में टेंडर स्वीकार किये जाने से पहले कोई सप्लाई नहीं की गई।

(घ) जी नहीं । मूल्य विवाचन पंचाट के अनुसार बढ़ाए गए पंचाट के अनुसार 1-9-1962 को या उसके बाद की गई सप्लाई के बारे में बढ़े हुए मूल्य देने थे ।

(ङ) कुछ शिकायतों की जांच की गई। टेंडर की तारीख और संयुक्त क्रय समिति द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच की एक साल की अवधि में कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई।

Shri Kishan Pattnayak: It appears from this statement that the rates quoted by other Companies were not much higher than those of Ruby Industries but when the rates were increased, in revision all the rates of Ruby Industries equalled orbecame higher. May I know how far is it just that while accepting the tenders lowest tenders were accepted but later on they were revised in such a manner that the rates became higher that those of other tenders, and no tenders were called for the increased rates.

श्री संजीवय्या : जैसा कि मैंने पहले कहा है टेंडर मंगवाने के समय रूबी इण्जस्ट्रीज़ का टैंडर न्यूनतम था। करार होने के बाद रूबी इन्डस्ट्रीज ने यह सिद्ध कर दिया कि इस दौरान में कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया है। इसलिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया और उसका निर्णय क्रियान्वित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कितना समय लगा।

श्री संजीवय्या : लगभग एक वर्ष।

Shri Kishan Pattnayak: In view of the fact that this matter involved Crores of rupees, Ruby Industries got benefit of lakhs of rupees out of this transaction, labourers could not get the shoes, many complaints were made regarding the shoes that were supplied and the implementation of the award after this scandel has been suspended, will the minister appoint a judicial or high-powered Commission to enquire into this scandel.

श्री संजीवय्या : इसमें सन्देह नहीं कि रूबी इंडस्ट्रीज को मध्यस्थ निर्णय के कारण उससे कुछ अधिक मिला जितना कि उसे पहले करार के अनुसार मिलता। एक शिकायत यह थी कि रबड़ के तल्ले घटिया किस्म के हैं। बाद में, कम्पनी इसके स्थान पर चमड़े का तल्ला लगाने के लिये मान गई। जूतों की किस्म के बारे में दूसरी शिकायत निर्माता के कहने पर प्रतिरक्षा मंत्रालय के मुख्य वस्त्र निरीक्षक के पास भेजी गई। मुख्य निरीक्षक ने कहा है कि माल तथा जूते बताये गये नमूने के अनुसार हैं।

Shri Yashpal Singh: Has the joint Purchase Committee been wound up or does it still exist? If it has been wound up who is making purchase and selling them?

श्री संजीवय्या : ज्वायंट परचेज़ कमेटी उसी समय नियुक्त की गई थी। यह एक त्रिपक्षीय निकाय है।

Shri Gauri Shankar Kakkar: May I know whether it is a fact that Government officers were asked to collect orders as agent, and those officers had objected to it on the ground that it was against their dignity?

श्री संजीवय्या : मैं नहीं जानता कि क्या अफसरों ने इस काम में हस्तक्षेप किया था या नहीं। मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: When were the tenders for shoes called for and in which newspapers were they advertised? On which date did the ministry receive the first order and were any orders received before the agreement?

श्री संजीवय्या : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है कि क्या आर्डर समझौते से पहले दिए गए थे। टैंडर 30-11-60 को मांगे गये थे और पुनर्गठित सलाहकार समिति ने इस सम्बन्ध में निर्णय 27-3-61 को किया था और समझौता 28-11-61 को हुआ था।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: My question was about the newspapers in which the advertisement appeared has not been answered.

श्री संजीवय्या : मैं यह नहीं बता सकता कि विज्ञापन किस प्रकार किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि रूबी इण्डस्ट्रीज़ का टैंडर न्यूनतम था। बाद में, उन्होंने मूल्यों में परिवर्तन के लिए कहा। क्या उस समय नये टैंडर मांगे गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि मंत्रालय, बल्कि उस समय के मंत्री, रूबी इण्डस्ट्रीज़ को लाभ पहुंचाने के इतने इच्छुक थे कि उन्होंने क्रय के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जिन्हें श्रम विधियों का कोई ज्ञान नहीं था और जो काम दिलाऊ दफ्तर का सेवानिवृत्त निदेशक था और अधिकारियों को कम्पनी के आर्डर फार्म लेकर आर्डर लेने के लिए कहा गया था जिस पर कई अधिकारियों ने आपत्ति की थी क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता था?

श्री संजीवय्या : रूबी इण्डस्ट्रीज़ का टैंडर न्यूनतम था। यह टैंडर स्वीकार किया गया और ज्वायंट परचेज़ कमेटी ने रूबी इण्डस्ट्रीज़ के साथ एक समझौता किया था। जब समझौता हो चुका था और वे दरों में तबदीली चाहते थे तो नये टैंडर मंगवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (**अन्तर्बाधायें**) एक मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया था और उसका निर्णय स्वीकार कर लिया गया था ..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री रंगा : उनका उत्तर पहले दिये गये उत्तर के अनुसार होना चाहिये। यदि आप रिकार्ड देखें—उनके अपने हाथ से लिखा हुआ है—उन्होने पहले कहा था कि समझौता करते समय परिवर्तन किया गया था। अब वह कह रहे हैं कि समझौता करने के पश्चात् .....

श्री संजीवय्या : टैंडर मांगे गये थे। रूबी इण्डस्ट्रीज़ के टैंडर न्यूनतम थे। इसे स्वीकार कर लिया गया और उनके साथ समझौता हो गया था। समझौते के बाद उन्होंने कहा कि कच्चे माल के मूल्य बढ़ गये हैं और अधिक मूल्य दिया जाना चाहिये। इसलिए, एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया और उसका निर्णय स्वीकार कर लिया गया।

मेरे माननीय मित्र, श्री बनर्जी द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न के बारे में मैं नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया मेरी बात सुनी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर किसी प्रकार की चर्चा हो तो और बात है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या यह सच हैं कि काम दिलाऊ दफ्तर के भूतपूर्व निदेशक को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था और उन्हें इस समवाय के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए कहा गया था क्योंकि भूतपूर्व श्रम मंत्री तथा इस मंत्रालय के सभी लोग इसमें दिलचस्पी रखते थे ।

श्री संजीवय्या: मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं इस प्रश्न के बारे में कि क्या आर्डर प्राप्त करने के लिए इस विभाग के किसी अफसर या अफसरों ने हस्तक्षेप किया था, मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता । मैं जांच करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही यह कहा था ।

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether it is a fact that the agreement worth crores of rupees with Ruby Industries was prepared by the then minister, Shri Nanda, a secretary of the ministry and the owner of the Company, Shri Bhowmik and Shri Nanda took so much interest in the matter because of the friendship of Shri Bhowmik with his astrologer, Shri Balivans ? This thing is proved by a letter of Ruby Industries.

श्री संजीवय्या : मैं नहीं जानता कि किसको दिलचस्पी थी परन्तु जैसा कि फाइलों तथा अन्य पत्रों से पता लगता है, समझौता ज्वायंट परचेज़ कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और यह समझौता ज्वायंट परचेज़ कमेटी तथा रूबी इण्डस्ट्रीज़ के बीच हुआ था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : समझौता जूतों की निश्चित संख्या तथा निश्चित समय के लिए ही हुआ होगा । जब उन्होंने मूल्यों में वृद्धि की मांग की तो क्या यह नियम नहीं है कि यदि छः महीने की अल्प अवधि के दौरान नया मूल्य दिया जाना हो तो नये टैंडर मंगवाने होते हैं क्योंकि देश में अन्य लोग भी हो सकते हैं जो उन जूतों को उसी मूल्य पर दे सकते हैं । ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : मैं स्थिति फिर स्पष्ट करता हूं । उस समय टैंडर मांगे गये । उनका टैंडर कम से कम था । फिर हम ने सभी से पूछा कि क्या वे रूबी इण्डस्ट्रीज़ के दरों पर जूते देने को तैयार हैं और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ । बाद में, समझौता किया गया । उसके बाद उन्होंने दरों में परिवर्तन की मांग की । जब करार किया जा चुका हो तो हम उसे रद्द कैसे कर सकते हैं और नये टैंडर कैसे मांग सकते हैं । **(अन्तर्बाधायें)**

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इससे आप को सन्तोष हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात पर बल दे रहे हैं कि जूतों के सम्भरण के लिए एक विशिष्ट ठेकेदार के साथ समझौते के बाद, उसने मूल्यों में वृद्धि की मांग की । जब मूल्य में वृद्धि का निर्णय कर लिया गया तो क्या यह उचित नहीं था कि दूसरों को भी अवसर दिया जाता ।

श्री संजीवय्या : इस समय मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि उस समय कोई अवसर नहीं दिया गया ।

मामले पर विचार के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था क्योंकि एक वर्ष का अन्तर था इस समय के बीच मूल्य बढ़ गये।

श्री पु० र० पटेल : माननीय मंत्री ने कहा था कि मूल्य समझौता होने के बाद बदले गये थे और कुछ अधिक धन भी दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह और धन कितना था ?

श्री संजीवय्या : म ब्यौरा बता सकता हूं। आरम्भ के मूल्य इस प्रकार थे।

चमड़े के तले वाला जूता जो कि कम्पोजिट कन्स्ट्रक्शन का था उसका मूल्य प्रति जूता 22.25 रुपये था।

श्री पु० र० पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि वह 'और' क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो इस प्रकार बीच में प्रश्न नहीं होने चाहियें।

श्री संजीवय्या : पहले मूल्य 22.25 रुपये था परन्तु मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार 24.50 रुपये हो गया। वेल्टेड तले का मूल्य 21.25 रुपये था और मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार यह 25.00 रुपये था।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न कुल राशि के बारे में था।

कुछ माननीय सदस्य : कुल राशि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से उत्तर दिला सकता हूं, परन्तु इस प्रकार एक साथ बहुत सी आवाजें नहीं आनी चाहियें।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह सरकार की नीति है कि यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो भी टेन्डर भेजने वाले का लाभ सुनिश्चित कर दिया जाये। यदि हां, तो क्या यदि मूल्य कम हो जायें तो लाभ में भी कमी कर दी जायेगी ?

श्री संजीवय्या : प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि यदि मूल्य कम हो जाते तो क्या सरकार भी मूल्य कम कर देगी ?

श्री संजीवय्या : हो सकता है सरकार इस पर विचार करती।

श्री रंगा : यह उत्तर ग़लत है। जब मूल्य बढ़ जाते हैं। क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है। माननीय मंत्री के उत्तर के बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो उत्तर उन्होंने दिया है वह ग़लत है।

श्री संजीवय्या : मैंने कहा है कि हो सकता है सरकार इस पर विचार करती।

श्री रंगा : यह कभी नहीं किया जाता।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : क्या पिछले छः महीनों में किसी टेन्डर देने वाले ने जूते सप्लाई किये हैं, यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है और यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री संजीवय्या : वास्तव में मध्यस्थ का निर्णय 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुआ था। उससे पहले उन्होंने 68,000 जोड़े जूते सप्लाई किये थे जब कि ठेका 2.5 लाख जोड़ों का था।

श्री रंगा : मुझे खेद है कि जब यह दुःखद घटना हुई उस समय आप मंत्री नहीं थे।

श्री संजीवय्या : यह सरकार की ज़िम्मेदारी है। मंत्री चाहे कोई भी हो।

श्री रंगा : इसके लिये सरकार ज़िम्मेदार है। वर्तमान मंत्री नहीं क्योंकि उस समय यह चीज़ उनके अधीन नहीं थी। परन्तु खेद की बात है कि माननीय मंत्री ने महसूस नहीं किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हम यह जानना चाहते हैं।

लोक लेखा समिति ने यह कई बार स्पष्ट रूप से कह दिया है और इसमें कोई न समझने की बात नहीं है। यदि एक बार जब टेन्डर मंगा कर स्वीकार कर लिये जायें तो स्वीकृति और काम के पूरा होने की अवधि के मूल्यों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि पुनरीक्षण होगा भी तो मूल्यों को कम कभी नहीं किया जायेगा बल्कि बढ़ाया जायेगा। अगर ऐसा करना भी पड़े तो जैसे आप ने कहा है, पहले टेन्डर भेजने वाले सभी लोगों को फिर अवसर दिया जायेगा। यह कैसे हुआ कि इस बार कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया और इस टेन्डर भेजने वाले को प्राथमिकता दी गई ? उन से 60,000 के लगभग जोड़े लिये गये हैं। इसीलिये मेरा सुझाव है जैसे और माननीय सदस्यों ने भी किया है कि इस विषय में जांच होनी चाहिये। क्योंकि यह विषय लोक लेखा समिति के पास बहुत समय पश्चात् जायेगा।

श्री संजीवय्या : मैं यह कह सकता हूं कि टेन्डर मंगाने में यदि कोई गलती हुई है और यदि यह मैसर्ज़ रूबी इंडस्ट्रीज़ के पुनरीक्षण की मांग के समय हुई तो यह एक पृथक विषय है। यह ऐसे नहीं किया गया है और हम ने टेन्डर नहीं मंगाये। मैं पूरे प्रश्न पर विचार करूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : रूबी इंडस्ट्रीज़ का मालिक कौन है ?

श्री सजीवय्या : श्री भौमिक।

श्री नारायण दांडेकर : जहां तक मैं इस विषय को समझ सका हूं रूबी इंडस्ट्रीज़ के साथ इस समझौते में एक खण्ड था जिसके अन्तर्गत यदि कच्चे माल के मूल्य बढ़ जायें तो मूल्य बढ़ा दिये जायेंगे और शायद मध्यस्थ की व्यवस्था इसी के अधीन थी। यदि हां, तो क्या टेन्डर में यह एक शर्त थी और सभी टेन्डर देने वालों को मालूम था कि समझौते के अधीन वे इस खण्ड को रखें।

श्री संजीवय्या : मैं इस सम्बन्ध में छानबीन करूंगा और देखूंगा कि क्या उसमें ऐसा खण्ड है ?

श्री नारायण दांडकर : क्या यह एक शर्त थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस समय उनके पास जानकारी नहीं है और वह इसको देखेंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : श्री दाण्डेकर ने आंशिक रूप में मेरा प्रश्न पूछ लिया है। मैं दूसरा भाग पूछता हूं। समझौते में यह भी एक धारा है कि ऐसी स्थिति में मूल्य बदले जा सकते हैं। क्या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने का पहले भी पता था ? यदि हां, तो कहां तक और अब इसको किस के अधीन लाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार करेंगे ।

वामपंथी साम्यवादियों का पीकिंग के साथ सम्बन्ध

*908. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें वामपंथी साम्यवादियों के पीकिंग के साथ सम्बन्धों के बारे में संसद् में 12 मार्च को गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति की गयी है तथा गृह-कार्य मंत्री के उक्त वक्तव्य को बिल्कुल निराधार, सरासर मनगढ़न्त तथा मिथ्या-निन्दा कथन बताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी राजदूतावास के प्रथम सचिव को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और चीनी राजदूतावास द्वारा 22 मार्च, 1965 को प्रकाशित वक्तव्य के विरुद्ध मौखिक विरोध प्रकट कर दिया गया था । चीनी राजदूतावास को यह बता दिया गया था कि उसने अपने वक्तव्य में जैसी भाषा का प्रयोग किया है, वह आपत्तिजनक है और मेज़बान सरकार के प्रति सामान्य राजनयिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या चीनी दूतावास ने मेज़बान सरकार की बात पर आपत्ति करके अन्तर्राष्ट्रीय तथा राजनयिक नीति के महान सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं किया ? यदि चीनी दूतावास ने ऐसा किया है--और यह उन्होंने बड़ी निन्दनीय भाषा में किया है--तो सरकार इस देश में चीनी दूतावास बन्द करने के लिए क्यों नहीं कहती ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस आधार पर ऐसी कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री हेम बरुआ : जैसाकि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने सदन में कहा है कि चीनी दूतावास भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन गया है और देशद्रोहियों के जाने का स्थान भी है, ऐसी स्थिति में सरकार चीनी दूतावास के लोगों की कार्यवाहियों आदि पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देती ? पीकिंग में भारत के दूतावास के अधिकारियों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि पीकिंग में हमारे दूतावास के लोगों की कार्यवाहियों आदि पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । चीन में अन्य देशों के दूतावासों के लोगों पर भी ऐसे ही प्रतिबन्ध हैं । चीन की प्रणाली अलग है । हम ने अपने देश में राजनयिकों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं ।

श्री जी० भ० कृपलानी : अन्य देशों के दूतावास हमारे शत्रु नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : मैं आप का संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह ऐसा करने में असमर्थ हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरी जानकारी के अनुसार पीकिंग स्थित भारत का दूतावास कोई चीन विरोधी कार्यवाहीं नहीं कर रहा है । यहां पर जो चीन का दूतावास है उसका सम्बन्ध वाममार्गी साम्यवादियों के साथ है और वह भारत विरोधी कामों में लगा हुआ है । यह बात गृह-कार्य मंत्री ने यहां कही है । इसके अतिरिक्त चीनी दूतावास कुछ लोगों की धन से सहायता कर रहा है और जम्मु तथा काश्मीर में जाली सिक्के भेजे जा रहे हैं । यह दूतावास हमारी सरकार तथा हमारे विरुद्ध हर प्रकार की गलत कार्यवाही कर रहा है--यदि मैं यहां अपनी सरकार को नपुंसक कहूं तो मैं जानता हूं कि आप मुझे बाहर निकाल देंगे अतः नपुंसक शब्द का प्रयोग नहीं करता--हमारी सरकार में कार्यकुशलता हीन तथा असमर्थ लोग हैं, जो इस देश में चीनीयों की शरारतों को बर्दाश्त किये जा रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उत्तर दे दिया गया है। सदन को इस पर फिर से विचार करना होगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या उत्तर से सभी को संतोष हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी राय नहीं देनी है । उत्तर दे दिया गया है । सभा यदि चाहे तो सरकार के विरुद्ध हर प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार रखती है । इसमें मुझे कुछ नहीं करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि 1962 के चीन के आक्रमण, जिसमें भारत की हार हुई तथा राष्ट्रीय अपमान हुआ था, के समय से चीनी दूतावास मेज़बान देश को बदनाम करने की कार्यवाहियों में लगा हुआ है । यदि हां, तो क्या विश्व में कोई और देश है जिसने विदेशी दूतावास का इस प्रकार का अपमान सहन किया हो ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाना चाहिये जिसके लिये उसको बताया गया है। इतने विशेषण, परिभाषायें तथा आरोप चाहे वे ठीक भी हों, फिर भी...

श्री हरि विष्णु कामत : यह विशेषण नहीं, सारगर्भित ।

अध्यक्ष महोदय : जब एक सदस्य अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं ये बातें नहीं होनी चाहियें। प्रश्न तो जानकारी के लिये किये जाते हैं । ये उसी बात तक सीमित होने चाहिये । मैं आप द्वारा कही गई बात को ठीक करने के बारे में कुछ नहीं कर रहा या जो शब्द उन्होंने प्रयोग किये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा आप से निवेदन है कि मेरी जानकारी के लिये आप बता दें कि मेरे द्वारा प्रयोग किए गये कौन से विशेषण आपत्तिजनक हैं ताकि मैं उनका भविष्य में प्रयोग न करूं।

अध्यक्ष महोदय : इन में कोई भी आपत्तिजनक नहीं हो सकता, परन्तु अनुपूरक प्रश्न करते समय इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । मेरा यह अभिप्राय हैं । **(अन्तर्बाधायें) :**

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है और जैसे गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि ऐसे सम्बन्ध हैं । यहां पर चीनी दूतावास की कार्यवाहियां आपत्तिजनक हैं । हमें बहुत सी बातों का ध्यान करके कार्यवाही करनी होती है। अभी हमने यह निर्णय नहीं किया है कि क्या कार्यवाही करनी है। जो दूसरी बात है उसके बारे में मेरे लिये कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ दूतावास ऐसे हैं जो अन्य देशों में होते हुए वहां की सरकारों को पसन्द न आने वाले वक्तव्य जारी करते रहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने कहा है कि कुछ दूतावास ऐसे हैं । वह और किन देशों के बारे में जानते हैं, यह अस्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं बता सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक देश के बारे में जानता हूं । मैं जानता हूं कि जब काहिरा में चीनी दूतावास ने भारत की आलोचना की थी तो राष्ट्रपति नासर ने दूतावास को चेतावनी दी थी । उन्होंने कहा था कि दूतावास या तो चुप रहे या दूतावास बन्द करे ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या वाममार्गी साम्यवादियों तथा चीनी सरकार के सम्बन्धों के बारे में पता लगाने के प्रयत्न करते समय सरकार को और कागजात मिले हैं जिनसे पता चल कि कुछ कम्युनिस्टों ने बैंक आफ चाईना में धन जमा कर रखा था और उनके खातों में गुप्त एजेन्सी ने धन जमा कराया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चीनी दूतावास द्वारा जारी किये गये वक्तव्य से सम्बन्ध रखता है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या पहले ही चीनी दूतावास कोइस वक्तव्य को वापिस लेने को नहीं कहा गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब वक्तव्य जारी कर दिया गया है तो यदि वह अब इसे वापिस भी ले लें तो क्या लाभ होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उन्होंने क्षमा मांगी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसे कहा गया है हम वक्तव्य में कहीं ग ई बात को स्वीकार नहीं करते । यह एक बेकार वक्तव्य है । हमारे गृह–कार्य मंत्री के वक्तव्य का महत्व उस पर आपत्ति करने वाली बातों से कहीं अधिक है ।

श्री हेम बरुआ : यह प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेश्वर पटेल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि अध्यक्ष के क्या कार्यकलाप हैं तथा उसको उन्हें किस प्रकार पुरा करना चाहिये ।

मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं । यदि मन्त्री महोदय द्वारा दी गयी जानकारी गलत है तो मैं क्या कार्यवाही कर सकता हूं । यदि माननीय सदस्य सरकार की नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं तो यह मामला सभा में किसी और रूप में उठा सकते हैं । परन्तु अभी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप भी सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम ठीक तथा उचित उत्तर चाहते हैं ।

श्री रंगा : श्रीमान् मेरा एक निवेदन है कि माननीय मंत्री को सीधा उत्तर देना चाहिये तथा बहाने नहीं बनाने चाहिएं । हीला हवाला करने पर सदस्यों को असन्तोष प्रकट करने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं कहूंगा कि मुझे दोनों ही पक्षों से शिकायत हैं। मैं बार-बार इस बात पर जोर देता हूं कि प्रश्न भी सीधा पूछा जाना चाहिए तथा उत्तर भी सीधा आना चाहिए। परन्तु जब प्रश्न उलझन वाला होता है तो मुझे भी कभी-कभी उलझन हो जाती है कि क्या उत्तर आना चाहिए।

श्री राजेश्वर पटेल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने बताया कि क्योंकि जो बात कह दी गयी उसको वापस लेने से क्या लाभ है प्रतिदिन ही सभा में ऐसा होता है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बना ली है यदि कोई गलत बात कह दी गयी हो तो उसको वापस नहीं लिया जायेगा क्योंकि ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह सच है कि चीनी दूतावास ऐसी कार्यवाहियां कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिएं। मेरा यह भी सुझाव है कि हम इस मामले पर विचार करेंगे। मैं इस समय कोई निश्चित बात नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इतना ज़रूर कहूंगा कि हम इस पर विचार करेंगे।

डा० स्वैल : वैदेशिक-कार्य मन्त्री ने अभी बताया है कि वामपंथी साम्यवादियों के बारे में गृह-कार्य मन्त्री का वक्तव्य चीनी दूतावास के वक्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण है क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-कार्य मन्त्री तथा चीनी दूतावास के वक्तव्यों का क्या तुलनात्मक महत्व है यह प्रश्न सभा के सामने हैं अथवा देश के आन्तरिक कार्यों में चीनी दूतावास द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न सभा के सामने है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया हैं कि इसके बारे में गृह-कार्य मन्त्री बता चुके हैं।

श्री शिंकरे : इस आधार पर कि सम्बन्धित देश के दूतावास ने इस बारे में एक दम इंकार कर दिया है साम्यवादी चीन ने कोई हस्तक्षेप किया है तथा इस आधार पर भी कि माननीय गृह-कार्य मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य सन्तोषजनक नहीं है क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठायेगी कि चीनी दूतावास को यहां से हटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर प्रधान मन्त्री ने दे दिया है।

Shri Prakashvir Shastri: Chinese Ambassy has circulated a Statement may I know whether, in addition to that China Government has written anything in this regard to India Government ? If so, in view of the activities of the Chinese embassies, whether India Government is going to take any decision to send the Chinese nationals of the embassy to China who are doing something against India ?

Mr. Speaker: He has replied that he does not want to say anything now.

Shri Prakashvir Shastri: One Part of my question was that whether China has written anything to India Government in addition to this statement ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Hon. Minister has objected to the language used by China and does not object to the facts expressed in that statement. If they have objected to the facts, whether Hon. Minister is in a position to tell us the name of even one communist who has connection with the Chinese forces ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों ही बातें आपत्तिजनक थीं प्रश्न का दूसरा भाग मैं समझता हूं इस प्रश्न से नहीं उठता है ।

Dr. Ram Mohohar Lohia : Mr. Speakr, Sir I want your guidance. My question was not that what was objectionable Whether Shrimati Laxmi Menon told the chinese that their language and facts were objectionable. Whether she had objected or not ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, दोनों बातें कही गयीं थीं ।

Shri Rameshwaranand: Sir, I want to rise on a point of order. I submit sir, that when somebody says anything against Government you always take that member to task. But this is very shameful that the embassies may say anything against the Government ?

Mr. Speaker: I do not say that you should not do anvthing in this regard.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूस से प्रसारण यंत्र

*909. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को मीडियम वेव के 500, 500 किलोवाट के दो प्रसारण यन्त्र देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को तय करने के लिए बातचीत हो रही है ।

(ग) यह फैसला कर लिया गया है कि शर्तें सन्तोषजनक रूप से तय हो जाने पर प्रस्ताव स्वीकर कर लिया जाए ।

सिक्किम के महाराजा

*910. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम के महाराजा ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उनकी उपाधि बदल कर "हिज़ हाइनेस दि चोग्याल आफ सिक्किम" कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपाधि में परिवर्तन को मान्यता दे दी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराजा 1950 की सन्धि में संशोधन करने की प्रार्थना करते रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख), जी हां।

(ग) जी नहीं।

Board of Film Censors

*911. **Shri Yudhvir Singh:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reorganise the Board of Film Censors in view of the rapid deterioration in social, political and literary standard of Indian films.

(b) if so, the main points to be kept in view while effecting the said reorganisation; and

(c) when the said reorganisation is likely to be effected?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) No., Sir.

(b) and (c). Do not arise.

नागा शन्ति वार्ता

*914. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती जोहराबेन चावडा :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा नेताओं के साथ शान्ति दल की वार्ता में अद्यतन क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :(क) और(ख) शांतिमिशन ने 20 दिसम्बर, 1964 के अपने पत्र में कुछ सुझाव दिए थे। शांति मिशन के प्रस्तावों की एक प्रति तारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर में 22 फरवरी, 1965 को सदन की मेज़ पर रखी जा चुकी है।

इन प्रस्तावों के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी उसी समय बता दी गई थी।

इसके बाद 24 फरवरी, 1965 और 6 अप्रैल, 1965 को दो बैठकें हो चुकी हैं जिनमें इस सवाल पर विचार किया गया था कि दोनों पक्ष शांति मिशन के प्रस्तावों को आगे की बातचीत के लिए आधार के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं ।

छिपे नागाओं ने आगे की बातचीत के लिए शान्ति मिशन के प्रस्तावों को आधार के रूप में अपनी स्पष्ट स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। परन्तु, शान्ति मिशन और छिपे नागा नेताओं के बीच इस सिलसिले में बातचीत चल रही है ।

Passport Application of Shri Afzal Beg

915. { **Shri Raghunath Singh** :
{ **Shri Brij Behari Mehrotra** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the nationality mentioned in the passport applications forms submitted by Sarvashri Afzal Beg, Ghani Pir and Begum Abdullah (of Jammu and Kashmir State) for their Haj Pilgrimage ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : In the prescribed application form for Indian passport, the applicant has to sign a declaration in the following form :

> "I solemnly declare that I have not lost, surrendered or been deprived of my Indian citizenship and that the information given by me in reply to the Questionnaire is true."

This declaration of citizenship was signed by Mirza Afzal Beg and Pir Abdul Ghani both in their first applications for passport in May, 1964 and their applications of November, 1964. Against entry No. 9 in the application form "Father's name and place and date of birth", they entered, in the May, 1964 applications "Kashmire (First Class subject of Jammu and Kashmir State)", and "Kashmire Muslim" in the November, 1964 applications. The same descriptions were repeated respecitively in the May, 1964 and November, 1964 applications against Question 16: "Are you an Indian citizen by registration /Naturalisation ? If so, attach certified copy of your Registration/Naturalisation Certificate", except that Mirza Beg in his November, 1964 application, added in parenthesis, the words "Indian Part". The answer to this question in both applications in their case should have been 'No' or 'Not applicable" and, therefore, anwswers to Question 16 in both applications were irrelevant.

In regard to Begum Abdullah, Sheikh Abdullah in his application dated November 25, 1964, included the personal particulars of his wife and asked for a passport for her. A passport was issued to her valid for the period 13.1.1965 to 12.7.1965. The details given in the application by Sheikh Abdullah have alrady been furnished to the House in the statement placed on the Table of the House in reply to Starred question No. 742 on 5th April, 1965.

नेपाल में चीन के विदेश मंत्री का वक्तव्य

*916. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री ने अपने सम्मान में नेपाल सरकार द्वारा आयोजित समारोह में भारत की निन्दा की थी;

(ख) यदि हां, तो यथार्थ में उन्होंने क्या कहा था;

(ग) क्या उस अवसर पर नेपाल में भारत का राजदूत उपस्थिति था;

(घ) क्या उन्होंने चीन के विदेश मंत्री की टिप्पणी का विरोध किया था अथवा उस मामले की सूचना सरकार को दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

Use of Gas in Vietnam

*917. **Shri Kishen Pattnayak** :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the statement made by him in response to a Calling Attention Notice on the 26th March, 1965 and state :

(a) Whether his attention has been drawn to a statement issued by U.S.A. that the type of gas used in Vietnam is not prohibited under the existing International Conventions and Undertakings;

(b) the particular treaties banning gas warfare which India has signed;

(c) whether Governments of China, North Vietnam, South Vietnam and U.S.A. have also signed the said treaties; and

(d) if not, whether Government have requested them to accept those treaties at the earliest, so that such incidents may not occur in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) India is a party to the "International Portocol for the Prohibition of the use of asphyxiating, poisonous or other gasses and of bacteriological methods in warfare" signed at Geneva on June 17, 1925. India became a party to this Protocol with effect from 9th April, 1930.

(c) The Republic of China became a party to this Protocol with effect from the 7th August, 1929. The People's Republic of China ratified it on 30th April, 1962. The United States signed the Protocol but did not ratify it. North and South Vietnam have not acceded to the Protocol.

(d) The Government of India have not made any such request to these Governments.

वियतनाम में शान्ति के सम्बन्ध में ब्रिटेन की कार्यवाही

*918. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन की उस कार्यवाही की ओर दिलाया गया है जिसमें ग्यारह राष्ट्रों से इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है कि वियतनाम में शान्ति कैसे स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार से भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) ब्रिटिश विदेश सचिव से संदेश पर भारत सरकार विचार कर रही है।

Anniversary of Bandung Conference

919. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Lahri Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Indonesia have extended an invitation to the Government of India to participate in the 10th anniversary of the Bandung Conference at Djakarta;

(b) whether it is also a fact that Government have accepted the invitation; and

(c) if so, the propriety of accepting the invitation ?

The Deputy Minister in the Ministery of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) We participated in the first Afro-Asian Conference held at Bandung and it was felt that we should participate in the celebration of its tenth anniversary. Besides, the invitation was from the Head of a friendly country and it was only natural for us to accept it.

वियतनाम के बारे में संयुक्त अपील

*920. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कनकसबै :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वियतनाम के बारें में संयुक्त शान्ति अपील के बेलग्रेड प्रारूप में कुछ रुपभेद करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत का क्या दृष्टिकोण है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। भारत और कुछ अन्य देशों ने युगोस्लाविया द्वारा तैयार किए गए मूल मसौदे में संशोधन सुझाए थे।

(ख) भारत समेत, गुटों से अलग 17 देशों के प्रतिनिधियों ने जिस सम्मिलित अपिल पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें इन राज्यों के सहमत विचार मिलते हैं और वियतनाम की स्थिति पर उनकी सामूहिक चिंता व्यक्त होती है। सम्मिलित अपील की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4206/65]

निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक

*921. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव रूस की इस प्रार्थना पर सदस्य सरकार के विचार जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अप्रैल, 1965 में 114 सदस्यों के निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक बुलाई जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या बैठक की कोई तारीख निश्चित की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अप्रेल, 1965 में संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण कमीशन को आयोजित करने के सोवियत सरकार के प्रस्ताव पर सदस्य राज्य से सलाह-मशविरा कर रहे हैं।

(ख) भारत सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है।

(ग) आशा की जाती है कि उक्त कमीशन विभिन्न प्रक्रिया-संबंधी मामले का तय करने के लिये 21 अप्रेल को एक प्रारंभिक मीटिंग आयोजित करेगा और 26 अप्रेल 1965 को नियमित रूप से कार्य करना आरंभ कर देगा।

कूच बिहार क्षेत्र में युद्ध विराम

*922 श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या 30 मार्च, 1965 को ढाका में कूच विहार—रंगपुर क्षेत्र में सीमा पर गोली बारी के बारे में पुनरिक्षित युद्ध विराम समझौता किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह समझौता 22 मार्च, 1965 को किये गये पहले समझौते से किन बातों में भिन्न है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर विरोध प्रकट किया है, यदि हां, तो किस आधार पर;

(घ) क्या पाकिस्तान सैनिकों ने इस बीच दक्षिण बेरुबाडी क्षेत्र में गोली चलाना आरम्भ कर दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) युद्ध-विराम समझौते का पुनरीक्षित नहीं किया गया था। 30 मार्च 1965 को ढाका में 22 मार्च, 1965 के इस समझौते पर अमल करने के तारीकों के बारे में विचार-विमर्श हुआ था और सहमति हो गई थी।

(ख) 22 मार्च, 1965 को नई दिल्ली में जो समझौता हुआ था, बुनियादी तौर पर उससे हटा नहीं गया था।

(ग) इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच कुछ पत्राचार हुआ है। उन्हें सही स्थिति समझा दी गई है जिससे कि किसी तरह की गलत-फहमी की गुंजाइश न रहने पावे।

(घ) जी हां। दक्षिण बेरुबाड़ी के इलाके में 30 मार्च, 1965 को 16-00 बजे से पाकिस्तान की ओर से कुछ गोलाबारी हुई थी जो 2 अप्रैल को बंद हुई।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है। भारतीय हाई कमिश्नर ने भी इस मामले को फौरन पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिव के साथ उठाया।

Indian Correspondents in Pakistan

*923. **Shri Hukam Chand Kachhaviaya** :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the news which are sent by the Indian Press correspondents stationed at Karachi and Rawalpindi, are delayed by Pakistan;

(b) whether it is also a fact that specially the news regarding the incident of Dahagram and the visit of Marshal Chen Yi to Pakistan, were delayed by 24 hours after these news had reached their destination; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Our Mission in Karachi has spoken to the Pakistan Foreign Office on the need to keep communications functioning quickly and properly.

राजस्थान के डाकखानों में जमा की गई राशि

2314. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुई छमाही में छोटी बचत आन्दोलन योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा हुई ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : राजस्थान के डाकघरों में 1 अक्तूबर, 1963 से 31 मार्च, 1964 की अवधि के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,61,41,529 रुपये की रकम जमा हुई थी।

Unemployed persons in U.P.

2315. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) the total number of unemplyed persons on the 31st December, 1964 as registered in various Employment Exchanges in U.P.;

(b) the number of educated persons, Matriculates and Graduates amongst them;

(c) the number of artisans, Doctors and Engineers amongst them, respectively; and

(d) the number of educated women amongst them ?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) :
(a) 3,74,310.

(b) Matriculates and Higher Secondary passed (including Intermediates) 1,10,064

Graduates (including Post Graduates) . .	9,551
(c) Artisans (craftsmen and production process workers)	29,748
Medical Graduates .	3
Engineering graduates . . .	11
(d) Educated women (Matriculates and above)	2,562

ठेके पर काम करने वाले मजदूर

2316. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ठेके पर रखे गये श्रमिकों की काम तथा सेवा-दशाओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक उद्योग में ठेके पर रखे गये श्रमिकों की संख्या क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी हां। श्रम ब्यूरो, शिमला के निदेशक ने अब तक निम्नलिखित 12 उद्योगों / रोजगारों में ठेके पर रखे गए श्रमिकों की समस्याओं के स्वरूप को जानने के लिए विशिष्ट अध्ययन किये हैं :

(1) कच्चा लोहा खानें;

(2) पेट्रोलियम रिफायनिरीज़ और तेल क्षेत्र;

(3) पत्तन;

(4) रेल विभाग;

(5) भवन तथा निर्माण उद्योग;

(6) पेट्रोलियम उद्योग का वितरण और विपणन विभाग;

(7) मैंगनीज़ खानें;

(8) लौह और इस्पात उद्योग;

(9) चूना–पत्थर खानें;

(10) कपास ओटना और उसकी गांठे बनाना;

(11) अभ्रक खानें; और

(12) हाईड्रोजनीकृत तेल उद्योग।

(ख) कुछ सिलेक्टिड उद्योगों/प्रतिष्ठानों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त मजदूरों के काम की दशाओं, जिसमें मजदूरी, कल्याण आदि सम्मिलित हैं, विश्लेषण के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० डी०—4207/65]**

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में समितियां

2317. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 16 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध उन समितियों के क्या नाम हैं जिन्हें समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रखा जा रहा है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या ए० टी०—4208/65**] जिस में उन 48 समितियों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें समाप्त कर दिया गया। परन्तु इन में से क्रम संख्या 16 और 47 की दो समितियों फिर से चालू कर दी गई हैं। अतः वास्तविक रूप से समाप्त की गई समितियों की संख्या 46 है।

(ख) ये समितियां समय और खर्च में बचत करने के लिये समाप्त की गई हैं।

Public Call Offices

2318. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Public Call Offices which were proposed to be opened throughout the country during the Third Plan period; and

(b) the number of Public Call Offices so far opened and the number of those which are to be opened by the end of the Third Plan period ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 1,700.

(b) No. of P.C.Os. opened upto 15-3-1965 . . . 1319.

No. of P.C. Os. likely to be opened upto 31-3-1966 . . . 381.

Telephone Exchanges

2319. { Shri Lakhmu Bhawani :
{ Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone exchanges in Madhya Pradesh as on 31st December, 1964; and

(b) the number of telephone exchanges proposed to be opened during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati) : (a) 147.

(b) 40.

बेतार केन्द्र

2320. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के तट के साथ-साथ जहां तूफान आते रहते हैं छोटे बेतार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) जी नहीं; विशेषरूप से उन्हीं स्थानों पर जहां तूफान आते रहते हैं बेतार–संचार की व्यवस्था करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं। इस समय दक्षिण भारत के समुद्री तट के साथ-साथ कारवार, मंगलौर, कोचीन, टूटीकोरिन, मद्रास और विशाखापटनम में बेतार केन्द्र हैं जो समुद्री जाहाजों को नौवहन सम्बन्धी चेतावनियां और मौसम बुलेटिन प्रसारित करते रहते हैं। ये केन्द्र परिवहन मंत्रालय (नौपरिवहन) की प्रार्थना पर स्थापित किये गये हैं और व्यापारिक जाहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं। निम्नवर्ती मार्गों पर जमीन पर लगी लाइनों को सहायता के लिये आपाती बेतार-संचार व्यवस्था भी उपलब्ध है––

मद्रास–दिल्ली, कारवार–बेलगाम, मगंलौर–बम्बई। किसी भी क्षेत्र में संकट की स्तिति में थोड़े समय पहले सूचना मिलने पर बेतार–संचार व्यवस्था प्रदान करने के लिये बड़े-बड़े बेतार केन्द्र पर कुछ बेतार उपस्कर भी तैयार रखे जाते हैं।

आयुध कारखानों में कार्यभार

2321. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में दिसम्बर, 1964 से कार्यभार काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका आंशिक कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को न्यादेश (आर्डर) दिये जाना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई है कि आयुध कारखानों में उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग होता रहे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) वस्त्रों तथा सामान्य भाण्डारों के उत्पादन में कुछ कमी के अतिरिक्त आर्डनेंस कारखानों के कार्यभार में अब तक कोई कमी नहीं हुई।

(ख) सेना की वस्त्रों तथा सामान्य भाण्डारों संबंधी आवश्यकताएं बहुत हद तक पूर्ण हो चुकी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जहां तक वस्त्रों का प्रश्न है, हम सरकार के अन्य विभागों तथा राज्य सरकारों से वर्दियां तैयार करने के आर्डर करने का यत्न कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में निर्माण के विकास/सेवाओं लिये आवश्यक विभिन्न साजसामान की पैदावार बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Armed Forces at High Altitudes

2322. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Yashpal Singh :
Shri R.S. Tiwary :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the progress achieved to increase the efficiency of our armed forces posted at snow-covered high altitudes;

(b) whether some incentive has been provided in connection with the work of manufacturing war material and equipment required at high altitudes; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) The efficiency of our troops deployed at snow-covered high altitudes has considerably increased with the introduction of improved types of weapons, vehicles, clothing equipment and also specialist training, details of which are given below :—

(i) *Weapons*

Personal weapons of soldiers and supporting weapons of units are modern types, with increased fire power, but no corresponding increase in weight.

(ii) *Signals*

The inter-communication efficiency has been enhanced by the introduction of newer and better types of wireless sets, Lightness and the use of modern techniques are the main features of these new wireless sets.

(iii) *Vehicles*

Vehicles suitable for mountainous terrain have been issued to troops deployed at high altitudes.

(iv) *Clothing and Equipment*

Special types of snow clothing and tentage which are suitable for high altitudes and the climatic conditions obtaining there, have been deployed and issued to troops. In the introduction of these items, the important factor of weight reduction has been kept in view.

(v) *Rations*

A special scale of rations has been evolved for troops serving at high altitudes so that the increased calorific content can partially compensatethe effects of high altitude and extremes of climate.

(vi) *Training*

Training in mountain warfare including technique of fighting under severe climatic conditions at high altitudes is given to troops. The training includes knowledge about the peculiar behaviour of arms, equipment, ammunition and explosives at high altitudes the remedial measures to be adopted, effect of high altitudes and low temperature conditions on personnel and food and proper acclimatisation.

(b) No.

(c) Does uot arise.

Articles by A.I.R. Officers under Pen-Names.

2323. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that certain persons belonging to the All India Radio publish anti-Government and other articles and publication material in newspapers under pen-names;

(b) if, so, the names of the writers of articles regularly published in the 'Hindu' of Madras and the 'Hindustan Standard' under the pen-names of 'Bhanu' and 'Chitra Sen' and whether Government are aware that some persons of the All India Radio send articles under their pen-names to 'Mainstream' 'Patriot' and 'Blitz' and

(c) whethe permission from competent authorities is obtained by them for writing such articles; if not, the reasons therefor and the action proposed to be taken against them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

आर्मी आर्डनेन्स कोर

2324. **श्री हेडा :**
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेन्स कोर के असैनिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के क्या मार्ग हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं है उन स्थायी पदों के 10 प्रतिशत तक पदों का एक सेलेक्शन ग्रेड बनाया जाये; और

(ग) असैनिक अधिकारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड पदों का निर्माण करने के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आर्मी आर्डनेन्स कोर अनिवार्यतः, एक सैनिक कोर है, और उसके कर्तव्यों के स्वरूप की मांग है, कि उसके लिए अधिकाधिक अफसर सैनिक अफसर हों। कार्यान्वित किये जाने वाले कर्तव्यों के आधार पर, 350–800 रुपये वेतनमान के अफसरों को स्थैतिक डिपुओं के लिए यथासम्भव, अधिकृत कर दिया जाता है। इन असैनिक अफसरों को उन्नति के और अधिक अवसर देने के लिए (आर्डनेन्स के) असैनिक स्टाफ अफसरों के लिए, केन्द्रीय प्रोवीजन सेल सहित, आर्डनेन्स सर्विसेज़ डायरेक्टोरेट में, 740–900 रुपये वेतनमान के 12 स्थान निर्मित किये गये हैं।

(ख) (असैनिक) आर्डनेन्स अफसरों के लिए किसी वरण ग्रेड के लिए सिफारिश नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में वेतनक्रम

2325. श्री हेडा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेन्स कोर में असैनिक अधिकारियों के वेतनक्रम क्या हैं; और

(ख) क्या यह वेतन उनको सौंपे गये उत्तरदायित्वों के अनुरूप हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) निम्न विरचनाओं में असैनिक अफसरों के लिए, एक ही वर्ग है, अर्थात् द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्थिति, तथा 350–25–500–30–590–अर्हता प्रतिबंध–30–800 रुपये वेतनमान सहित, (असैनिक) आर्डनेन्स अफसर।

सैनिक मुख्यालयों में आर्डनेन्स अफसर (स्टाफ) के तौर पर नियुक्ति पर, उनकी द्वितीय श्रेणी की राजपत्रित स्थिति बनी रहती है, और उन्हें 740–30–830–35–900 रुपये वेतनमान में अदायगी की जाती है।

(ख) जी हां।

महासचिव के पद की समाप्ति

2326. श्री यशपाल सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में महासचिव के पद की समाप्ति से मंत्रालय के विभिन्न उपभागों में समन्वय का अभाव है और इस से समचे काम में एक ही नीति को बढ़ावा देने में बाधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। प्रधान सचिव का पद समाप्त करने के बाद, विदेश मंत्रालय में समन्वयन (कोआर्डिनेशन) कार्य का अधिकारी विदेश सचिव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Ordnance Factory in Keraka

2327. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether on the 15th January, 1965 he stated at Trivandrum that Government of India were contemplating to establish an Ordnance Factory in Kerala: and

(b) if so, the particulars of the factory that is being located in that State ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : The Defence Minister had stated that the Kerala Government had written to him about the need for locating some defence industries in the state and that they had been informed that when there was some proposal for expansion of defence industries we would consider this suggestion.

प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें

2328. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें खोलने का विचार है; और

(ख) ये संस्थायें कब और कहां स्थापित की जायेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). अभी तक कोई भी नहीं ।

संसद् में नेफा का प्रतिनिधित्व

2329. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद् में नेफा के प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह उपयुक्त (क) में उल्लिखित जांच के परिणाम पर निर्भर करता है ।

पालम के ऊपर अज्ञात विमान

2330. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री म० न० भांजदेव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों के बारे में मालूम है कि जनवरी, 1965 में एक अज्ञात विमान ने पालम हवाई अड्डे के चारों ओर बड़ी ऊंचाई पर चक्कर लगाया और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के संकेतों की उपेक्षा करते हुए गायब हो गया;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). जनवरी, 1965 मास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है । तदपि, 7 जनवरी को लगभग रात के साढ़े दस बजे, इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के एक विस्काऊंट विमान ने, एक गोलाकार नारंगी रंग की, लगभग 3500 फुट ऊंचाई पर, कोई चीज़ उड़ती देखी थी । तदनु, उसे ऊपर चढ़ते देखा गया था । मामले की अच्छी तरह छान-बीन की गई थी । मौसम विभाग द्वारा छोड़ा हुआ, वह मौसमी गुब्बारा भी हो सकता था । सच तो यह है, कि उस दिन, लगभग साढ़े दस बजे, सफदर जंग के मौसमी विभाग ने एक, मौसमी गुब्बारा छोड़ा भी था, जिसके साथ नारंगी रंग का एक लैम्प भी संलग्न था ।

प्रतिद्वन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये चीन का प्रयास

2331. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिद्वन्दी और तथाकल्पित क्रान्तिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के साम्यवादी चीन के प्रयास के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास की दृष्टि से चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित करने के प्रश्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया तथा नीति है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इन्डोनेशिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र से हटने का निर्णय कर लेने के बाद, चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाउ-एन-लाई ने इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री, डाक्टर सुबान्द्रियो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की पीकिंग-यात्रा के दौरान यह घोषणा की बताते हैं कि "एक और क्रांतिकारी संयुक्त राष्ट्र बनाने पर विचार किया जाय ताकि अमरीका द्वारा चालित वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रतियोगिता करते हुए प्रतिद्वन्दी नाटक खेले जा सकें और लोग तुलना कर सकें । " बहरहाल, भारत सरकार को चीन द्वारा कोई प्रतिद्वन्दी संयुक्त राष्ट्र बनाने की किसी औपचारिक कार्रवाई करने का पता नहीं है ।

(ख) भारत सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का समर्थन करने की है ।

भारतीय रेडियो प्रसारणों का सुना जाना

2332. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि नेफ़ा, लद्दाख, उत्तराखंड, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हमारे रेडियो प्रसारण कितनी सुगमता से सुने जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों के नाम बताने वाला विवरण पटल पर रखा जायेगा जहां ये प्रसारण ठीक प्रकार से नहीं सुनाई देते तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) नेफ़ा, लद्दाख और उत्तराखंड में शार्टवेव पर प्रसारण ठीक सुनाई देते हैं, लेकिन इनमें सुधार की आवश्यकता है । तिब्बत के लिए प्रसारण भी संतोषजनक है । दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसारण, आम तौर से संतोषजनक सुनाई देता है, लेकिन स्पैक्ट्रम में अधिक भीड़ हो जाने से इस में सुधार की गुंजाइश है । शक्तिशाली ट्रांसमीटर प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है । इन ट्रांसमीटरों से नेफ़ा और तिब्बत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसारण और अच्छा हो सकेगा । अन्य क्षेत्रों में भी प्रसारण को और अच्छा बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी

2333. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित श्रम नामिका की अस्थायी गणना के अनुसार श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी धीरे-धीरे कम हो गयी है और 1939 के स्तर पर पहुंच गयी है;

(ख) क्या क्षेत्र तथा उद्योग के आधार पर वास्तविक मजूरी में चालू प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार ने वास्तविक मजूरी में गिरावट का प्रतिकार करने के लिए कोई प्रभावकारी उपाय निकाले हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) श्रम नामिका का गठन हाल ही में किया गया है । अभी तक इसकी बैठक नहीं हुई है ।

(ख) वास्तविक मजदूरी सम्बन्धी अन्तिम उपलब्ध आंकड़े श्रम सांख्यिकी, 1965 के वर्ष-बोध (पृष्ठ 101) में प्रकाशित किये गये हैं । प्रकाशन की प्रतिलिपि संसद् की लायब्रेरी में उपलब्ध है ।

(ग) वास्तविक मजूरी में कमी कुछ हद तक मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मिलाने से पूरी की जाती है । मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मिलाने के बारे में स्थिति सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4209/65]**

भारतीय विदेश सेवा के लिए परीक्षा

2334. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के पदक्रम–4 में नियुक्ति के लिये वर्ष 1963 में एक विभागीय परीक्षा ली थी जिसमें केवल उनके मंत्रालय के कर्मचारी बैठ सकते थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की परीक्षा कब होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बीस ।

(ग) भविष्य में इस तरह की किसी परीक्षा का इरादा नहीं है ।

भारतीय फिल्म संस्था

2335. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्म संस्था, पूना में उतने विद्यार्थी कभी प्रवेश नहीं लेते हैं जितने उसमें स्थान हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको विद्यार्थियों के लिये आकर्षक बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। इन्स्टीट्यूट में जो 6 विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें से मुख्यत: दो विषयों अर्थात निदेशन–सह–पटकथा लेखन और फ़िल्म अभिनय में–दाखला कम रहता है ।

(ख) दाखला कम रहने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :––

(1) इन्टीट्यूट में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दाखिल किया जाता है जो नि–र्धारित योग्यताएं रखते हों और उन में विभिन्न कोर्सों के प्रति आवश्यक रूझान भी हो ।

(2) फ़िल्म अभिनय के कोर्स में लड़कियों का दाखला कम रहने के लिये माता–पिता और अभिभावकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण अंशत: जम्मेदार हो सकता है ।

(3) जगह की कठिनाई भी रही है । लड़कियों के लिए होस्टल सुविधा देने के लिए इन्स्टी-ट्यूट के निकट किराये पर एक बिल्डिंग 1964–65 में ही ली जा सकी । यद्यपि लड़कों के लिये होस्टल की योजना बन चुकी है, परन्तु निर्माण–कार्य अभी शुरू होने वाला है ।

(ग) इन्स्टीट्यूट में दाखले के लिए दरख्वास्त प्रति वर्ष प्रमुख समाचार–पत्रों और फ़िल्म पत्रिकाओं में विज्ञापनों द्वारा आमंत्रित की जाती हैं । उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, प्रवेश–परीक्षा महत्वपूर्ण केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ली जाती है । इसके अतिरिक्त योग्य विद्यार्थियों को वज़ीफ़े दिए जाते हैं और वज़ीफ़ों की संख्या बढ़ाकर इन्स्टीट्यूट में दाखला अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्स्टीट्यूट में सफल उम्मीदवारों को फ़िल्म विभाग के व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की एक योजना मंजूर कर ली गई है। लड़कियों के लिए होस्टल की व्यवस्था कर दी गई है और लड़कों के लिए भी होस्टल का निर्माण होने वाला है । इस बात के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इन्स्टीट्यूट के प्रशिक्षणार्थियों के लिये फ़िल्म उद्योग और भारत सरकार की टेलीविज़न यूनिट में रोजगार के अवसर बनाए जायं ।

वियतनाम में स्थिति के सम्बन्ध में बेलग्रेड में सम्मेलन

2336. श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम की स्थिति पर विचार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ गुटों से अलग देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, और यदि हां, तो क्या इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है;

(ख) कार्य–सूची में ठीक ठीक क्या विषय है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मुठभेड़ में मारे गये पाकिस्तानी अतिक्रमी

2337. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1965 के प्रथम पखवाड़े में काश्मीर में नौशेरा–मेधार–पुंछ के क्षेत्र में भारतीय सीमान्त गश्ती दल के साथ मुठभेड़ में कुछ पाकिस्तानी अतिक्रमी मारे गये; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ग) एक पाकिस्तानी अतिक्रामक मारा गया था। इस के अतिरिक्त 9 घायल हुए थे ।

Price of Milk in Military Farms

2338. **Shri Sidheswar Prasad** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the average prices of the milk produced in various military dairy farms throughout the country from 1960-61 to 1964-65 respectively ;

(b) the reasons for these prices being more than the market prices ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to bring these prices to the market level ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju):

(a)

Year	Average cost of production of milk
	Rs.
1960-61 .	1·47 per litre
1961-62 .	1·43 ,,
1962-63 .	1·68 ,,
1963-64 .	1·72 ,,
1964-65 .	Not yet known as the accounts are yet to be finalised.

The above cost is inclusive of pasteurisation and delivery charges, depreciation on live stock, buildings, plant and machinery, and interest on capital.

(b) (*i*) The quality of military farm milk is generally superior. Hygienic and clean milk is supplied at the Unit lines or at the homes on payment customers twice a day with the help of modern plant and vehicles.

(*ii*) Military Farms employees are subject to Central Government rates of pay, Minimum Wages Act and the Labour Laws. Establishment charges are, therefore, higher.

(*iii*) Stall feeding of animals in the absence of well developed pastures.

(*iv*) High maintenance cost of animals under scientific and hygienic conditions in proper sheds.

(*v*) Rearing of unwanted calves upto one month for free gift to civil breeders.

(*vi*) Increasing cost of Bran, oilcakes and gram, which are procured centrally through the Ministry of Food and Agriculture.

(*vii*) Cost of production at Military Farms is not comparable with that of the private sector where bulk of milk supply is from gowalas and farmers who maintain cattle under primitive conditions, and use very little concentrates. Further, interest charges on capital and the cost of labour put-in by the members of the family are usually not reflected in the price at which milk is sold.

(c) (*i*) Feeding scales have been rationalised and economised.

(*ii*) Annual requirements of gram and barley are purchased during the harvesting season when market rates are lowest.

(*iii*) Economy in use of services and stores.

(*iv*) Better administrative control to eliminate leakages and wastages.

(*v*) Reduction in establishment where feasible.

(*vi*) Progressive introduction of commercial type vehicles in place of military type vehicles as maintenance/repair cost is less in the case of former.

(*vii*) Rationalisation of purchase procedure.

(*viii*) Progressive mechanisation of cultivation, dairy and transport operations at the Military Farms.

आर्मी जनरल के लिय आवास

2339. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक आर्मी जनरल को आवास देने के लिये, जिसका मासिक वेतन 2250 रु० था 3900 रु० मासिक किराये पर एक मकान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) राजा सन्तोष मार्ग पर कलकत्ता में मकान नं० 2 राज्य सरकार की मार्फत अधिग्रहण किया गया था। कल्क्टर ने उस मकान का मुआवज़ा 3900 रु० मासिक निर्धारित किया था ।

(ग) चूंकि पूर्वी कमान मुख्यालय के लखनऊ से कलकत्ता में स्थानान्तरित किये जाने के कारण वास्य भवनों की कमी थी, स्थानीय सैनिक अधिकारियों ने इस पर विचार से इस संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए बातचीत चलाई थी, कि उसका किराया उस किराये से अर्थात् 16000 रु० मासिक से अधिक न होगा, जिस पर उसे पहले किराये पर दिया गया था । उस भवन को त्याग देने का निर्णय कर लिया गया है ।

Minimum Scales of the staff in Military Canteens

2340. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recommendations of the Pay Commission regarding the employment of staff on a minimum scale in the canteen/tiffin rooms have been implemented in the C.O.D., Delhi Cantonment, Ordnance Depot, Shakur-basti, 505, Command Workshop, Delhi Cantt., Central Vehicle Depot, Palam (Delhi) and in other places ;

(b) if not, the reason therefor ; and

(c) when orders in this behalf were received from the Ministry of Home Affairs ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). The orders in this behalf which were issued by the Ministry of Home Affairs on 10th December 1964 were received in this Ministry on 17th December 1964. They are not applicable to canteens/tiffin rooms in the Central Ordnance Depot, Delhi Cantonment, Ordnance Depot, Shakurbasti, 505, Command Workshop, Delhi Cantonment, Central Vehicle Depot, Palam (Delhi) and in such other places and therefore, the question of implementing those orders in these places does not arise.

हण्टर विमान की खरीद

2341. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार से हण्टर विमानों के कुछ स्क्वाड्रन खरीदने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्राप्त होने की कहां तक आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) . यू० के० सरकार से हण्टर विमानों का स्क्वाड्रन खरीदने का कोई सुझाव नहीं है । तदपि यू० के० में इस विमान के निर्माताओं से कुछ हण्टरों के खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, ताकि भारतीय वायु सेना के वर्तमान हण्टर स्क्वाड्रन को बनाए रखा जा सके ।

छिपे नागा नेताओं से पत्र

2342. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शांति मिशन के नाम भेजे गए 16 मार्च, 1965 के छिपे नागा नेताओं के प्रकाशित पत्र की एक प्रमाणीकृत प्रति मिल गई है जिसमें नागालैंड में विमान सन्धि की शर्तों की पुष्टि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पत्र में ठीक ठीक क्या लिखा हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) छिपे नागा नेताओं ने 16 मार्च, 1965 को शांति मिशन के नाम जो पत्र भेजा था, हमें उसकी एक प्रति मिल गई है, जो कि शांति मिशन ने नागालैंड के मुख्य मंत्री को भेजी थी ।

(ख) इस पत्र में छिपे नागाओं की नागा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष, श्री फ़िजो से सलाह-मशविरा करने की उत्सुकता व्यक्त की गई है, और उनकी यह अभिलाषा भी कि बर्मा सरकार से यह कहा जाए कि वह उन्हें (श्री फ़िजो) बर्मा आ जाने दे जहां उनके प्रतिनिधि उनसे मुलाकात कर लेंगे । इसमें आगे यह कहा गया है कि उन्होंने कई महीने पहले यह मांग की थी कि उनके प्रतिनिधियों को लन्दन जाने की सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं जिससे कि वे इस बातचीत में जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, उन पर विचार-विमर्श कर सकें ।

इसमें यह भी कहा गया है कि अब उन्होंने शांति मिशन के प्रस्तावों की जांच करने के लिए अपने 'संसद्' की बैठक बुलाई है, परन्तु वह अपने प्रधान के विचार जानना चाहेंगे कि शांति मिशन के प्रस्तावों को आगे की बातचीत का आधार बनाया जा सकता है या नहीं । ऐसा करके वे वचन दे सकेंगे जो कि बिना उनसे विचार-विनियम किए देना सम्भव न होगा । आगे इस पत्र में शांति मिशन को यह आश्वासन दिलाया गया है कि वे शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहेंगे । इसमें कहा गया है कि उन्होंने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए क़दम उठाए हैं कि लड़ाईबन्दी सम्बन्धी क़रार की हथियारों को लेकर चलने से सम्बद्ध शर्तों का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा, विशेषकर, लड़ाईबन्दी की अवधि के दौरान नागालैण्ड में हथियार लाने से सम्बद्ध शर्त का, जिसका तब तक पालन करने का उन्होंने वचन दिया है जब तक कि उनके आदमियों पर पहले आक्रमण न किया जाए । इस पत्र में लड़ाईबन्दी की अवधि को लम्बे समय तक के लिए बढ़ा देने और शांति वार्ता को तब तक के लिए स्थगित कर देने की मांग की गई है जब तक कि वे अपने प्रधान से सलाह-मशविरा न कर लें ।

भारतीय विदेश सेवा अधिकारी

2343. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा में कुल कितने अधिकारी हैं ; और

(ख) उनमें से कितने एशिया, यूरोप तथा उत्तरीय अमरीका के देशों में राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 25 ।

(ख) एशिया में ६, यूरोप में 12, उत्तरी अमरीका में 1 ।

पश्चिमी जर्मनी क सम्बन्ध में अरब लीग का दृष्टिकोण

2344. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में अरब लीग के मुख्य प्रतिनिधि डा० क्लोविस मक्सूद द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "भारत महसूस करेगा कि अरब लोगद्वारा पश्चिम जर्मनी के खिलाफ़ हाल में उठाये गये गये कदमों का उद्देश्य अरब भूमि से साम्राज्यवाद तथा जातिवाद के अन्तिम अवशेष को समाप्त करना था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) और (ख) . सरकार ने भारत स्थित अरब लीग के प्रतिनिधि का बयान देखा है जो उन्होंने अरब राज्य लीग के अवसर पर दिया था । साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरूद्ध भारत के समर्थन की बात सभी जानते हैं। सरकार समय-समय पर अरब की आकांक्षाओं के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती रही है ।

Central Information Service

2345. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. L. Barupal :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Gazetted Officers of the Central Information Service working in News Services Division of the A.I.R. from 10·00 a.m. to 5·00 p.m. are allowed to avail themselves of all the gazetted holidays and second Saturdays off during a year;

(b) if so, whether it does not amount to discrimination in the conditions of service between the officers working in day and night shifts in the News Service Division and of the officers and correspondents working in the News Service Division and Press Information Bureau during day time only ;

(c) the facilities given to the officers working in day and night shifts in lieu of their not availing holidays ;

(d) whether Government propose to extend the facilities of leave allowed to the employees working in day and night shifts in organisations like Indian Airlines Corporation and Air India to the persons working in News Services Division also ; and

(e) if not, whether there is any proposal to give any special allowance to the correspondents working in the News Services Division of the A.I.R. ?

Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) :

(a) Yes, Sir. These officers are given the usual holidays, subject to the exigencies of the service.

(b) It is correct that there is a difference in the conditions of work of officers working in shift duties in the News Services Division and those working in this Division and Press Information Bureau during day time only. In a broadcasting organisation such internal variations are inevitable.

(c) None.

(d) and (e). No such proposals are under Government's consideration at present. To the best of Ministry's knowledge Gazetted Govt. servants, whether in State or Central Service, are not entitled to such facilities. This situation is not peculiar to the Central Information Service.

Hindi Typists in P.I.B.

2346. **Shri Prakash Vir Shastri :**
&Shri Kishen Pattnayak :
Shri Rameshwaranand :
Shri P. L. Barupal :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts of Hindi typists, Hindi Steno-typists and Hindi Teleprinter Operators in the Press Information Bureau are not included in the Central Secretariat clerical service while all such posts on the English side are included therein; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) :

(a) and (b). Posts of Typists, Steno-typists and Teleprinter Opeators—both for English and Indian languages in the headquarters, regional and branch officer of P.I.B. at various places throughout India were earlier included in C.S.C.S. Posts in offices outside Delhi were excluded from the Service as difficulties arose in the matter of transfer of persons to these posts. The posts of Hindi typists, Hindi Steno-typist and Hindi teleprinter operator in the Bureau's headquarters office at New Delhi were also simultaneously excluded from the Service as these posts did not satisfy the criteria of inter-changeability and difficulties arose in the matter of finding persons having proficiency in Hindi.

एशियाई-अफ्रीकी इस्लामिक सम्मेलन

2347. **श्री शिंकरे** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्त्ता में भारतीय दूतावास हाल में बांडुंग में हुए एशियाई–अफ्रीकी इस्लामिक सम्मेलन में भारत को बदनाम करने के पाकिस्तान, चीन तथा इंडोनेशिया के संयुक्त षडयंत्र को असफल बनाने में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सफलता का प्रचार करने में असमर्थ रहा जैसी कि उस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य श्री मुहम्मद शफी कुरेशी ने शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) यह सच नहीं है कि जकार्त्ता-स्थित भारत राजदूतावास हाल में बांडूंग में हुए एशिया–अफ्रीका इस्लामिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सफलता का प्रचार करने में असफल रहा है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

संसद् सदस्यों को डायरियों का दिया जाना

2348. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों को प्रतिवर्ष सुन्दर सचित्र डायरियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर वार्षिक कितना व्यय किया जाता है ।

(ग) क्या सरकार मितव्ययता की दृष्टि से संसद् सदस्यों को डायरियां देना बन्द करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां । सचित्र डायरियां वितरित की जाती हैं। 1965 की डायरी पर लगभग 2,320 रुपये खर्च हुए ।

(ग) और (घ) . संसद् सदस्यों को डायरियां बांटना बन्द करने से जो बचत होगी वह नगण्य है । परन्तु इस विषय में ससंद् सदस्य जैसा चाहेंगे वैसा किया जायेगा ।

रूमानिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति की अन्त्येष्टि

2349. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत मार्च में बुखारेस्ट में रूमानिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति, श्री ध्यांरगे ध्यारग्यू देज की अन्त्येष्टि के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये क्या प्रबन्ध किए गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : 24 मार्च, 1965 को बुखारेस्ट में रूमानिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति, श्री ध्यांर्ग्य ध्योर्ग्यू देज के अन्त्यष्टि संस्कार में विदेश मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मी न० मेन और बुखारेस्ट में भारत के राजदूत ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया ।

बहरीन में प्रदर्शन

2350. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बहरीन में हुए हिंसक प्रदर्शनों में वहां रह भारतीयों को जान व माल की कुछ हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीयों को कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) बहरीन में हाल ही में जो दंगे हुए थे, उसमें दो भारतीय राष्ट्रिकों को चोटें आई थीं । अन्य चार व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुचा था । किसी भी भारतीय राष्ट्रिक की जान जाने की सूचना नहीं मिली ।

(ख) पूरी सूचना अभी नहीं मिली है ।

Award for late Brigadier Hoshiar Singh

2351. Shri Yudhvir Singh : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government do not propose to give any military or civil award to martyr Brigadier Hoshiar Singh ; and
(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b).—Cases for award of gallantry and other decorations (including civil aawrds) to individual Army officers are considered by Government on receipt of recommendations from the Army authorities under whom the officers concerned were serving. No recommendation for the award of any kind in respect of late Brigadier Hoshiar Singh has been received.

बीड़ी मजदूर

2352. **श्री ह० च० सोय :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी मजदूरों का शोषण रोकने तथा उनकी काम करने की दशा सुधारने के हेतु सरकार का विचार एक विधान बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां । बीड़ी और सिगार उद्योगों में कामगरों के काम की दशा को नियमित करने हेतु केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) विधान में बीड़ी और सिगार औद्योगिक परिसर को लाइसेंस देने, प्रवर्तन (एनफोर्समैंट) मशीनरी नियुक्त करने, साप्ताहिक छुट्टी, सवेतन वार्षिक छुट्टी, समयोपरि दरों, बालगृहों, कैंटीनों, प्रसूति छुट्टी की सुविधाओं, काम का समय नियमित करने, तथा मजदूरी अदायगी अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि को लागू करने की व्यवस्था होगी ।

सुच्चा सिंह को लाने के लिये भारतीय वायु सेना का विमान

2353. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने काठमांडू से सुच्चा सिंह को लाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय से भारतीय वायु सेना का एक विमान देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). सुच्चा सिंह को काठमांडू से लाने के लिए, पंजाब सरकार से भारतीय वायु सेना के एक विमान की प्रार्थना प्राप्त हुई थी, संबंधित उड़ानों की लागत की अदायगी पर, पंजाब सरकार के अधिकारियों को वास्तविक आवश्यकता पड़ने पर, विमान देना स्वीकार कर लिया गया था ।

ल्हासा में भारतीयों की नजरबन्दी

354. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रामसेवक यादव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1965 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनियों ने 1959-60 में काश्मीर के जिन 5 भारतीय मुसलमानों को गिरफ्तार करके ल्हासा में नज़रबन्द रखा है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 5 दिसम्बर, 1964 को भारत सरकार ने उक्त विषय पर चीन सरकार को एक नोट भेजा था । भारत सरकार का नोट श्वेत-पत्र नंबर XI में प्रकाशित हुआ है । चीन सरकार ने इस नोट का अभी तक उत्तर नहीं भेजा है ।

अरब लीग मिशन

2355. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अरब लीग मिशन को राजनयिक स्तर का बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन कब किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार दिल्ली में अरब लीग के प्रतिनिधि का एक स्वतंत्र कार्यालय खोलने के लिए राजी हो गई है । अरब लीग के महासचिव को इसकी सूचना फरवरी, 1965 में दे दी गई थी जबकि वह दिल्ली आए हुए थे ।

(ख) जैसे ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जायेंगी ।

लौह-अयस्क कल्याण उपकर

2356. **श्री ह० च० सोय :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपकर विनियमों के लागू होने से अब तक बिहार के सिंहभूम जिले में खानों से लौह-अयस्क श्रम कल्याण उपकर के रूप में कितनी राशि इकट्ठी हुई है ; और

(ख) क्या प्रबन्धकों तथा उपकर प्राधिकारियों ने मजदूरों के रहने के स्थानों तथा चिकित्सा सुविधाओं में, विशेषकर नोआमंड, गुआ और चिरिया खानों में, सुधार करने के लिये कोई योजना तैयार की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) 16,30,444.10 रु० ।

(ख) कच्चा लोहा खान कामगरों को चिकित्सा सुविधायें देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं और वे विचाराधीन हैं :—

(i) तपेदिक से पीड़ित कामगरों का उनके घरों पर इलाज करना ।

(ii) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के नोआमुंडी अस्पताल के लिए एक्स-रे यूनिट की व्यवस्था करना ।

(iii) बाराजमदा में चलती-फिरती चिकित्सा गाड़ी सहित एक अस्पताल खोलना ।

आवास-गृहों के सुधार के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई, परन्तु इस मामले पर विचार हो रहा है ।

Expenditure on A.I.R.

2357. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hem Barua :
Shri Shinkre :
Shri S. C. Samanta :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri D. C. Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Daji :

Will the Minister of **Information and Brioadcasting** be pleased to state :

(a) the total provision made in respect of expenditure on administrative posts and staff artistes of All India Radio respectively during 1964-65 ;

(b) the total number of Programme Executives, Producers and Assistant Producers, respectively working at the various All India Radio Stations ;

(c) the number of programme Executives and Transmission Executives who have been employed in Delhi, Bombay, Clacutta and Madras Stations of All India Radio for the last three to five years ?

The Minister of Information and Broadcasting(Smt. Indira Gandhi): (a) Separate provisions for administrative, programme and engineering posts are not made in the Budget. Total provision made for pay and allowances of officials of All India Radio (Gazetted and Non-Gazetted) was Rs. 2,61,93,600 during 1964-65.

Similarly no separate provision is made for Staff Artists, Production Staff and Casual Artists. The figure shown in the Demand Book against the sub-head 'Allowances to Artists' was Rs. 1,02,40,900 during 1964-65 which included provision of Rs. 1,10,500 under "Plan".

(b) Programme Executives 312

Chief Producers . .	6
Deputy Chief Producers . .	4
Producers	51
Assistant Producers .	144
Sangit/Sahitya Salahakars . .	8

(c) A Statement is enclosed. **[Placed in the Library, See No. LT-4210/65].**

Staff Artistes in A.I.R.

2358. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sinkre :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri D. C. Sharma :
Shri S. C. Samanta :
Shri Daji :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the staff artistes of the All India Radio working in hill stations would also be given hill allowance at the rate of eight per cent of their pay as is given to Government employees in cities in the form of city compensatory allowance ;

(b) whether the staff artistes are also paid overtime allowance like Government servants for their overtime duty ;

(c) whether there is a provision to grant medical leave on half pay to the staff artistes as admissible to Government servants; and

(d) the number of artistes at various stations of the A.I.R. who are still working as Casual Artistes even after completion of their three months probation period ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. Hill (Compensatory) allowances are admissible to the Staff Artistes of All India Radio on the same terms and conditions as are app cable to regular Government servants.

(b) No. Sir.

(c) The matter is under consideration.

(d) The number of Casual Artists working on a month to month basis at various stations of All India Radio is 393. They are not appointed on probation.

प्रतिरक्षा विज्ञान में प्रशिक्षण

2359. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा विज्ञान में प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन स्कूलों में आरम्भ की जायेगी ; और

(ग) इस योजना से कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) रक्षा विज्ञान के अप्रेन्टिसों के लिए सरकार ने पहले से एक प्रशिक्षण योजना पुरःस्थापित कर रखी है । यह एक पंचवर्षीय योजना है जो 1964-65 से काम कर रही है और हर दो वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षण योग्य है ।

(ख) (1) ईलेक्ट्रानिकी स्कूल, (2) आर्मामेण्ट स्कूल — आर्मामेण्ट उद्योग विद्या संस्था डापोडी, पूना के सहयोग से ।

(3) प्राथमिक विज्ञान स्कूल रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, मेटकाफ हाऊस दिल्ली के सहयोग से ।

(ग) तीनों स्कूलों में से प्रत्येक, पहले वर्ष 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए, और तदनुसार हर वर्ष 100 उच्च अप्रेंटिसों के लिए अभिकल्पित है । इसके अतिरिक्त, आर्मामेण्ट स्कूल तुल्य संख्या में कनिष्ठ अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा ।

Post Offices in Mysore

2360. Shri Veerappa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices, sub-post offices and public call offices as on the 31st December, 1964 in the State of Mysore ; and

(b) the number of such offices proposed to be opened during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a)

(*i*) Post offices, all categories except Sub Post offices . .	5,871
(*ii*) Sub Post Offices	942
(*iii*) Long Distance Public Call Offices	190
(b)(*i*) Branch Post Offices	280
(*ii*) Sub Post Offices	20
(*iii*) Long Distance Public Call Offices	50.

मैसूर में बेरोजगार व्यक्ति

2361. श्री वीरप्पा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को मैसूर राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मैट्रिक या इससे ऊंची परीक्षाएं पासशुदा 50,518 उम्मीदवारों ने रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नाम दर्ज कराये थे ।

(ख) अनुसूचित जाति के उम्मीदवार . . .	2,461
अनुसूचित कबीले के उम्मीदवार . . .	24

Infiltration of Tibetans in U.P.

2362 { **Shri Balgovind Verma :** / **Shri Vishwa Nath Pandey :** / **Shri P.L. Barupal :** / **Shri Brij Basi Lal :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Tibetans have infiltrated into village Kauriala Ghat, district Lakhimpur-Kheri, situated on U.P. border, and living there in tents;

(b) whether U.P. Government have drawn the attention of the Central Government to this matter ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this connection?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes Sir, about one hundred Tibetans arrived in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh recently and are living there in tents.

(b) Yes Sir.

(c) These tTibetans are being persuaded to go back to Nepal. However, on their request three of their representatives have been allowed to meet His Holiness the Dalai Lama. Further action will be taken as necessary.

"पलाइंग बाऊंटी"

2363. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के अधिकारी "पलाइंग बाऊंटी" के हकदार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) 15 अप्रैल, 1962 के बाद कितने अधिकारियों ने यह 'पलाइंग बाऊंटी' उपार्जित की है ; और

(घ) यदि इस अवधि में किसी ने भी उपार्जित नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) सेवा के विमान में उड़ान के जैसे नीचे बताया गया है कम से कम निर्धारित घण्टों की सम्पूर्ति पर, स्वीकृत सिब्बन्दी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले जनरल डयूटी ब्रांच के विमान चालक और दिग्चालक तथा विमानों के अफसर कर्मीदल, उड़ान भत्ते के अधिकारी हैं :—

1. संक्रियात्मक कार्य में प्रवृत्त यूनिटों की स्वीकृत सिब्बन्दी के लिए नियुक्त अफसर — वर्ष में 72 घण्टों की उड़ान

2. संक्रिया से असम्बंधित सिब्बन्दियों में नियुक्त अफसर — वर्ष में 36 घण्टों की उड़ान

उड़ान भत्ते की चालू दरें इस प्रकार हैं :—

पद	दर प्रति वर्ष
पाईलट अफसर, फ्लाइंग अफसर, फ्लाईट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर . .	3000 रुपये
ग्रुप कैप्टन और एयर कमोडोर . .	2700 रुपये
एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल . . .	1800 रुपये

वायु सेना के तकनीकी तथा चिकित्सा विभागों के अफसर उपरोक्त दरों पर उड़ान भत्ते के अधिकारी हैं, अगर वह विमानदलों के कर्तव्य के लिए अर्ह हों, उन्होंने विमानदल के तौर पर निर्धारित घंटों की उड़ान सम्पूर्ण कर ली हो, और जनरल ड्यूटी ब्रांच की स्वीकृत सिब्बन्दी में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के सिवाए उड़ान भत्ता पाने की अन्य शर्तें पूरी कर ली हों ।

सामान्यतः उड़ान भत्ते की अदायगी हर वर्ष की जाती है, परन्तु वह हर मास अथवा त्रिमास में क्रमशः बारहवें अथवा चौथे भाग में भी अदा की जा सकती है, अगर उड़ान घंटों का बारहवां अथवा चौथा भाग उस मास अथवा त्रिमास विशेष में सम्पूर्ण किया गया हो ।

(ग) उड़ान भत्ते के लिए वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ हो कर 31 मार्च को समाप्त होता है । उड़ान के कम से कम निर्धारित घंटों की सम्पूर्ति सहित जिन अफसरों ने सभी निर्धारित शर्तें पूरी कर ली हैं, वह सभी 1962-63, 1963-64 और 1964-65 वर्षों के लिए उड़ान भत्ता पाने के अधिकारी हैं । ऐसे अफसरों की संख्या प्रकट करना लोक-हित में नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठते ।

लंका मजदूर कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल

2365. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका मजदूर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 6 अप्रैल, 1965 को प्रधान मंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य था ; और

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री से लंका में भारतीय उद्भव के लोगों की समस्याओं पर भी बातचीत की थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं । श्री थोंडामन और श्री वी० अन्नामली सौजन्यता के नाते 6 अप्रैल, 1965 को प्रधान मंत्री से मिले थे । बातचीत के दौरान श्री थोंडामन ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किये कि 30 अक्तूबर, 1964 के भारत–श्रीलंका करार पर किस ढंग से अमल किया जाना चाहिए ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वी पाकिस्तान से 300 विद्रोही नागाओं के प्रवश के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he would make a statement thereon:

"Reported entry into Nagaland of 300 Naga hostiles returning from East Pakistan with arms and ammudition."

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): अध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1500 विद्रोही नागाओं का एक दल जो 1964 के अन्त के लगभग पाकिस्तान प्रवेश पा गया था, इस समय पूर्वी पाकिस्तान से हथियारों सहित लौट रहा है। यह दल मिज़ों पर्वतमाला के इर्द गिर्द घूमता हुआ इस समय मिज़ों पर्वतमाला जिला की पूर्वी सीमा के साथ बर्मी भूभाग में से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह विद्रोही नागा चिन्दविन नदी के साथ-साथ दो मुख्य दलों में बट कर यात्रा कर रहे हैं। लगभग 673 विद्रोहियों का एक दल, (बर्मा में) टोन्हें के रास्ते जो मणिपुर सीमा से पूर्व में लगभग 12 मील है, आगे बढ़ा और सीमा से लगभग 14 मील पूर्व (बर्मा में) थावुन तक आ गया है। 900 विद्रोहियों का दूसरा दल (बर्मा में) पोखानो के रास्ते आगे बढ़ा जो सीमा से लगभग 21 मील पूर्व को है, और (बर्मा में) हिरणकूट पंहुच गया है, जो मणिपुर सीमा से लगभग 8 मील पूर्व को है और नागालैण्ड सीमा से लगभग 14 मील दक्षिण की। रिपोर्ट मिली है कि दोनों दलों का लक्ष सोनरा क्षेत्र है जो नागालैण्ड के कोहिमा जिला और बर्मा से मिलता है और जहां से उनका भारतीय सत्ताक्षेत्र में प्रवेश प्रत्याशित था।

सरकार इन विद्रोहियों की गतिविधि से परिचित है, और सुरक्षा सेनाएं इन नागा विद्रोहियों को नागालैंड में न घुसने देने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही हैं। 9 अप्रैल, 1965 के **हिन्दुस्तान टाईम्ज** में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट की पुष्टि में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

भारत सरकार ने इन विद्रोही नागाओं और अन्य कबाईली लोगों को हथियार और गोली बारूद देने तथा उन्हें तोड़ फोड़ तथा लुके-छिपे आक्रमण करने में प्रशिक्षण देने के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार को एक विरोधपत्र भेजा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government have sealed our border and stationed the army there in order to prevent the entry of Naga hostiles into our territory? What are the sources from which they get the arms used by them and what is the reaction of the Government to the supply of arms to Naga hostiles by Pakistan?

Mr. Speaker : The hon. Member often makes complaints that his questions are not replied to. It should be realised by the hon. Member that it becomes difficult for Minister to reply to so many supplementaries put together.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के तीन मील के क्षेत्र के अन्दर हमारी सुरक्षा टुकड़ी गश्त लगाती रहती है। मैं समझता हूं कि यह प्रभावी कार्यवाही है। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि पूरी तरह उसे 'सील' (बंद) कर दिया गया है। 'सील करना' भ्रामक शब्द है। मुझे आशा है कि इस बार हमारी सुरक्षा टुकड़ियां उनके प्रवेश को रोक सकेंगी।

श्री रंगा (चित्तूर): क्या सरकार को भूमिगत नागा नेताओं के इस बयान का पता है कि भारत के विरुद्ध वे जीवन-मरण के संघर्ष में जुटे हुए हैं अतः वे जहां से भी हो सकेगा हथियार प्राप्त करेंगे और यदि हां, तो क्या सरकार, विशेषरूप से प्रधान मंत्री, भूमिगत नागा नेताओं को चेतावनी देंगे कि यदि वे पाकिस्तानी हथियारों से लैस कर नागालैंड में प्रवेश करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : नागा लोगों का एक वर्ग हथियारों का प्रयोग करने पर विश्वास करता है किन्तु उनका एक दूसरा वर्ग भी है जिसका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। कुछ भूमिगत नागा हथियार जमा कर रहे हैं। मैं इस संबंध में केवल यह कह सकता हूं कि हम किसी भी स्थिति का, जैसे भी वह उत्पन्न होगी प्रभावी रूप से मुकाबला करेंगे। हम अवश्य इस बात की चेतावनी देंगे कि यदि उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो ऐसा करना समझौते का भंग करना समझा जायेगा। हां, मेरा आशा नहीं यह है कि हम वार्ता भंग कर देंगे।

Shri Bagri (Hissar) : I rise on a point of order. It is really unfortunate that Ministers do not come here fully prepared. Just now the Prime Minister has received a chit. They should realise their responsibilities a little more and come here with adequate information.

Mr. Speaker : If the Ministers do not realise their responsibilities it is a matter for the House and not for me. But I don't think that it is improper if Ministers receive information from their Secretaries. After all they are there for this very purpose in their box.

Shri Rameshwar Tantia (Sikar) : It is more than one year since we have been making efforts for peaceful negotiations with Naga hostiles. Keeping in view the subversive activities of Naga hostiles, may I know whether Government still propose to extend the period for talks with them or they contemplate to take some action against them?

Shri Lal Bahadur Shastri : I think the House is generally of opinion that we should continue the present peace talks.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): क्या विद्रोही नागा पुलिस चौकियों पर हमला आदि करने अनुचित कार्यवाहियां इसलिये कर रहे हैं कि के पाकिस्तान से जो विद्रोही नागा हथियार लेकर आ रहे हैं उन्हें भारत में प्रवेश करने में आसानी हो, और यदि हां, तो क्या सरकार न केवल नागालैंड सीमा पर ही अपितु नागालैंड-मनीपुर और बर्मा-पाकिस्तान सीमा पर भी गश्त लगाने का कार्य बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: हमें इस मामले में प्राप्त होने वाली सूचनाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार वे लोग इस समय बर्मा की सीमा से ही आ रहे हैं। अतः हम इसके संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे। दूसरे सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : May I know the reaction of Pakistan Government on the Protest Note sent by us and whether Government also propose to take some steps in order to prevent Naga histile from going to East Pakistan for taking training and collecting arms and ammunition from there ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है पाकिस्तान ने, जैसीकि हमें पहले ही आशा थी, नागाओं को किसी प्रकार की सहायता देने की बात से इन्कार किया है । प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री बता चुके हैं कि हम नागाओं क प्रवेश को रोकने संबंधी सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

Shri Raghunath Singh (Varansi) : May I know whether Government propose to take any action against those 1500 hostile Nagas who are entering into our territory inspite of the peace talks?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह बताया जा चुका है कि सीमा के तीन मील के अन्दर तक हमारी सुरक्षा टुकड़ियां प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे नागाओं के प्रवेश को रोकेंगी और आवश्यकता पडने पर कड़ी कार्यवाही करेंगी ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री ब्रजराज सिंह तथा श्री बड़े, श्री किशन पटनायक तथा श्री राम सेवक यादव से विशेषाधिकार के बारे में दो सूचनायें मिली । मैं सभा के समक्ष इनको पढ़ देता हूं :

> "सभा के विशेषाधिकारी के भंग संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की मुझे अनुमति दी जाये लोक लेखा समिति को आगे जानकारी तथा अपना स्पष्टीकरण देने के बजाये भारत सेवक समाज ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में हाल ही में की गई आलोचना का सार्वजानिक रूप में उत्तर दे करके सभा के विशेषाधिकार को भंग किया है।" लोक लेखा समिति द्वारा बताई गई त्रुटियों तथा लगाये गये आरोपों की सार्वजनिक रुप से अथवा समाचार पत्रों में भारत सेवक समाज द्वारा आलोचना नहीं की जानी चाहिये थी, इससे सभा के विशेषाधिकार का भंग होता है।"

इसके पश्चात् मुझे माननीय सदस्य से इस आशय का पत्र मिला कि इस प्रकार के मामले से लोगों में संसद् के प्रति प्रतिष्ठा, श्रद्धा तथा विश्वास कम होता है । अतः नियम 222 के अनुसार विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चहिये । श्री व्रज राज सिंह इस संबंध में कुछ कह सकते है ।

Shri Brij Raj Singh (Bareily) : The Public Accounts Committee is a responsible body of Parliament which thoroughly scrutinises a matter before coming to any conclusion. If any body publicly criticises its findings, instead of submitting an explanation, to the P.A.C., commits a breach of privilege of the Parliament.

Shri Ram Sewak Yadava (Barabanki) : The Bharat Sewak Samaj did not furnish any accounts to the Public Accounts Committee of the monies granted to it by the Central Government in spite of having been repeatedly asked to do so. It has become clear to the Public Accounts Committee that its accounts are not kept properly or audited. It is highly improper for the spokesman of the Samaj to go to the press and defend its working in a way that ascribes motives to the Public Accounts Committee. It is highly objectionable and the matter must be referrd to the Privileges Committee.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 227 में यह दिया गया है कि : -

> "इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच अनुसन्धान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा ।"

नियम 228 में यह कहा गया है कि :

> "अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से सम्बन्धित सब विषयों के बारे में, प्रक्रिया के विनियमन के लिए, ऐसे निदेश दे सकेगा जो आवश्यक हों ।"

मैं आपसे इन नियमों के अनुसार निर्णय देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): महोदय यह नियम 224 के अन्तर्गत लिए जाने की सभी शर्तें पूरी करता है अतः इसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए सौंपा जाना चाहिये । यदि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की अनुमति नहीं दी गई तो यह भविष्य के लिये एक बुरा उदाहरण कायम होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : लोक लेखा समिति द्वारा, जो इस सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है, की गई आलोचनाओं पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति करना उचित नहीं है विशेष रूप से जब कि इस समिति को इस सम्बन्ध में आग जानकारी तथा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था । अतः स्पष्टतः यहप्मामला विशेषाधिकार के भंग का है और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर) :भारत सेवक समाज गैर-सरकारी संस्था होते हुए भी सरकार से सम्बन्धित है । यह सरकार से ठेके तथा वित्तीय सहायता लेता है । इसे भी उसी प्रकार कार्य करना चाहिये जिस प्रकार अन्य विभाग तथा संस्थाएं करती हैं । यह विशेषाधिकार के भंग का स्पष्ट मामला है अतः इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दिल्ली प्रदेश भारत सेवक समाज के अध्यक्ष श्री बृज किशन चांदीवाला से, जिन्होंने लोक लेखासमिति का सार्वजनिक रूप में आलोचना की थी, पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है :

> "मुझे संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है । . . . . . मेरा अभिप्राय समिति पर या उसके सदस्यों पर किसी प्रकार का आक्षेप करने का नहीं था ।"

उन्होंने अपने वक्तव्य पर खेद प्रकट किया है और क्षमा मांगी है ।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है । इससे भी गम्भीर बात यह है कि गृह-कार्य मंत्री ने गोष्ठी कक्ष में कई सदस्यों की उपस्थिति में लोक लेखा समिति के सभापति से कहा था कि प्रतिवेदन में दी गई बातें गलत हैं और समिति कांग्रेस के विरुद्ध कार्य कर रही है । ऐसा भी पता चला है कि प्रतिवेदन के प्रकाशित होने से पहले समिति

की उपपत्तियों का पता लगाने तथा उनमें संशोधन कराने का भी प्रयत्न किया गया था । इसके लिए कुछ बड़े लोगों तक पहुंच भी की गई थी । इस मामले की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए । अतः इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : May I know whether the talks held in the lobby are covered by the rules regarding Privilege Motion?

Mr. Speaker : In my opinion lobby is a part of the House.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं । क्या गोष्ठी कक्ष तथा सभा में आपस में की गई बातचीत को सभा की कार्यवाही समझा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इस सभा में जो कुछ हुआ है उससे स्पष्ट है कि आपने इस प्रश्न को ग्रहण कर लिया है। विपक्ष के माननीय सदस्य का पत्र नियम 224 की सभी शर्तों को पूरा करता है। इसलिये नियम 225 के अन्तर्गत हम चर्चा कर रहे हैं । जब तक कि प्रधान मंत्री या अन्य कोई लोक लेखा समिति की आलोचना का खण्डन नहीं करता प्रस्ताव को ग्रहण किया जाना चाहिये । यह सच है कि यह एक तथ्य का मामला है । इस पर आगे चर्चा करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई भी इसका खण्डन नहीं करता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सीधा सा मामला है । तथा कोई सदस्य इसके विपक्ष में बोलना चाहते हैं ?

श्री खाडिलकर (खेड) : प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में विशेषाधिकार भंग हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं तथ्यों के बारे में पूछ रहा हूं । दूसरी बात यह है कि क्या इसको विशेषाधिकार भंग माना जाये ।

श्री खाडिलकर : समाचारपत्रों में जो वक्तव्य आया है वह तथ्य है (**अन्तर्बाधाएं**) । परन्तु उसमें लोक लेखा समिति का जिक्र नहीं है । उसमें कुछ तथ्य दिये गये हैं । पहली बात तो यह दी गई है कि यह सामाजिक संगठन कुछ ऐसी कार्यवाहियां कर रहा है जिनका जनता को पता नहीं है ।

दूसरे यह कि यह एक पंजीबद्ध निकाय है । साधारणतया विनियामक अधिनियमों में यह उपबन्ध होता है कि यदि एक पंजीबद्ध निकाय विशेषाधिकार भंग करता है तो कोई न कोई व्यक्ति इसके लिये ज़िम्मेदार होना चाहिये । जब तक उस व्यक्ति का पता न लगे इस सभा के अवमान के लिए कैसे किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है । मैंने वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है और इसमें भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं उठाई गई है । वक्तव्य में तो केवल संस्था की कार्यवाहियों का वृतान्त ही दिया गया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : श्री कृपलानी की बात को सुन कर मेरे दिमाग मे कुछ उलझन पैदा हो गई है । आप गोष्ठी कक्ष अथवा सेंट्रल हाल को इस सभा का भाग कैसे कह सकते हैं ।

दूसरे जहां तक इस संगठन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का सम्बन्ध है, यह देखना है कि क्या समिति के सामने भी यही स्पष्टीकरण दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : गोष्ठी कक्ष सभा के अंग हैं । परन्तु गोष्ठी कक्षों में किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यहां पर इस विषय में कोई सूचना भी नहीं आई है ।

श्री जी० भ० कृपलानी : क्या एक जिमेवार मंत्री को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के लिये ऐसे शब्द कहने चाहियें ? वे किसी पार्टी का मामला नहीं है । सारी सभा का मामला है । गम्भीर मामला है । यदि हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो इस सभा का होना बेकार है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को यहां किस प्रकार उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बताने के लिये यहां पर नहीं हूं । मेरे पास यदि कोई सूचना आयेगी तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरा एक प्रक्रिया का प्रश्न है । जब श्री कृपलानी जैसे वरिष्ठ सदस्य कहते हैं कि गृह मंत्री ने लोक लेखा समिति के सभापति को बुरा भला कहा, और जबकि ये दोनों भद्र पुरुष यहां उपस्थित हैं तो इसका फैसला होना चाहिये और हमें साफ-साफ पता लगना चाहिये कि क्या बात थी । अन्यथा लोग क्या समझेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अध्यक्ष के अनुशासन का सम्बन्ध है गोष्ठी कक्ष इस सभा का अंग है । में इससे सहमत हूं कि एक वरिष्ठ सदस्य ने आरोप लगाए हैं । परन्तु में इन सब बातों की जानकारी कैसे रख सकता हूं ? मैं तो केवल चर्चा के लिए अवसर दे सकता हूं और वह मैं दे रहा हूं । आप शान्ति रखिये ।

श्री प्र० क० देव (कालाहांडी) : उनके चुप रहने के कारण ही इतना शोरशराबा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं सरकार की ओर से किसी वक्ता को बुलाता हूं तो इस ओर शोर मच जाता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उनको सुनना तो काफी रोचक होगा ।

Mr. Speaker : I can not proceed in this manner.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : There should be debate on the procedure in the House, because I am very much pained to see such thing.

श्री विद्याचरण शुक्ल: (महासमंद) : मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत सेवक समाज ने कुछ अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है । मुख्य बात यह है कि भारत सेवक समाज ने जो उत्तर दिया है उसमें लोक लेखा समिति के इरादों पर न तो कोई आक्षेप ही किया गया है और न किसी प्रकार भी समिति पर कोई लांछन ही लगाया गया है । इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है । 1953 में भी, तथाकथित जीप-घोटाले के सम्बन्ध में, जिसमें श्री कृष्ण मेनन अन्तर्ग्रस्त थे, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन इस सभा के सामने था, इस प्रकार का विशेषाधिकार

प्रस्ताव आया था । समाचारपत्रों में लोक लेखा समिति के बारे में टिप्पणियां भी की गई थीं, और अन्त में इस प्रश्न पर सभा द्वारा विचार किया गया था और लोक लेखा समिति ने अपने विवादास्पद टिप्पण वापिस ले लिये थे ।

श्री विश्राम प्रसाद : लोक लेखा समिति कभी वापस नहीं लेगी ।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैंने दोनों सूचनाओं को देखा है । पहले में 15 अप्रैल की सूचना को लेता हूं । उसमें श्री चांदीवाला के एक टिप्पण का उल्लेख किया गया है कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन मिस मेयो के प्रतिवेदन जैसा है । यदि ऐसा है तो इसमें आक्षेप की कोई बात नहीं है । पत्र में क्षमा याचना की गई है और खेद प्रकट किया गया है और इस सभा ने ऐसी क्षमा याचनाओं को सदैव ही स्वीकार किया है । मेरे विचार में तो हमें इस अवसर पर भी वैसा ही करना चाहिये ।

दूसरी सूचना के बारे में मुझे यह कहना है कि जब तक कि संसद् अथवा संसद सदस्यों अथवा संसद् की किसी समिति के आचरण पर लांछन नहीं लगाया जाता किसी भी नागरिक को उन आलोचनाओं के उत्तर में, जोकि किसी भी संस्था के आचरण अथवा प्रबन्ध के विरुद्ध की गई हों जिससे कि वह सम्बन्धित हों, ऐसे प्रतिवेदनों को रखने का अधिकार होगा ।

ये भी संसदीय प्रक्रिया में पृष्ठ 117 पर दिया गया है "1701 में हाउस आफ कामन्त ने संकल्प किया कि कोई भी ऐसी पुस्तक अथवा अवमान लेख को छापना, जो कि सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर आक्षेप करती हो, इस सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है ।"

इसी सिद्धान्त पर आपने ब्लिट्ज़ के सम्पादक की भर्त्सना की थी । दूसरी लोक सभा (हाउस आफ दी पीपल) की विशेषाधिकार समिति ने भी एक समाचारपत्र के लेख पर विचार करते समय यह कहा था कि किसी भी ऐसी राय या वक्तव्य को, जिससे सभा की कार्यवाही अथवा वणिकपोत विधेयक, 1958 सम्बन्धी संयुक्त समिति पर लांछन आता हो, विशेषाधिकार भंग समझा जायेगा । सरकार का मत इस मामले में स्पष्ट है कि यदि क्षमायाचना न की जाये तो विशेषाधिकार समिति को कार्यवाही करनी चाहिये । परन्तु विशेषाधिकार समिति ने भी ऐसी क्षमायाचनाओं को सदैव स्वीकार किया है । क्योंकि क्षमा मांग ली गई है । इसलिये इस को अब विशेषाधिकार समिति को देना बेकार होगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Ignorance of law is no excuse.

अध्यक्ष महोदय : दो सूचनाएं हैं । सभा की समितियों को भी उतना ही आदर प्राप्त है जितना कि इस सभा को । एक तो एक अधिकारी का वक्तव्य है । प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही तुरन्त वक्तव्य देना किसी अधिकारी के लिये उपयुक्त नहीं था । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए । उसको यह अहसास होना चाहिये कि यह उसका काम नहीं है । यदि सरकार को समिति की किसी सिफारिश के बारे में कुछ कहना हो तो वह मुझे उसको भेज सकती है और मैं उसको लोक लेखा समिति के सभापति के पास भेज दूंगा । इस पर समिति का जो निर्णय होगा वह सभा के सामने रख दिया जायेगा । हमें इस प्रक्रिया का पालन करना होगा । यह दुर्भाग्य की बात है कि एक अधिकारी इस प्रतिवेदन के पेश होने के तुरन्त बाद संवाददाताओं के पास सफाई

पश करने के लिये गया और स्पष्टीकरण को पहले समिति के पास नहीं भेजा । वह मंत्रालय के कोई प्रवक्ता थे

एक माननीय सदस्य : अधिकारी नहीं, अपितु भारत सेवक समाज के मंत्री ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भारत सेवक समाज को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । यह संस्था जिस भी मंत्रालय के अधीन हो उस मंत्रालय को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये । जहां तक स्पष्टीकरण का संबंध है इसको रहने दिया जाये ।

दूसरी बात श्री चांदीवाला के टिप्पणों के बारे में है । सारी सभा इससे सहमत है कि विशेषाधिकार का स्पष्ट भंग है । वह कहते हैं कि 'मुझे क्षमा कर दिया जाये, यदि मैंने कोई अवमान किया है तो उसके लिये मुझे खेद है और उसके लिये मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं समझता हूं कि यदि सभा मामले को यहीं पर रहने देगी तो इससे इसकी गरिमा को बढ़ावा मिलेगा । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि दोबारा ऐसी बात होगी तो कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, the Ministers are walking out. This related only to Bharat Sewak Samaj.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): मैं विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विमान निगम (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 3 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1052 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3199/65]**

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की दसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि बीमारी के कारण मैं 15 तारीख को उपस्थित न था और सभा के साप्ताहिक कार्य की घोषणा

न कर सका। मेरी ओर से श्री ब० रा० भगत ने कार्य की घोषणा की। इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये ।

श्री दाजी ने बोनस विधेयक के संबंध में वही पुराना प्रश्न उठाया। सम्बंधित मंत्री ने वायदा किया है कि विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने के लिये वह भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वित्तीय कार्य को समाप्त करने के बाद हम इस विधेयक को लेने का प्रयत्न करेंगे। वित्तीय कार्य से छुट्टी पाने के बाद हमारे पास 4 दिन बच रहते हैं अर्थात, 17 घंटे। हम केरल में राष्ट्रपति के शासन संबंधी संकल्प, और केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, जिसे निकट पुरः स्थापित किया जायेगा, को प्राथमिकता देना चाहते हैं। यदि समय मिला तो हम गणपूर्ति संबंधी विधेयक भी पारित करेंगे। यदि फिर भी समय बच रहा तो हम अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को लेंगे जिनमें बोनस विधेयक को भी शामिल किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत ने गृह मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का प्रश्न उठाया। इसे परिचालित कर दिया गया है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The hon. Minister has already given an assurance that the discussion regarding the dispute between U.P. Legislative Assembly and the High Court will be taken in this session.

Shri Satya Narayan Sinha: That is true. But, Mr. Speaker, Sir, this matter was discussed with you and you said that this question may not be raised at this time as the High Court had given a decision and the situation had underwent considerable change.

Shri Prakash Vir Shastri : When the question has arisen it must be decided.

Shri Satya Narayan Sinha: We shall think over it and do as the hon. Members will desire.

श्री कामत ने वर्तमान सत्र की अवधि के बारे में भी प्रश्न उठाया है। प्रधान मंत्री से बातचीत करके यह सुझाव दिया गया है कि इसे 11 मई तक बढ़ा दिया जाये ।

जहां तक गणपूर्ति विधेयक का संबंध है यह एक ऐसा मामला है जो कि सारे सदस्यों से संबंधित है। हम इस मामले में सब की सलाह से विचार करना चाहते हैं।

श्री रंगा ने राज भाषा अधिनियम में संशोधन का प्रश्न उठाया। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमन्, सभा की गणपूर्ति के लिये कम से कम 50 सदस्य होने चाहिये। परन्तु मंत्री महोदय इसको घटा कर 25 या 20 करना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करती हूं कि क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के लिये सदस्यों की जो संख्या रखी गई है वह इससे अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : 20 या 25 के बारे में किसी ने नहीं कहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने कई बार कहा है। क्योंकि सदस्य तो सभा में ठहरते नहीं हैं और वह श्री कामत का नाम ले कर ऐसा करना चाहते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा है । मैंने तो केवल यह कहा है कि हम सभा के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाने जा रहे हैं । निश्चय ही हम माननीय महिला सदस्य की भी राय लेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : सत्र के पहले दिन हमें जो बुलेटिन भेजा गया था उसमें 34 विधेयक दिये गये हैं । लम्बित विधेयकों में से कुछ को निपटाने के लिये सत्र की अवधि बढ़ाना अत्यावश्यक है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के रूस के दौरे को छोड़ कर और कौन सी बात इसमें बाधक सिद्ध हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम में से कुछ सदस्यों ने प्रार्थना की थी कि मई दिवस को मनाने के लिये उस दिन छुट्टी रखी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

अनुदानों की मांगें--जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

परिवहन मंत्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह ।

उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Yashpal Singh (Kairana): In India only 6 per cent of the transportation of goods is done by buses and trucks whereas in England 69 per cent of this work is done by buses. The reason for this is that we have to pay 6½ paise per ton per mile in comparison to railways. Consequently 1 million ton of goods is always lying without being transported. The Government have given figures about the buses which lying out of order out of the 55,000 passenger buses. The figures show that there are about 40 lakhs of passengers and we have only 55,000 buses. The result is that lakhs of people keep on waiting for the transport. Even in Delhi alone lakhs of people keep waiting in the evening.

The bus fare in Delhi is much higher than what is prevalent in Bombay, Madras, Calcutta or other cities. If you pay Re. 1 in Pakistan, you have to pay Rs. 2·50 in India for the same distance.

Today the Government has become a tool in the hands of a few capitalists. I have relations with Roorkee University. I can give you 1 lakh cars at the rate of 5,000 rupees per car. Our offer is not accepted because otherwise the lakhs of rupees will not go to Birla, Dalmia, Tata etc.

Whenever any problem arises Government takes the pretext that the country is overpopulated. But, who are responsible for this ? The Ministers. I want to know how many of them have sterilised themselves. They should first get themselves sterilised and become model for the common man. **You**

should arrange for the conveyance of 15-20 thousand persons who keep on standing at the bus stops in the evening. There is nepotism and favouritism in the matter of issuing licences. The rich people having bungalows, banks, petrol pumps, financial concerns are issued bus licences.

Wherever we go we find the word 'No' 'No Entry' written. We have to stop this negative thinking . We have to cultivate the habit of positive thinking. Instead of writing 'No Entry' we could write 'come the other way'. This habit of negative thinking reflects our weakness. The world thinks that India cannot take anything, but she can give something.

Government cannot arrange for buses. It cannot arrange for transport. In Pakistan I have seen with my own eyes that no passenger is seen waiting in the evening. We have not been able to construct roads in Nefa or near Thagla Ridge whereas China could build 1700 miles long road at a distance of 3,200 miles from her country. Out of the total mileage of 480,000 of roads in our country the mileage of national highways is only 15,000 which is very insufficient keeping in view the size of the country. Something has got to be done in this regard. Coming to the ships we see that the condition is even worse. Today we are paying 24 crores of rupees to foreign countries annually for chartering ships. Nothing has been done in this regard for the last 17 years. The ships of China and Pakistan will start operating from tomorrow as a result of the treaty between the two countries concluded the other day. The same is the condition of submarines. A small country like Indonesia is having 6 submarines whereas India with a population of 45 crores of people is not having even one submarine. We say that we will live on Panch Sheel, Co-existence etc. We cannot build a nation in this way.

If your want to build a strong nation, provide with good transport. After all people will have to do the work. Here it takes two years to issue a bus licence. In England it takes only 15 minutes. In Pakistan it does not take more than a day. At every stage one has to grease the palm from lowest to the highest officer for the issue of a licence.

The population of Delhi is 30 lakhs. We should see that no passenger has to wait for the bus. In the current year's budget the Government should take concrete measures in this regard.

The agreement concluded with Iran is against the provision of our Constitution. Our ships are in a very bad condition. We almost hear daily of the sinking of boats. Therefore, immediate changes are necessitated in our policy. All these things can be done by the public and the Government should arrange for them good transport.

Mr. Deputy Speaker: Shrimati Sharda Mukerjee.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति हो गई है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : यह बड़े संतोष की बात है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे जहाज़रानी के टन भार में 20 लाख टन की वृद्धि हो जाने की आशा है । आजकल जबकि हमारे संसाधन प्रतिरक्षा और आर्थिक विकास में जुटे हुए हैं परिवहन के मामले में जहाज़रानी का महत्व बहुत बढ़ गया है । जहाज़रानी की समस्या बड़ी जटिल है क्योंकि इसका सम्बन्ध पत्तन

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

सुविधाओं, गोदी के मजदूरों, तकनीकी कर्मचारियों और अन्तर्देशीय परिवहन पद्धति हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि यदि जहाज निर्माण की सुविधायें नहीं हैं तो कम से कम उनकी मरम्मत की सुविधायें होनी चाहियें। हमारे देश में जहाजरानी के सम्बन्ध में तदर्थ तरीके की नीतियां अपनाई जाती हैं। हमारी कोई व्यवस्थित योजना इस बारे में नहीं है जोकि होनी चाहिये। यदि हम विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं और तटीय परिवहन पद्धति की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी जहाजरानी का पर्याप्त विकास करना चाहिये और इस बारे में विदेशियों पर निर्भर नहीं करना चाहिये। यदि कल को युद्ध छिड़ जाता है, तो हम विदेशों पर माल परिवहन के लिये दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते। हमारे पास जहाजों के फालतू पुर्जों और तकनीशियनों की कमी है। अतः सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार को मुख्य रूप से तटीय मार्गों को एक दूसरों से मिलाना चाहिये और हमारे पास जो सीमित निधियां हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिये। आजकल जहाजरानी के क्षेत्र में राष्ट्रों में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अन्तर्राष्ट्रीय जहाज निर्माण मण्डी में जापान ने जो उन्नति की है उससे ब्रिटिश जहाज निर्माण उद्योग के लिये संकट उत्पन्न हो गया है। ब्रिटन की सरकार अपने जहाज़ निर्माताओं को कुछ ऋण सम्बन्धी सुविधाएं दे रही है। यही कारण है कि जब हम अपने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये ब्रिटेन से तकनीकी सलाहकार मांगते हैं तो हमें सेवामुक्त व्यक्तियों को भेज दिया जाता है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में प्रत्येक जहाज़ के निर्माण के लिये 90 लाख रुपये के मूल्य का सामान आयात करना पड़ता है।

अमरीका सरकार अपने माल ले जाने वाले जहाज़ों को प्रतिवर्ष 8 करोड़ डालर की सहायता देती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमें बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।

फिर हम देखते हैं कि हमारे जहाज़ हमारे विदेशी व्यापार का 10 प्रतिशत माल भी मुश्किल से ले जाते हैं। क्या हम यह समझें कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों में हमें कुछ कठिनाईयां हैं? हमारी समझ में नहीं आता कि तटीय जहाज़रानी के मामले में एक दीर्घकालीन नीति बनाने में देर क्यों की जा रही है।

तटीय जहाज़रानी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नौवहन निगम पर सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट इतनी उत्साहजनक नहीं है। 1957 में रेल-समुद्र समन्वय सम्बन्धी समिति ने जो प्रतिवेदन दिया था और उसमें जिन समस्याओं पर चर्चा की गई थी, आज हमारे सामने उनसे भी जटिल समस्यायें हैं। हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में नौवहन निगम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

"भविष्य में तटीय-व्यापार की मात्रा इस समय बताना कठिन है।"

कारण यह है कि कोयले को ले जाने के लिये रेलवे ने कोई दीर्घकालीन पक्का वायदा नहीं किया है अतः तटीय व्यापार के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

भाड़े की दर निश्चित नहीं की गई है। जहाज़ मालिक और जहाज़रानी निगम कितना कितना माल ढोयेंगे, यह भी अभी तक तय नहीं किया गया है। पुराने जहाज़ों को बदलने के लिये लगभग 55 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं। जहाजरानी के एक क्षेत्र में इस पैसे को खर्च करना अधिक अच्छा है बजाय इसके कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हम माल वाहक और यात्री जहाज़ चलायें।

श्रीवास्तव समिति ने यह सिफारिश की थी कि उन बड़े बड़े जहाज़ों को सरकार अपने हाथ में ले ले जिनकी लागत विदेशी मुद्रा में 7 वर्षों में दी जायेगी। हम देखते हैं कि इस दिशा में कुछ भी

नहीं किया गया है और अब भी जहाज़ किराये पर लिये जाते हैं। कुछ समय पूर्व निगम के सभापति ने जहाज़रानी निगम द्वारा अनेमी पोत व्यापार के लिये बल दिया था। परन्तु आज हम देखते हैं कि जहाजरानी निगम ने इस क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा है। मुझे ज्ञात है कि सरकार "ट्रैम्प ट्रेड" आरम्भ करने में क्यों संकोच कर रही है। उन्हें केवल एक ओर के लिये ही माल मिलता है और फिर सदैव ही माल प्राप्त करने, उसे जहाज़ पर लादने तथा उतारने और वस्तु-भाड़े के सम्बन्ध में निर्णय करने की कठिनाइयां हैं। इसलिये पोत सेवायें (लाइनर सर्विसेज) प्राप्त करना अच्छा है। परन्तु मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि खाद्यान्न की आयात तथा खनिज लोहे का निर्यात सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं के होते हुये भी सरकार इस बारे में क्यों निर्णय नहीं करती कि उसे किन-किन मार्गों पर अधिक ध्यान देना है।

नौपरिवहन सम्बन्धी प्रतिवेदन में विभिन्न शाखाओं पर हुये व्यय के आंकड़े नहीं बताये गये हैं। कुछ-कुछ पता हमें समाचार-पत्रों से लगता है। उदाहरणार्थ हमने यह सुना है कि पोतों द्वारा सरकारी माल ले जाने के अमरीका तथा भारत सरकार में हुये समझौते के अनुसार न्यूनतम वस्तुभाड़ा $32.50 प्रति टन तय हुआ है और पिछले समझौते में यह दर $35.00 था। हम यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुये हैं। परन्तु पेट्रोलियम, लोहे आदि अन्य उत्पादनों के बाहर भेजने के लिये वस्तु भाड़े की क्या दर होगी? दूसरे क्या ऐसी कोई प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे विदेशी व्यापार में भारतीय नौपरिवहन के लिये ठीक प्रतिशतता प्राप्त की जा सके। तीसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में विदेशी जहाज़ों को कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है?

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हालांकि हम यह समझते हैं कि सरकार को कठिनाइयों में काम करना पड़ता है परन्तु हमें यह समझ में नहीं आता कि सरकार को घोषित नीतियों तथा उनको लागू करने में इतना अन्तर क्यों है? इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव दूंगा और आशा करता हूं कि उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

कलकत्ता पत्तन में, जो न केवल पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिये महत्वपूर्ण है, बल्कि मुख्यतया उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये भी महत्वपूर्ण है, हुगली में तेज़ी से गिरावट आ जाने के कारण, गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्राक्कलन समिति ने बहुत से सुझाव इस बारे में दिये हैं और मुझे आशा है कि उन पर अमल किया जायेगा। यह बात सराहनीय है कि फरक्का बांध से कलकत्ता पत्तन में सुधार होगा। परन्तु हमें इस बारे में बहुत से अन्य उपाय भी करने होंगे। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि अब समय आ गया है कि हम गंगा, ब्रह्मपुत्र नहर के निर्माण पर विचार करें क्योंकि हमें कभी न कभी इस कटु सत्य का सामना करना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमें ब्रह्मपुत्र से कोई लाभ न उठाने दे। मैं राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सड़क सम्बन्धी योजना बोर्ड नियुक्त किये जाने का स्वागत करता हूं। दूसरा प्रस्ताव अन्तर्राज्य परिवहन निगम के लिये है। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जहां तक दूरी के लिये परिवहन का सम्बन्ध है इससे सड़क परिवहन तथा रेलवे में ठीक

[श्री लीलाधर कटकी]

समन्वय स्थापित होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि नियोगी समिति का क्या बना। हमें इस समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। हमें यह पता नहीं कि अब इस समिति की क्या दशा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् स्थापित किये जाने और इस बारे में शीघ्र ही विधान बनाने का प्रस्ताव है। सड़क पर दुर्घटनायें अधिक होती हैं। इसलिये ऐसी परिषद् की अधिक आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन को सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत लाने के लिये अध्ययन मण्डल के प्रतिवेदन के बारे में कहना चाहता हूं। यह प्रतिवेदन मई, 1964 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु अभी भी यह सरकार के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या पग उठा रहे हैं।

इस मंत्रालय ने योजना व्यय के लिये 1150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था परन्तु योजना आयोग ने केवल 750 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया है। मैं योजना आयोग से यह अनुरोध करता हूं कि वह परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझते हुये इस मंत्रालय को अधिक धनराशि आवंटित करे।

जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं इस मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बरेली से अमिनगांव तक एक पार्श्विक सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क का निर्माण 1969 से पहले किया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का कार्यभार अंशतः सम्भालना स्वीकार कर लिया है। आशा है कि सरकार इस समवाय का पूरा पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।

पाण्डू पत्तन के विकास का कार्य बहुत वर्ष पहले आरम्भ किया गया था परन्तु अब इस कार्य को पीछे डाल दिया गया है और मुझे इस बात का खेद है। मैं मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कार्य को शीघ्र पूरा करे। मैं, सरकार द्वारा जोगीगोपा पत्तन का कार्य आरम्भ किये जाने की सराहना करता हूं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौपरिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाये। सरकार ने इस सम्बन्ध में फ्रैंच सलाहकार दल से जांच कराई थी और उन्होंने यह कहा था यह सम्भव है। मुझे आशा है कि सरकार इस नदी को डिब्रूगढ़ तक नौचालन के योग्य बनायेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल उत्तरी सीमा में ही नहीं परन्तु पूर्वी पाकिस्तान सीमा में भी सीमान्त सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण होना चाहिये। आर्थिक तथा राजनैतिक कारणों से इन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है। सरकार को इस बारे में पर्याप्त धन देना चाहिये।

मैं परिवहन मंत्रालय के इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): हमारे पत्तनों का विकास धीमी गति से हो रहा है। पता नहीं हमारे निर्यात व्यापार का अन्ततोगत्वा क्या बनेगा।

पिछली बार जब हम ने इस विषय पर चर्चा की थी तो मंत्री महोदय ने बताया था कि वह ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। परन्तु अब प्राक्कलन समिति आदि के प्रतिवेदनों से पता

लगता है कि इस बारे में जो धन आवंटित किया गया था, उसे व्यय नहीं किया गया है । इस से पता लगता है कि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किये कि बड़े छोटे तथा मध्यम पत्तनों का विकास निर्धारित समय में हो जाये । यदि हम समय पर अपने सभी पत्तनों का विकास करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि जब समुद्रीय राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाये और यह पता लगाया जाये कि वे इस विकास-कार्य में क्यों पीछे रह गये हैं । और उन्हें क्या कठिनाइयां थीं तथा उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है ।

हम इस सभा में यह अनुरोध करते रहे हैं कि चिटागांग पत्तन हमारे हाथ से निकल जाने के बाद, पूर्वी क्षेत्र में एक पत्तन की बड़ी आवश्यकता है । 1957 में मैंने स्वयं कहा था कि परादीप पत्तन को योजना में सम्मिलित किया जाये । उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि उचित उपाय किये जा रहे हैं । 1962 में भी मैं ने यह प्रश्न उठाया था तथा मंत्री महोदय ने यह कहा था कि राज्य मंत्री ने इस बारे में एक योजना बनाई है । हालांकि केन्द्रीय सरकार के पास काफी धन है परन्तु फिर भी वह इस कार्य को राज्य सरकार पर जिसके पास इस काम के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं है, छोड़ना चाहते हैं । परन्तु मुझे हर्ष है कि इस पत्तन को केन्द्रीय नियंत्रण में लाने के लिये इस वर्ष के आय-व्ययक में पांच करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । परन्तु सरकार को इस पत्तन के सम्बन्ध में अपव्यय, भ्रष्टाचार और अन्य बातों की जांच करनी चाहिये । इस पत्तन का आरम्भ 12 करोड़ रुपये के अनुमान से हुआ था और अब यह अनुमान 26 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति के लिये भी कोई विज्ञापन आदि नहीं निकाला गया और न ही इस सम्बन्ध में केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से परामर्श की प्रतीक्षा की गई और श्री श्रीनिवासन को मुख्य इंजीनियर नियुक्त किया गया जिन्हें पत्तन-निर्माण का कोई अनुभव नहीं है । जिस प्रकार वह वहां कार्य कर रहे हैं, यह मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन, जिसे मैं ने पहले ही प्रमाणित किया है, से पढ़ कर सुनाऊंगा । इस प्रतिवेदन में इन की नियुक्ति के बारे में कहा गया है ।

श्री प्र० क० देव : माननीय सदस्य बार बार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं । मेरी प्रार्थना है कि वह इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखें ताकि हमें पता लगे कि इस में क्या कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । इसे सभा-पटल पर रखा जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान्, मैं इस दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखता हूं :*

(1) दिनांक 15 अप्रैल, 1964 के अशासकीय पत्र संख्या 0-665/सी०बी०आई०/64 की एक प्रति जो श्री डी० पी० कोहली, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री एल०पी० सिंह, सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय, को भेजा गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4200/65]**

(2) उड़ीसा सरकार के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की प्रारंभिक जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4201/65]**

*सदस्य ने दस्तावेज सभा-पटल पर रखे ।

*The Member placed the documents on the Table.

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

(3) विवरण संख्या 1 और 2 की एक-एक प्रति जिन में आरोपों की सूची दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4202/65]**

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन में इस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है हालांकि इस अधिकारी के विरुद्ध विशेष पुलिस वर्ग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही थी परन्तु फिर भी उन्हें नेवेली से परादीप पत्तन लाया गया और इन्हें विशेष भत्ता तथा विशेष वेतन दिया गया। यह भी देखना होगा कि इनकी नियुक्ति के बाद उचित व्यय किया गया अथवा नहीं। गुप्त पत्रों को देखने से पता लगता है कि इस अधिकारी के कारण करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ है। उदाहरणार्थ पत्थर ढोने की मद में अधिक दर दिये जाने के परिणामस्वरूप कई लाख रुपयों की हानि हुई है। जब परादीप पतन का कार्यभार सरकार द्वारा सम्भाले जाने का प्रश्न सामने आया तो यह दरें कम कर दी गईं। इसी प्रकार के और भी ई उदाहरण हैं।

मैं सरकार द्वारा परादीप पत्तन का कार्यभार सम्भाले जाने का स्वागत करता हूं। यह बहुत पहले कर लिया जाना चाहिये था। अपव्यय आदि के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराना चाहिये क्योंकि इसके कारण अन्य विकास कार्य रुक गया है। इस मंत्रालय की जांच का कार्य स्वयं करना चाहिये। और इसे योजना आयोग पर नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री टी० सू० मूर्ति (अनकापल्लि): मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले वर्ष की भान्ति मैं इस वर्ष भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम में पोत-निर्माण में त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1964 के दौरान वित्त मंत्री ने इस पत्तन का दौरा किया और कहा कि इस परियोजना को बड़ी अकुशलता से लागू किया जा रहा है। इस कारखाने में कम उत्पादन के कारण हैं: विदेशी मुद्रा का अभाव, देशीय माल को उचित प्रकार से प्रयोग करने में सफलता, अदक्ष पर्यवेक्षण तथा श्रमिकों के प्रोत्साहन की कमी। वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा न दिये जाने के कारण कुछ पुर्जे आयात नहीं किये जा सकते और इसके परिणामस्वरूप वहां तीन पोत ऐसे पड़े हैं जिनका भुगतान नहीं किया जा सकता। जहां तक देशीय माल के प्रयोग का सम्बन्ध है केवल इमारती लकड़ी का ही प्रयोग हो रहा है। अन्य उपलब्ध माल के बारे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पोत-निर्माण के लिये इस्पात बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अन्य गैर सरकारी उद्योगों को सीधे इस्पात मिल जाता है परन्तु हिन्दुस्तान पोत-निर्माण कारखाने को, इसके सरकारी उपक्रम होते हुए भी, सीधे इस्पात नहीं मिलता और इस से पोत-निर्माण में विलम्ब हो रहा है। इस कारखाने में इस समय केवल प्रवीण दस्तकारों के लिये ही प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम है। परन्तु पर्यवेक्षकों के लिये कोई पुनरध्ययन पाठ्यक्रम नहीं है और इस कारण पर्यवेक्षण ठीक से नहीं होता और किसी दोष के लिये उत्तरदायित्व अन्य व्यक्ति पर डाला जाता है। जिस व्यक्ति पर इस कारखाने का कार्य भार है, वह एक तकनीकी व्यक्ति हैं, और इस कारण उन्होंने प्रशासन कार्य सम्भालने के लिये एक अधिकारी की मांग की थी। इस अधि-कारी की नियुक्ति के लिये अभी कोई पग नहीं उठाये गये हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बारे में जांच करायेंगे। हांलाकि श्रमिकों ने पिछले दो तीन वर्षों में काफी सहयोग दे कर

एक पोत के निर्माण में जन-दिनों की बचत की है परन्तु फिर भी उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उन्हें 1948 की दरों पर वेतन दिया जाता है । हिन्दुस्तान हैवी इलैक्ट्रिकल्स तथा हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को 260 रुपये मिलते हैं जब कि इन्हें केवल 130 रुपये मिलते हैं। हालांकि सभी एक प्रकार का कार्य करते हैं। प्राक्कलन समिति ने भी यह कहा है कि समान कार्य के लिये समान मजूरी होनी चाहिये। 1963 में माननीय मंत्री ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी । मुझे खेद है कि इस आश्वासन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इंजीनियरी उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया है । परन्तु श्रमिक संघ को इसकी कोई सूचना नहीं थी और अभी कल ही उन्हें बताया गया कि इस पोत-निर्माण कारखाने को भी इस मजूरी बोर्ड के निर्देश -पदों में सम्मिलित किया जायेगा ।

इस पोत-निर्माण कारखाने में कोई संयुक्त प्रबन्ध परिषद् नहीं है । हालांकि इस के लिये श्रमिक संघ ने बार-बार प्रार्थना की है । यहां कोई सुरक्षा समितियां तथा द्विदलीय समितियां भी नहीं हैं । श्रमिक पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं परन्तु फिर भी उन्हें उचित मजूरी नहीं दी जाती । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में जांच करें।

विशाखापटनम पत्तन में बड़ी बड़ी परियोजनायें चल रही हैं परन्तु इन को अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है । काल्टैक्स तेल-शोधन कारखाने का काम पूरा नहीं हुआ है । आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

Shri Achal Singh (Agra) : Mr. Speaker, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the historic city of Agra which is a tourist resort. Lakhs of foreign and Indian tourists visit this city but the condition of the hotels here is deplorable. The rates are not fixed and exorbitant price is charged. Wine is served there and other untoward things also take place which bring bad name. I would like the hon. Minister to pay attention towards this and improve matters.

The charges for conveyance are also very high. The rickshaw pullers and tongawallas fleece the tourists. They take commission at the rate of four annas per rupee from the shopkeepers to whom they take these tourists. It causes corruption and brings us bad name. The hon. Minister should pay attention towards this. He should also ensure that the rates in the hotels are not exorbitant, and the guides also work properly.

With these words, I support the demands for grants of this Ministry.

Shri Braj Behari Mehrotra (Bilhaur) : Mr. Speaker, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the approach roads in the rural area. These roads have not been macadamised. Funds should be earmarked for these roads so that they are maintained properly. This will help to bring the products of the industries being established there to the market.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the railway bridge at Kalpi. I have been hearing since 1957 that this bridge will be reconstructed according to the present requirements. This bridge is important from defence point of view also. The Ministry should ensure to reconstruct this bridge.

[Shri Braj Behari Mehrotra]

I submitted last time also that Bithur should be made a tourist centre as it is an important historical place. It is the birth place of Nana Sahib who was freedom fighter. Many pilgrims and tourists visit this place. I submit that near Bithur, a bridge should be constructed on the river Ganga. After Garh Mukteshwar, there is only one bridge on Ganga at Kanpur. It is so old that in rainy season there is one way traffic on this bridge. Therefore, to meet the requirements of the people of Bithur a bridge should be constructed there.

I would like to draw your attention to a road constructed by the Central Government at Kanpur. It is a national highway. Although the road has been built, yet there is no bridge at Sengur river. Seven years have elapsed yet the bridge has not been constructed on one pretext or the other. The Minister of Public Works, U.P. submitted a note in this connection when he came here but unfortunately no action has been taken. I hope that the Central Government will render the necessary help.

With these words, I support the Demands for Grants of this Ministry.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : परिवहन मंत्रालय यह सूचित करने में असफल रहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा सड़क परिवहन से उचित व्यवहार हो। श्री मसानी ने सड़क परिवहन संगठन समिति की विभिन्न सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाया था। इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। इसका कोई हल ढूंढना चाहिये और मैं यह सुझाव देता हूं कि मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध में बातचीत करें और विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित करें। इससे सड़क परिवहन के विकास में काफी सहायता मिलेगी।

(**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

इस बारे में मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कठिनाई यह है कि वह इस बारे में राज्य सरकारों के संकीर्ण दृष्टिकोण को हटा नहीं सकते। यदि हम विश्व-यात्रा करें तो एक देश से दूसरे देश को आसानी से जा सकते हैं परन्तु यहां हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कठिनाई अनुभव होती है। अन्तर्राज्य परमिट नहीं मिलते और समय-समय पर बहुत से निबंधन लगा दिये जाते हैं।

राजस्थान में सीमान्त सड़कों की दशा दयनीय है। श्री सामन्त ने इस ओर ध्यान दिलाया है। अभी हाल ही में 20 संसद्-सदस्य राजस्थान गये थ और वे इस सारे प्रश्न पर बहुत क्षुब्ध हुए। मुझे पता लगा है कि उन्होंने प्रधान मंत्री को इस बारे म लिखा है। मुझ आशा है कि माननीय मंत्री अपनी इस जिम्मेवारी की ओर ध्यान देंगे। वह इस जिम्मेवारी से यह कह कर नहीं बच सकते कि सीमान्त सड़कें प्रतिरक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी है। इसमें कोई लाभ नहीं कि आक्रमण अथवा अतिक्रमण होने के बाद ये सड़कें बनाई जायें। उस ओर पाकिस्तान ने केवल सीमान्त सड़कें ही नहीं बनाई हैं, परन्तु उन्होंने देश के सभी भागों को आपस में मिलाने वाली सड़कें भी बनाई हैं। राष्ट्रीय राज-पथों की दशा भी ठीक नहीं है। सड़क के सम्बन्ध में अखिल भारतीय औसत 1.2 मील प्रति वर्ग मील है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ की स्थिति भी बहुत शोचनीय है।

राजस्थान में सड़कों का निर्माण बहुत कम हुआ है। इस क्षेत्र में और सड़कें बनाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा सुझाव था कि अबोहर से जोधपुर होते हुए कांडला तक एक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण किया जाये। यह एक बहुत लाभदायक सीमावर्ती सड़क होगी। इससे कांडला बन्दरगाह के भीतरी क्षेत्र के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। और इस से तीन राज्यों को लाभ होगा। वे हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। पर्यटन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिये। यह कहा जाता है कि यदि हम इसके लिये 50 करोड़ रुपया व्यय करें तो पांच सालों में इसके बदले में 500 करोड़ रुपया मिल सकता है। विदेशी मुद्रा के मिलने के अतिरिक्त इसका सामाजिक सांस्कृतिक पहलू भी है। यहां पर बताया गया था कि राजस्थान नहर में नौपरिवहन की व्यवस्था भी होगी। इस को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है। मैं अब माननीय मंत्री से इस बात की पुष्टि कराना चाहता हूं कि इस नहर को नौपरिवहन के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। भारत में नौपरिवहन ने बहुत प्रगति की है। इसके लिये सरकार प्रशंसा की पात्र है, परन्तु सरकारी क्षेत्र के नौपरिवहन का विस्तार ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री मसानी ने आरोप लगाया है कि परिवहन व्यवस्था में गतिरोध आ गया है। उन्होंने कहा है कि वैगनों की कमी है। यह बात ठीक नहीं है। मुझे रेलवे मंत्रालय से पता चला है कि केवल भीड़ की अवधि में कुछ कमी होती है। बल्कि 1964–65 के ग्रीष्मकाल में 20,000 डिब्बे खाली पड़े रहे थे। सड़क परिवहन ने पिछले 15 वर्षों में बहुत प्रगति की है। 1951 के पश्चात् देश में मोटरगाड़ियों की संख्या 3 लाख से बढ़ कर 9·5 लाख हो गई है।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसने राज्यों के आपस के झगड़े निपटाये हैं और अन्तर्राज्य मार्गों के लिये परमिट जारी किये हैं। यह कहा गया है कि मोटर गाड़ियों का उत्पादन ठीक प्रकार नहीं हुआ है। इस बात का कोई आधार नहीं है। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि इनका उत्पादन 1961 में 25,401 था और 1964 में यह बढ़ कर 31,829 हो गया है। मोटरों के बनाने वाले कारखाने मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार इस मंत्रालय पर राज्य सरकारों की त्रुटियों के कारण व्यर्थ में आरोप लगाये जाते हैं, जो बिना आधार के होते हैं। हमने एक परिवहन विकास परिषद् की स्थापना की है जो सड़क परिवहन की समस्याओं पर विचार करेगी। इस परिषद् में सभी राज्यों के परिवहन मंत्री हैं। इसने बहुत से विषयों में निर्णय किये हैं। जहां तक छोटे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का सम्बन्ध है इसको बहुत से राज्य स्थापित कर रहे हैं। यह कहा गया है कि आश्वासन दिया गया था कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, परन्तु उसका उल्लंघन किया गया है। और कलकत्ता–असम क्षेत्र में बनाये गये परिवहन निगम का उदाहरण दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब स्टीमर सेवाओं के पाकिस्तानी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो इस निगम की स्थापना बहुत आवश्यक हो गई थी। इससे हमें बहुत सफलता मिली है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि सरकारी क्षेत्र माल के यातायात में भाग लेगा। इस का अर्थ राष्ट्रीयकरण नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र को इससे चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यात्रियों के यातायात में तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र का भाग 33 प्रतिशत का है और गैर-सरकारी क्षेत्र का 66 प्रतिशत है। चौथी योजना में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहेगी। हमारे देश में सड़क

[श्री राज बहादुर]

परिवहन का कार्य छोटे छोटे निवेशकर्ताओं के पास है। तृतीय योजना काल में सरकारी क्षेत्र ने सड़क परिवहन में 40 करोड़ रुपया लगाया है जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र का 250 करोड़ रुपया लगा हुआ है। चतुर्थ योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 650 करोड़ रुपये रहेंगे। नौपरिवहन में हमने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को अबाध कार्य करने दिया है और दोनों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है।

हमारे देश में मोटर गाड़ियों पर कर बहुत अधिक लगे हुए हैं। बारह राज्यों ने यात्री कर तथा वस्तु भाड़ा कर लगा दिया है। 1951 से सरकार प्रयत्न कर रही है कि मोटर परिवहन में करों को बढ़ने से रोका जाये। 1950 में मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति ने सिफारिश की थी कि यह कर मद्रास में लगे कर, जो 75 प्रतिशत है, से अधिक नहीं होना चाहिये। इस सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसका कारण यह है कि परिवहन का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। इसलिये यह राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। एक ही प्रकार का कर लगाने की बात भी कही गई है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इस बारे में राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। परिवहन विकास परिषद् ने अपनी जुलाई, 1964 की बैठक में सिफारिश की है एक उच्च स्तरीय समिति या आयोग गठित किया जाये कि जो मोटरों पर लगे करों पर विचार करे। वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को मान लिया है। इसमें वित्त का प्रश्न है। इस प्रकार की समिति अब नियुक्त की जायेगी। इसमें केन्द्रीय सरकार के, राज्य सरकारों के तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधि होंगे। यह समिति पूरे देश के मोटर करारोप के प्रश्न पर विचार करेगी।

जहां तक मोटर गाड़ी उद्योग का सम्बन्ध है विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण सड़क यातायात में बहुत बाधा पड़ रही है। चौथी योजना काल के लिये उद्योग मंत्रालय ने मोटर गाड़ियों के बनाने वाले कारखानों के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इन कारखानों को विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध करायी जायेगी। उनको और भी सुविधायें दी जायेंगी। हमने दो अध्ययन दल नियुक्त करने का निर्णय किया है। इन में से एक तो सड़क परिवहन चालकों को धन उपलब्ध करेने के प्रशन पर विचार करेगा और दूसरा चालकों के एककों की समस्याओं तथा और पहलुओं पर विचार करेगा। यह भी निश्चय किया गया है कि एक राष्ट्रीय सड़क रक्षा परिषद् स्थापित की जाये। देश के सड़क परिवहन ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रगति की है और मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 का संशोधन करना आवश्यक हो गया है। शीघ्र ही इस आशय का एक विधेयक संसद् में लाया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम तैयार किया है इससे सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। राष्ट्रीय राजपथों के कुल 14,900 मीलों में से 21,00 मिलों में सड़कें नहीं बनी थीं। इन में से 250 मील को छोड़ कर शेष काम को तृतीय योजना के समाप्त होने तक बना दिया जायेगा। 250 बड़े पुलों में से 201 को या तो बना दिया गया है या हाथ में ले लिया गया है।

बरौनी से गौहाटी तक की 560 मील की सड़क बहुत थोड़े समय में बना दी गई है। हमारी प्रथम योजना में सड़कों के बन ने तथा उनको ठीक रखने पर 47·85 करोड़ रुपये, द्वितीय

योजना में 67·22 करोड़ रुपये, तथा तृतीय योजना में 172·37 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत आदि का कार्य राज्य सरकारों को करेना होता है हम तो धन मंजूर करते हैं।

सीमा के क्षेत्र में सड़कों का बहुत महत्व है। मैं इस बात से सहमत हूं। इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान क्षेत्र में भी काफी अच्छा कार्य हुआ है। 1960 में राजस्थान के लिये राष्ट्रीय राजपथ के मील बढ़ा दिये थे। यह सब काम धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। गोदावरी नदी पर राजमुंदरी के स्थान पर पुल बनाने के लिये मांग की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को खर्चा उठाना पड़ेगा और अन्य सम्बद्ध विषयों का निर्णय करेना होगा। मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को हम बहुत महत्व देते हैं। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों पर हम ज़ोर देते रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कार्य किया जाये। हम ने सिफारिश की है कि चौथी षोजना में सड़कों के लिये व्यय की जाने वाली राशि का 20 प्रतिशत धन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर व्यय किया जाना चाहिये। यह राशि 80 करोड़ रुपये होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि डीज़ल तेल पर उत्पादन शुल्क का कुछ भाग केन्द्रीय सड़क निधि में रक्षित कर दिया जाये। यह भी प्रस्ताव है कि बड़े बड़े नगरों को सड़कों का सुधार करने के लिये स्थानीय निकायों को उपरोक्त निधि से वित्तीय सहायता दी जाये। अब यह निर्णय किया गया है कि गंगा पर पटना में सड़क के पुल के निर्माण के लिए वित्त का प्रबन्ध हम करेंगे जिस पर 15 से 20 करोड़ रुपये तक व्यय हो सकते हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इतनी ही राशि उत्तर प्रदेश सरकार को, जहाँ भी वह आवश्यक समझे, गंगा पर पुल बनाने के लिए दी जाये। हमारा यह भी प्रस्ताव है कि चौथी योजना के दौरान सामरिक महत्व की 6,000 मील लम्बी सड़क को चौड़ा किया जाये।

मुझे यह बताने में हर्ष होता है कि वर्ष 1964 में हम पर्यटन यातायात के सम्बन्ध में 1,56,673 की सीमा तक पहुंच गये हैं। यह आंकड़े जब तक के आंकड़ों में सब से अधिक हैं। 1963 में यह संख्या 1,40,821 थी। हमारी आय 1963 में 20 करोड़ से बढ़ कर 1964 में 23 करोड़ हो गई है।

विश्व के पर्यटन यातायात में कुल वृद्धि केवल 10 प्रतिशत थी। हमारी वृद्धि 12 प्रतिशत है जो कि कम नहीं है। जापान, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, संयुक्त अरब गणराज्य, यूगोस्लाविय, स्पेन तथा पुर्तगाल जैसे 10 देशों को छोड़ कर हमारा काम अच्छा है। वास्तव में, 1962 को छोड़ कर यह वृद्धि संसार में वृद्धि से अधिक है और 1956 तथा 1960 के वर्षों के बीच यह वृद्धि 20 प्रतिशत थी। जापान, ग्रीस, संयुक्त अरब गणराज्य, स्पेन तथा पुर्तगाल जैसे देश उन देशों के निकट हैं जहा से यह पर्यटक आते हैं। भारत अमरीका वालों तथा यूरोप वालों के लिए बहुत दूर है। इसलिए 12 प्रतिशत को कम नहीं समझना चाहिये।

काजू तथा खली की पर्यटन यातायात से तुलना करना हास्यास्पद बात है। पर्यटन इन वस्तुओं के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह विभिन्न सुविधाओं तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

हमने पर्यटन के महत्व के कई स्थानों को चुना है और हमारा उन स्थानों के लिए सड़कों में सुधार करने का विचार है और हमें वहां के आसपास के क्षेत्रों और मिलाने वाली

[श्री राज बहादुर]

सड़कों को भी सुन्दर बनाना है। पर्यटन का स्वरूप अवश्य ही अन्य निर्यात उद्योगों से भिन्न है और इस उद्योग की तुलना पटसन, कपड़ा, काजू अथवा खली जैसे किसी भी निर्यात उद्योग से करना गलत होगा।

हमने अपनी नीति में नया परिवर्तन किया है। इस समय हमारी नीति केवल प्रोत्साहन देने की ही रही है। हम अपने देश के विभिन्न स्थानों का प्रचार पर्यटन के लिए करते रहे हैं। बहुत विचार के बाद और भी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप हमने निर्णय किया है कि होटल, परिवहन मनोरंजन आदि के लिए आवश्यक सुविधायें उत्पन्न करने के क्षेत्र में सरकार को भाग लेना होगा। यह निर्णय किया गया है कि हमें दो निगम बनाने चाहिये।

जहां तक होटलों तथा कुछ अन्य सम्बद्ध उद्योगों का सम्बन्ध है हम यथासमय विधान बनाने का विचार रखते हैं। इन दो निगमों का उद्देश्य उस कमी की पूर्ति करना है जो होटलों में स्थान, परिवहन और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में विद्यमान है। आशा है कि अगले 18 मास या दो वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के होटलों के निर्माण के काम में काफी प्रगति हो सकेगी।

यह आलोचना की गई है कि होटल वर्गीकरण समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन की दो प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी गई थीं। फिर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा के कारण हम इसे प्रकाशित नहीं कर सके हैं। एक और आलोचना यह की गई है कि पर्यटन विभाग के 6 में से 4 अधिकारी एक ही राज्य के हैं और पर्यटन विभाग के समुद्रपार पर्यटन कार्यालय के 9 में से 6 अधिकारी उसी राज्य के हैं। मैंने यह पता लगाया है कि इन में से एक भी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के बिना नहीं की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने 50 अमरीकी कारों और अमरीकी पर्यटकों के लिए पी० एल० 480 के उपयोग का प्रश्न उठाया है। जहां तक कारों का सम्बन्ध है हमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। हम वे कारें इस कारण प्राप्त कर रहे हैं कि हम अपने पर्यटन व्यवस्था के ऊपरी ढांचे को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हम पर्यटकों को परिवहन की अधिक सुविधायें देना चाहते हैं।

पी. एल. 480 की विधियां हमारी सरकार तथा अमरीकी सरकार में वित्तीय प्रबन्ध का मामला है। यह निर्णय किया गया है कि अमरीकी सरकार द्वारा बीस लाख डालर अर्थात् लगभग एक करोड़ रुपया पर्यटकों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने होटल कार्पोरेशन के अध्यक्ष के सम्बन्ध में कटु आलोचना की है। यह नियुक्ति गुणों के आधार पर हैं। इसका एक और कारण भी है। इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन तथा एयर इंडिया दोनों को ही भारी संख्या में ग्राहकों तथा यात्रियों की आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ती हैं। यह बिल्कुल ठीक होगा कि होटल कार्पोरेशन का अध्ययक्ष वही व्यक्ति हो जो भोजन व्यवस्था तथा अन्य बातों का प्रबन्ध कर सके। सच यह है कि इस विशेष अधिकारी को इन सब बातों की पृष्ठ भूमि का पता है और वह योग्य व्यक्ति हैं।

विदेशी पर्यटकों सम्बन्धी व्यय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए इस वर्ष एक नमूना सर्वेक्षण कया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पर्यटक विभाग परामर्श देने के लिए एक विख्यात विदेशी विशेषज्ञ, डा. हैनरी डूरेंट को आमंत्रित किया गया है। इस सर्वेक्षण में लागत लाभ अनुपात का निर्धारण कर के भारत में पर्यटन के आर्थिक प्रभाव के पहलू पर भी विचार होगा।

पैसिफिक एरिया ट्रैवल ऐसोसियेशन का वार्षिक अधिवेशन भारत में हो रहा है। हमें आशा है कि इस संस्था का सदस्य बनने से भारत को बहुत लाभ होगा।

यह नहीं कहा जा सकता है कि हम वस्तु भाड़े पर प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये का घाटा सहन कर रहे हैं। इस सारे मामले पर पिछली पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर विचार करना होगा। 1950–51 में योजनाओं के आरम्भ से पहले नौवहन से हमें केवल 7.29 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा का आय थी। 1956–57 में अर्थात् पहली योजना के अन्त में यह बढ़ कर 17.45 करोड़ रुपये हो गई थी। 1962–63 में यह 34.29 करोड़ रुपये हो गई परन्तु 1963–64 में यह बढ़ कर 43.13 करोड़ रुपये हो गई। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि है, यह कोई मामूली सफलता नहीं है।

सब से महत्वपूर्ण लाईनर व्यापार है। इसमें हम अपने विदेशी व्यापार का 35 प्रतिशत पूरा कर रहे हैं। जहां तक बड़े पैमाने के व्यापार का सम्बन्ध है हमने केवल 1962 से ही बड़े पैमाने में पोत प्राप्त करने आरम्भ किये हैं। हमारे पास 9 बड़े पोत हैं और 12 अन्य पोतों के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि तीन और पोतों के लिए आदेश दिये जायेंगे जिससे कुल संख्या 24 हो जायेगी। इससे हम बड़े पैमाने के नौवहन व्यापार का बड़ा भाग अपने हाथ में लेने के योग्य हो सकेंगे।

हमने विदेश व्यापार के टैंकरों के मामले में आरम्भ कर दिया है और तीन टैंकर प्राप्त कर लिए हैं।

पोतों की उपलब्धि के सम्बन्ध में विकास शीघ्र हुआ है। प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि पहली योजना में 17,800 जी. आर. टी. दूसरी योजना के लिए 75,400 जी. आर. टी. और तीसरी योजना के लिए 1,35,500 जी. आर. टी. है।

जहां तक तृटीय पोतों का सम्बन्ध है हमारे पास इस समय 3.9 लाख टन प्रतिशत का बेड़ा है और तृतीय योजना के अन्त में यह 4.5 लाख टन होगा जिस से वह लक्ष्य पूरे हो जायेंगे जो कि हमने अपने लिए निर्धारित किये हैं। विदेशी व्यापार के लिए हमारा पोत टन भार 1 अप्रैल, 1961 में 5.65 लाख जी. आर. टी. से बढ़ कर आज 10.05 लाख जी. आर. टन हो गया है।

तटीय व्यापार के लिए अधिक टैंकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं है कि जहां तक पी. ओ. एल. का सम्बन्ध है, परिवहन का ढांचा क्या होगा।

हमें यह कहने में प्रसन्नता है कि इस समय हमारे बेड़े में 60 प्रतिशत आधुनिक पोत हैं और यदि हम इस में विदेशी बेड़े को भी सम्मिलित कर लें तो नया टनभार लगभग 80 प्रतिशत है और इस प्रतिशतता को बनाये रखने का हमारा विचार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सरकारी क्षेत्र के निगमों का उल्लेख किया है। उन्होंने दो आरोप लगाये हैं। पहला आरोप यह है कि टन भार में वृद्धि की दर धीमी है, इस सम्बन्ध में मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करता हूं जिसमें कहा गया है कि निगम ने टन भार की प्राप्ति के बारे में सन्तोषजनक काम किया है। दूसरा उन्होंने यह कहा है कि हम नये मार्गों पर काम करने के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले

[श्री राज बहादुर]

स्थापित किये जा चुके पांच मार्गों को छोड़ कर दो नये मार्ग, अर्थात् भारत-पौलैंड और भारत-संयुक्त अरब गणराज्य स्थापित किये जा चुके हैं।

श्री दाजी : यदि गैर-सरकारी समवाय अलाभप्रद मार्गों पर काम करने से इन्कार करें तो उन्हें भारत-पौलैंड जैसे मार्गों में हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री राज बहादुर: गैर-सरकारी समवायों को सरकारी क्षेत्र की कीमत पर लाभप्रद मार्ग देने का प्रश्न उत्पन नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र में नौपरिवहन निगम में 98 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसका अर्थ यह है कि हमारे विरुद्ध यह आरोप निराधार है कि हम नौपरिवहन निगम के काम को तथा टन भार को नहीं बढ़ा रहे हैं। इस निगम ने 20 और पोतों के लिये आदेश दिया है जिनका टन भार 1.98 लाख जी० आर० टी० होगा और शेष एक वर्ष में कुछ और पोतों का आदेश दिया जायेगा इससे नौपरिवहन निगम का बेड़ा 5 लाख जी० आर० टी० की क्षमता का हो जायेगा और तीसरी योजना के अन्त तक बीस लाख जी० आर० टी० के सारे टन भार में हमारा भाग 25 प्रतिशत होगा परन्तु हमारा इरादा टन भार में और वृद्धि करने का है और यथासम्भव सरकारी क्षेत्र में नौपरिवहन की प्रतिशतता 50 प्रति शत करने का है।

मैं आशा करता हूं कि यह सभा तथा सभी समितियां सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को उनकी प्राप्तियों के लिये प्रोत्साहन देंगी। आलोचना ऐसी की जानी चाहिये कि सरकारी कर्मचारी हतोत्साहित न हों।

सब से बड़ी पी० एंड० ओ० कम्पनी ने, जिसका बेड़ा नौपरिवहन निगम के बेड़े से बीस गुणा है, केवल 65 लाख रुपये के लगभग लाभ कमाया है जबकि नौपरिवहन निगम ने 1.25 लाख रुपये के लगभग लाभ दिखाया है। नौपरिवहन निगम की इतना लाभ दिखाने के लिये सराहना की जानी चाहिये।

श्री द्विवेदी ने कहा है कि हम पत्तनों के विकास के बारे में लापरवाही कर रहे हैं। यदि हमने लापरवाही की होती तो हम उतना विकास न कर सकते जितना कि हमने किया है।

यह आलोचना की गई है कि हम आवंटित निधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पहली तथा दूसरी योजना के सम्बन्ध में यह सच हो सकता है। परन्तु तीसरी योजना के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यदि मारमागोआ के लिए परियोजना प्रतिवेदन समय पर तैयार हो जाता तो हम समूची आवंटित राशि का उपयोग करने के योग्य हो जाते। बम्बई आधुनिकीकरण योजना में भी कुछ कमी रह गई है। परन्तु 110 करोड़ रुपयों में से हम 91 करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे।

खुदाई के सम्बन्ध में, कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने अपने बेड़े को काफी सुदृढ़ किया है और परिणाम भी मामूली नहीं हुआ है। हुगली जलमार्ग को पूरी तरह नौपरिवहन योग्य बनाने के लिए हमने जिन खुदाई उपकरणों की व्यवस्था की थी तथा हमने जो अन्य पग उठाये थे वे पर्याप्त सिद्ध हुये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने असिस्टेंट हार्बर मास्टरों की हड़ताल का उल्लेख किया है। उनका विचार है कि ड्रेजिंग आफिसरों को असिस्टेंट हार्बर मास्टरों के काम पर लगाने से खुदाई का काम रुका है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने खुदाई के काम को रुकने नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हुगली नदी में खारीपन में वृद्धि का कारण खुदाई का न होना है। खुदाई में कोई कमी नहीं आई है और यदि नदी में से करोड़ों टन मिट्टी में से कुछ लाख टन मिट्टी निकाल भी ली जाये तो खारीपन में कोई अन्तर नहीं आता। नदी में खारापन तभी बढ़ता है जब ताज़ा पानी बन्द हो जाता है। खुदाई और खारीपन में बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है। खुदाई के काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं की गई है।

श्री सामन्त ने हल्दिया के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रश्न का उल्लेख किया है। हम इस परियोजना के सम्बन्ध में सुदृढ़ हैं। हम विविध आरम्भिक कामों पर दो करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं। 1965–66 में हमारा और 2 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही विश्व बैंक इसके लिये विदेशी मुद्रा दे देगा। इस ऋण का वचन दिया जा चुका है।

माननीय सदस्य, श्री द्विवेदी ने परादीप योजना सम्बन्धी उल्लेख किया है। हमारा विचार समूची परादीप परियोजना को कार्यान्वित करने का है। जहां तक लेखे का सम्बन्ध है हम उसके लिए उस तिथि से उत्तरदायी होंगे जिससे हम इसे हाथ में लेंगे। पहले के लेखों की जांच कराना मेरा काम नहीं है। यह काम महालेखापरीक्षक तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों का है।

जहां तक पत्तनों के विकास का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह राजनीति को इसमें न घसीटें।

हल्दिया आर्थिक स्थिति से लाभदायक सिद्ध हो चुका है और इस से पीछे हटने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मारमागोआ में हम एक आधुनिक संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जिससे प्रति घंटा 4,000 टन का काम हो सके। तूतीकोरिन परियोजना के सम्बन्ध में मुझे यह बताने में हर्ष है कि हम चल रहे कामों में तेजी लायेंगे और धन की कमी के कारण इस में बाधा नहीं पड़ने देंगे।

यह आलोचना की गई है कि कोचीन के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि तथ्य इसके विपरीत है। तृतीय योजना में नियत 3.6 करोड़ रुपये परियोजना की उन सभी मदों पर व्यय किये जायेंगे जो योजना में शामिल की गई हैं।

मंगलोर पत्तन के लिए हमने 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और यह समूची राशि व्यय की जायेगी। हम काम को धन के अभाव के कारण रुकने नहीं देंगे।

मैं श्री मणिरंगाडन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष नेंदाकारा परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। पुनरीक्षित प्रस्तावों की स्वीकृति भी दे दी गई हैं।

जहा तक सेतुसमुद्रम परियोजना का सम्बन्ध है, हम उसमें तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि यह परियोजना चौथी योजना में शामिल कर ली जायेगी। लोक-निर्माण विभाग का एक सर्किल केवल इसी परियोजना के लिए बनाया गया है। एक परियोजना अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के

[श्री राज बहादुर]

लिए केन्द्र में परिवहन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त कर दी गई है। नौपरिवहन के महानिदेशक अविलम्बनीय आधार पर परियोजना के आर्थिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इस परियोजना पर काम आरम्भ करने के लिये आयव्ययक में व्यवस्था रखी गई है।

पत्तनों में श्रमिकों सम्बन्धी स्थिति के बारे में मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि वहां पर स्थिति इक्का दुक्का विवादों को छोड़ कर ठीक ही रही है। पत्तनों का काम ठीक चला है। मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने के कारण हम पत्तन प्रशासनों तथा मजदूर संघों में काफी हद तक अच्छे सम्बन्ध बनाने के योग्य हो गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मेरी इस कारण कटु आलोचना की है कि मैंने ए० एच० एम० की हड़ताल में हस्तक्षेप नहीं किया है। यदि यह सेवा की शर्तों, वेतन मंहगाई भत्ता या अन्य सुविधाओं का मामला होता तो मेरे लिए हस्ताक्षेप करना अवश्य ही उचित होता परन्तु यह पूर्णतया प्रबन्ध सम्बन्धी मामला था और मेरा इस में हस्तक्षेप करना बहुत बड़ी गलती होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक और आरोप मुझ पर यह लगाया है कि मैं कुछ श्रम नेताओं से मिल कर हड़तालें नहीं होने देता और इनकी पूर्वसूचनायें वापिस ले ली जाती है। यह आरोप बिल्कुल निराधार है और एक भी मामला ऐसा नहीं है, हां, यदि उन से सद्भाव-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना अपराध है तो अवश्य ही मैं इसका दोषी हूं परन्तु मैं श्रम अथवा मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों ने फूट डालने के आरोपों को अस्वीकार करता हूं।

, जहां तक आर० एस० एन० समवाय का सम्बन्ध है, जो एक ब्रिटिश समवाय है हमने इसके 450,000 अंश ले कर जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण अब हमारे पास है और इसके 50,000 अंश उन्हीं के पास केवल इस लिये रहने दिये गए हैं कि उनकी पेंशन आदि की काफी देनदारियां हैं। यह कार्यवाही भारत के ही हितों में है। अब समस्त बोर्ड का पुनर्गठन होने वाला है और श्री बी० बी० घोष को इसका प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इस बात को सभी मानेंगे कि हमें अपनी पत्तन सम्बन्धी क्षमता का यंत्रीकरण तथा नवीकरण करना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही हमें अपने श्रमिकों को भी बेकार नहीं होने देना है। इसी मनोरथ को सामने रख कर हम पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं का नवीकरन तथा यंत्रीकरण करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बेकारी न हो, मेहनताने की कोई हानि न हो और कोई सामाजिक असंतुलन न हो।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान नहर के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री राज बहादुर : यह मामला विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे आधे मिनट में एक प्रश्न पूछना है। मैं केवल एक आश्वासन चाहता हूं कि आर० एस० एन० समवाय का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के पश्चात सरकार भारतीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों की पूरी रक्षा करेगी।

श्री राज बहादुर : भारतीय कमचारियों के लिये हम जो भी सम्भव होगा अवश्य करेंगे। यह हमारा कर्त्तव्य है।

दूसरे पोत निर्माण कारखाने के बारे में विलम्ब सम्बन्धी कुछ आलोचना हुई है। परन्तु वास्तव में यह हमारे वश के बाहर की बात थी क्यों कि दो वर्ष तक तो हम विदेशी सहयोग मिलने की खोज में रहे। अब जब कि हमें सहयोग प्राप्त हो गया है और प्रारम्भिक जांच, परियोजना रिपोर्टों आदि के बारे में समझौते हो चुके हैं, जापानी फर्म 'मित्सुविशी' ने शेष समझौते को अन्तिम रूप देने के लिये अप्रैल के अन्त में एक सम्मेलन बुलाया है। वे छिद्रण तथा सर्वेक्षण का प्रारम्भिक कार्य करेंगे और छिद्रण मशीनें जापान से इस मास की 23 तारीख को चल पड़ेंगी। मेरे विचार से इस सारी जानकारी से इस सम्बन्ध में सभी संदेह दूर हो जाएंगे।

श्री सुब्बारामन : सेतुसमुद्रम परियोजना कब समाप्त होगी, इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं बताया गया।

श्री राज बहादुर : मैंने पहले ही जैसा उत्तर में कहा है, हमने एक परियोजना अधिकारी और चीफ इंजीनियर नियुक्त कर लिये हैं और लोक कार्य विभाग भी बना दिया गया है। हमने आवश्यक कार्यवाहियां की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मतदान के लिये कोई कटौती प्रस्ताव पृथक रूप में रखा जाए। कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands in respects of the Ministry of Transport were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
89	परिवहन मंत्रालय	95,57,000
90	केन्द्रीय सड़क निधि	3,67,58,000
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	9,49,22,000
92	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,26,87,000
93	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	97,13,000
94	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,50,64,000
141	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	55,36,90,000
142	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	7,50,25,000
143	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,17,73,000

स्वास्थ्य मंत्रालय

वर्ष 1965–66 के लिये स्वास्थ्य मंत्रालयकी अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
48	स्वास्थ्य मंत्रालय	20,97,000
49	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	13,45,10,0000
50	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	83,93,000
131	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	8,21,33,000

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब मांगे सभा के समक्ष हैं।

Shri Ram Singh (Bahraich): At many places stagnant water continues standing till December-January and this causes the incidence of many diseases. Such places should have adequate water pumps so that pure drinking water could be made available.

The experiment of family planning will make our future generations very weak. Food problem can be solved by bringing all the available land under plough.

Those Indian drugs which are more efficacious, should be allowed to be registered by Government and these medicines should be further developed and they should be tested in a laboratory.

The Government have always remained indifferent towards the Indian system of medicines. They should construct modern hospitals for Ayurvedic & Unani systems of medicines. The specialists of these systems should be given the same facilities as are available to others.

Some incurable diseases have no cure in Allopathy but they could be cured through Ayurveda. If Government takes interest, provides funds for Research, Ayurveda can prove very useful.

Even Allopathic hospitals are not working properly. There are big buildings but no doctors and even where there are doctors, there are no medicines and where there are medicines, they are given only to the privileged few and the poor are asked to purchase them from the market. The Government should do something in this regard.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

The specialists in all the three systems should meet and discuss about the treatment of in curable diseases. Thus the useful knowledge would spread for the benefit of the people.

In order to avoid complaints about non-availability of medicines and doctors in Hospitals there should be a senior doctor who should regularly inspect these hospitals.

Small-pox, T.B. and leprosy have not been completely eradicated. The Government should pay special attention to this and if treatment in one system is not possible the other system having better treatment should be made use of.

Shrimati Kannamwar (Chanda): Adulteration is one of the major causes of the spread of diseases. In villages, diseases spread more rapidly because of unhygenic environments and absence of proper sanitation and drainage. Villages in the interior should have necessary medical fecilities. These villages should be improved and developed and more funds should be spent on this work. There is no adequate arrangement of dispensaries and hospitals and medicines etc. in villages, there are no nurses or doctor in these ill-equipped hospitals. The villages are in the same state as were found in the past.

Many hospitals have impressive buildings but they have neither qualified doctors nor enough stores of medicines—even cotton is not available in some of them and most of the essential medicines have to be bought from outside. Many hospitals do not have adequate number of beds. Even in such hospitals as Nagpur Medical College, do not have adequate staff of nurses who are overworked. The hon. Minister should see that hospitals have adequate number of nurses.

In order to provide sufffcient doctors for villages, the Government should restart R.M.P. courses which are of short duration and in addition to Allopathic system, Ayurvedic and Homeopathic systems should also be publicised. In villages, elderly people used to practice as Vaids for a very long time but with the introduction of licensing, the villagers have been deprived of their services and instead no arrangements have been made to look after their health.

Malaria, Philaria, leprosy and Small-pox grip the villages mainly due to insanitary conditions and non-availability of pure drinking water. 'Flu' too is now widely prevalent in the whole of India throughout the year. Steps should be taken to arrest these dangerous diseases and special attention be paid to villages which appear to have been neglected hitherto.

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : परिवार आयोजन पर निर्धारित राशि का केवल तीसरा भाग ही व्यय किया गया है। इसका प्रचार और तीव्रता से तथा प्रभावी होना चाहिये। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है इसलिये परिवार आयोजन कार्यक्रमों में, विशेष-कर गावों में, तीव्रता लाने की आवश्यकता है। अन्य उपायों पर भी ध्यानपूर्वक विचार करके उनका उपयोग किया जाना चाहिये।

[महाराजकुमार विजय आनन्द]

हमारे देश में मैडिकल कालेजों तथा उन में से डाक्टर बन कर निकलने वाले निद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। कालेजों में दोहरी 'शिफ्ट' आरम्भ होनी चाहिये यदि नए कालेज खोलने में कोई कठिनाई है। सरकार को कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि कुछ निश्चित क्षेत्र के पीछे एक कालेज अवश्य हो।

चेचक दूर करने के लिये टीका लगाना ही काफी नहीं है गावों में, जहां इसका प्रकोप विशेष रूप से होता है, सफाई, पीने के पानी की उपलब्धि सुनिश्चित करनी चाहिये। पानी का सम्भरण तो भारत की राजधानी में भी संतोषजनक नहीं है और न ही यह पानी पीने योग्य होता है।

अपमिश्रित औषधियां तैयार करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। उन्हें कोड़े तक लगाए जाने चाहियें।

यद्यपि काफी दवाईयां हमारे देश में ही तैयार होती हैं परन्तु कुछ ऐसी अत्यावश्यक दवाईयां जो हमारे यहां तैयार नहीं होतीं, उन्हें आयात करने की आज्ञा दी जानी चाहिये। इनका महत्व खाद्य आयात करने से भी अधिक है।

Shri R.N. Reddi (Nalgonda): The standard of our public health has not shown any improvement during the 17 years of independence. T.B. is claiming five lakhs people annually. There have been many incidents of cholera and Small-pox also.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

The most important factor for maintaining health is diet. The *per capita* in come, as officially stated is 5 or 6 annas. How can anybody take nourishing diet with this income. What to speak of diet, people are not getting sufficient rations. The Government have failed in solving the food problem.

In a budget of Rs. 2,000 crores you have allocated only Rs. 28 crores for health. Even the States are not spending more than 10 perc ent on Health. It has been suggested that there is one doctor for every six thousand persons. This way of calculation is very faulty. Supposing one person is earning one lakh rupees and another is earning 100 rupees then the average income of each is Rs. 50,000. Most of the doctors prefer to stay in the villages. I think in the rural areas there is one doctor for every fifty thousand persons.

What is the reason that doctors are trying to get jobs in the foreign countries. Uptil now only the hospital staff used to go on strike, but now even doctors are going on strike. Although the strike by the Doctors is not desirable, but it is not the doctors but the Government which is responsible for it. The doctors are not getting proper treatment and encouragement in this country.

The Government has not been able to send doctors to the villages. There are very few primary health centres. There is hardly one hospital in every block. The Indian Medical Council is also not doing any thing in this direction. The villages are virtually in the hands of quacks. I would, therefore, request the Government not to stop the diploma courses. If you can not provide them with the jobs, let them work in tne villages and earn 2 or 3 hundred rupees, which the quacks are earning now.

The number of nurses is half the number of the doctors; actually it should be more than the number of the doctors. What is the reason that there is a sufficient number of nurses in the Military Hospitals ? As for as I know they get Rs. 300/- per month in these hospitals. If the Government also provides them with sufficient economic incentive, the girls will definitely be attracted towards this job. Another reason for the girls not coming to this profession is that they are not treated well in the hospitals. If all these things are kept in view, then definitely you will have sufficient number of nurses.

The medicines are being sold at exhorbitant prices under the guise of patent law. All the patented medicines are in the hands of foreign capitalists. I can cite a few examples. There is a particular medicine which is being sold at Rs. 5,500 per kilogram by a firm in Switzerland, but the some medicine is being sold at Rs. 300 per kilogram in Italy. But because the firm in Switzerland has patented this medicine in India, we can not purchase it from Italy. Vitamin B.2 is also being sold in India at the rate of Rs. 220 per kilogram while in other parts of the world it is sold at Rs. 30 per kilogram. The Government of India wanted to manufacture Chloromycet in which is very effective for Typhoid; but it couldn't be done because it is patented in India. Why is the Government hesitating to abolish this law. We have come to know that some amendment is being drafted. We have also heard that there is some difference of opinions between the Ministry of Health and the Ministry of Industry.

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह विषय उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है। जब इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तो आप इस विषय को उठायें।

श्री र० ना० रेड्डी : मेरी सूचना के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय इस कानून को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहता है, परन्तु उद्योग मंत्रालय इसमें रुकावट डाल रहा है।

You are also setting up two factories with Russian collaboratiue for manufacturing medicines. But there also you will not be in a position to manufacture those medicines which are patented. It is therefore very essential to abolish the patent law. I would also suggest that the drug industry should be nationalised so that the patients can get medicine at cheaper rates.

I do agree with the hon. Minister that there should not be any strike in the hospitals. But the employees are not wholly responsible for it. If the Government provides them with proper facilities, they will not go on strike.

स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	2	श्री वारियर	जब कभी औषधि अधिनियम के अधीन समितियां अथवा बोर्ड बनाये जायें, तब आयुर्वेदिक संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	3	श्री वारियर	आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने के लिए अफीम, गांजा और शुद्ध सोना जैसे कच्चे माल मुहैया करने के मार्गोपाय ढूंढने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	4	श्री वारियर	वन-क्षेत्रों के आरक्षण द्वारा और उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियों और पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	5	श्री वारियर	केरल के परम्परागत आयुर्वेदिक वैद्यों को पंजीयन का अधिकार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	6	श्री वारियर	एक अलग अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	7	श्री वारियर	आयुर्वेदिक विभाग को एक बड़े विभाग का स्थान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	8	श्री वारियर	और अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल और औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	9	श्री वारियर	पंजीकृत (रजिस्टर्ड) आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	10	श्री वारियर	आयुर्वेदिक अस्पतालों की इमारतें बनाने और दवाइयां तैयार करने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	11	श्री वारियर	आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों की उचित चिकित्सा के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	12	श्री वारियर	आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से आयुर्वेदिक औषधियों का विश्लेषण करने के लिए कम से कम चार क्षेत्रीय प्रादेशिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	1	श्री वारियर	भिन्न-भिन्न चिकित्सा-प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर मिली-जुली चर्चा का आयोजन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	14	श्री वारियर	विदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रचार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	15	श्री वारियर	आयुर्वेदिक चिकित्सा शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	16	श्री वारियर	आयुर्वेदिक औषध-कोश और चिकित्सा के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए विदेशों से सहायता, सहकारिता और सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	17	श्री वारियर	आयुर्वेदिक वैद्यों के द्वारा आयुर्वेद की महत्वपूर्ण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	18	श्री यशपाल सिंह	आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	19	श्री यशपाल सिंह	विनय नगर, नई दिल्ली में एक दूसरा केन्द्रीय सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	20	श्री यशपाल सिंह	डाक्टरों के बगैर चलने वाले औषधालयों में डाक्टरों को नियुक्त न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	21	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	22	श्री यशपाल सिंह	दिल्ली-निवासियों को खासकर गर्मी में पीने का पानी मुहैया करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध न करना ।	100 रुपये
48	23	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में सरकारी बस्तियों के गैर-सरकारी निवासियों की चिकित्सा का मूल्य कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	24	श्री वारियर	केन्द्रीय सरकार के अधीन, खासकर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना में, काम करने वाले डाक्टरों की मांगें पूरी करने की आवश्यकता।	100 रुपये
48	25	श्री वारियर	एलोपैथिक औषधियों के मूल्य पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	26	श्री वारियर	बच्चों के लिए दूध से बनी चीजें नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए मार्गोपाय ढूंढ निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	27	श्री वारियर	अधिक कड़े कानून बनाकर और उन्हें लागू कर नकली दवाइयों का व्यापार समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	28	श्री वारियर	ग्रामीण भारत में पीने का पानी पहुंचाने के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
49	34	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	नकली और निम्न स्तर की औषधियों और खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण और विक्रय रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	35	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	बड़े पैमाने पर भारतीय डाक्टरों का विदेशों में बहिर्गमन न रोकना ।	100 रुपये
49	36	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	सरकारी नौकरी में आने वाले डाक्टरों को अधिक अच्छे वेतन और सेवा-शर्तें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
49	37	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	गर्भ-निरोध और परिवार आयोजन के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित न करना ।	100 रुपये
49	38	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	हमारे देश में शुद्ध आयुर्वेद का विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
49	39	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	विशेषकर बड़े शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में वायु-दूषण रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	43	श्री यशपाल सिंह	गोल मार्केट में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय में अपर्याप्त सुविधायें ।	100 रुपये
48	44	श्री यशपाल सिंह	प्रत्येक सरकारी बस्ती में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
48	45	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय, गोल मार्केट में कर्मचारियों और दवाइयों की कमी ।	100 रुपये
48	46	श्री यशपाल सिंह	सामान्य रूप से जनता में और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं ।

डा० श्री निवासन (मद्रास–उत्तर) : मलेरिया उन्मूलन के लिये इस मंत्रालय ने जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है। बताया जाता है कि तीसरी योजना के भीतर ही मलेरिया को इस देश से हमेशा के लिये भगा दिया जायेगा।

परन्तु फिलेरिया के संबंध में स्थिति चिन्ताजनक है। 10 वर्ष पहले इस रोग में लगभग 65 लाख व्यक्ति ग्रस्त थे परन्तु गत वर्ष यह संख्या बढ़ कर 650 लाख पंहुच गई। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनाई जानी चाहिए।

कुष्ठ रोग की समस्या भी बड़ी गम्भीर है। हाल ही में मैं एक मेले में गया तो मैंने देखा कि इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या अन्य तीर्थ यात्रियों के मुकाबले अधिक थी। यद्यपि मुझे वहां कुछ दिन ठहरना था, परन्तु यह देख कर मैं वापस चला आया। इस रोग को राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिये और गैर-सरकारी संस्थाओं को जो इस रोग को दूर करने के कार्य में लगी हुई हैं सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि सरकार का बोझ हल्का हो जाए।

प्रतिवेदन के अनुसार इस समय 81 मैडिकल कालिज हैं। गत वर्ष लगभग 10,277 विद्यार्थियों को दाखला दिया गया था। इस हिसाब से शहरों में प्रत्येक 6,000 व्यक्तियों के लिये केवल 1 डाक्टर है और गांवों में तो 40,000 के लिये एक डाक्टर है। यदि यही हाल रहा तो हम किस प्रकार अपने देशवासियों की सेवा कर सकते हैं। फिर इस समस्या का एक पहलू और भी हैं। महिला डाक्टरों की संख्या पुरुष डाक्टरों की अपेक्षा कम है। गांवों में परिवार नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये महिला डाक्टरों की आवश्यकता है। अगले 5–10 वर्षों में 50 प्रतिशत दाखले महिलाओं को दिये जाने चाहियें। छात्रों के लिये कालिज छोड़ने के बाद 3–5 वर्ष तक गांवों में काम करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

इस व्यवसाय में पिछले 30 वर्षों से हड़ताल के बारे में सुनने में नहीं आया है। परन्तु हाल ही में इस व्यवसाय के व्यक्तियों ने हड़ताल करना आरम्भ कर दिया है। मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर जांच करनी चाहिये कि क्या इस व्यवसाय के व्यक्तियों को उनकी योग्यता और अर्हता के अनुसार पैसे मिलते हैं। देखा जाता है भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न वेतन हैं। इस असमानता को दूर करना चाहिये। अस्पतालों में निर्धारित संख्या से अधिक रोगियों को दाखिल कर लिया जाता है। परिणाम यह होता है कि रोगियों को बरामदों में जमीन पर लेटना पड़ता है। डाक्टरों और नर्सों को अधिक काम करना पड़ता है और रोगियों को पूरी सुविधायें नहीं मिल सकती हैं। रोगियों के आराम के लिये अधिक इमारतें बनाई जानी चाहियें और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हाल ही में मैंने अमरीका का दौरा किया। वहां मैंने कुछ अस्पताल देखे तो पता लगा कि प्रत्येक रोगी को एक एक कमरा मिला हुआ था और प्रत्येक कमरे में एक एक टेलीविजन सेट था। वहां पर रोगियों को बहुत अधिक सुख सुविधायें दी जाती हैं।

परिवार नियोजन के बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। एक तो यह कि सभी विवाह पंजीयत होने चाहियें। पंजीयन के समय विवाहित जोड़े को एक पुस्तक दी जानी चाहिये जिसमें यह दिया जाना चाहिये कि उनको अपने परिवार का नियोजन किस प्रकार करना है। पंजीयन के लिये सरकार कुछ शुल्क भी लगा सकती है जिससे सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। प्रत्येक शहर में जन्म और मरण का पंजीयन किया जाता है। कोई व्यक्ति, जिसके 3 बच्चे हैं, जब वह पंजीयन कार्यालय में

पंजीयन के लिये जाये तो उस पर उसकी सामाजिक हालत के अनुसार शुल्क लगाया जाना चाहिये। इससे उन्हें कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। उसी समय पति पत्नी को कुछ पुस्तकें दी जानी चाहियें जिनमें परिवार नियोजन संबंधी सभी बातें समझाई गई हों और निकटतम क्लिनिक में पहुंचने के लिये मंत्रणा दी गई हो।

परिवार नियोजन पर अधिक चलचित्र बनाये जाने चाहियें। प्रत्येक प्रांतीय भाषा में परिवार नियोजन पर फिल्में बनाई जानी चाहियें ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। प्रत्येक सिनेमा-घर के लिये 5–10 मिनट तक प्रत्येक शो में परिवार नियोजन फिल्मों का दिखाना अनिवार्य होना चाहिये। चलचित्र एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अनपढ़ व्यक्तियों को भी समझा सकते हैं।

जल संभरण की समस्या शहर और गांवों दोनों के सामने है। मद्रास में जल संभरण की योजना कई वर्षों से लटकी हुई है। गुलहाटी आयोग बैठा था। अनेक योजनायें तैयार की गई थीं परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। जब मद्रास जैसे शहर का यह हाल है तो गांवों का तो क्या हाल होगा जहां के लोग बोलना भी नहीं जानते।

जब मैं रेल में यात्रा करता हूं तो मैं देखता हूं कि विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न रंगों का पानी बोतलों में मिलता है। मैं नहीं समझता कि यह पानी पीने के लिये उचित होता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को पीने योग्य पानी के संभरण की योजनाओं पर मिल कर विचार करना चाहिये।

चतुर्थ योजना में परिवार नियोजन के लिये 121 करोड़ रुपये मांगे गए थे जबकि 95 करोड़ रु० की राशि दी गई थी। जल संभरण और सफाई के लिये 340 करोड़ रु0 की मांग की गई थी और केवल 340 रुपये दिये गये। इसी प्रकार संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिये 294.44 करोड़ रुपये की राशि की मांग के विरुद्ध केवल 125.50 लाख रुपये की राशि दी गई है। मैं वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य संबंधी मांगों के लिये अधिक धन देने के लिये अनुरोध करता हूं।

डा० शि० कु० साहा (बीरभूम) : राष्ट्र के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। इस प्रयोजन के लिये जितनी राशि का उपबन्ध किया जा रहा है वह बहुत अपर्याप्त है। प्रतिरक्षा, विकास, कृषि आदि सभी बातें स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं।

स्वास्थ्य संबंधी केन्द्रीय परिषद् ने अपनी श्रीनगर की बैठक में जोरदार सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य के लिये समस्त योजना व्यय का कम से कम 10 प्रतिशत भाग व्यय किया जाना चाहिये। परन्तु प्रथम योजना में केवल 5.8 प्रतिशत का उपबन्ध किया गया था, दूसरी योजना में केवल 5.7 प्रतिशत का और तीसरी योजना में केवल 5.2 प्रतिशत का।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आरम्भ किये 12 वर्ष बीत गये हैं परन्तु अभी तक कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और प्रचार की आवश्यकता है। जब तक उन लोगों को बताया नहीं जायेगा कि परिवार नियोजन क्या है, देश और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। उन्हें यह भी बताया जाना चाहिये कि पुरुषों के लिये आपरेशन कराना अधिक अच्छा है और यह हानिकारक

[डा० शि० कु० साहा]

नहीं है। मेरा सुझाव है कि परिवार नियोजन और आर्थिक नियोजन दोनों को साथ ही लिया जाना चाहिये। तब ही हमारा देश कुछ प्रगति कर सकता है।

मलेरिया को हमारे देश से समाप्त कर दिया गया है। परन्तु क्षय रोग फैलता ही जा रहा है। मैं समझता हूं कि खाने और खुराक की कमी से यह रोग फैलता जा रहा है। अनुमान है कि इस रोग में 60 लाख व्यक्ति ग्रस्त हैं परन्तु केवल 34,000 रोगियों के रखने की व्यवस्था है। गांवों में न तो इस रोग के अस्पताल हैं और न ही क्लीनिक हैं। उन्हें शहरों में उपचार के लिये जाना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर इस रोग का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? मेरा सुझाव है कि इलाज कराने के बाद जो रोगी ठीक होकर आते हैं उनके लिये अलग बस्ती बसाई जाये और उनके लिये काम धन्धे और अच्छी खुराक की वहां व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं चिकित्सीय शिक्षा को लेता हूं। यद्यपि चिकित्सीय कालिजों की संख्या दूसरी योजना के अन्त पर 60 से बढ़ा कर 81 कर दी गई है फिर भी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलता है।

पश्चिम बंगाल में 5 चिकित्सीय कालिज हैं परन्तु दाखले के लिये भीड़ प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। वहां पर दो और कालिज खोले जाने चाहियें। कम से कम 10 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये रक्षित किये जाने चाहियें। गांवों में डाक्टरों की भारी कमी है और समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक 3,000 व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है। मेरा निवेदन है कि डाक्टरों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये ताकि वे गांवों में जाना पसन्द करें।

जल की खराबी के कारण उत्पन्न रोगों से हमारे देश में लगभग 20–30 लाख व्यक्ति मरते हैं। सब से खतरनाक हैजा है। हम इसको रोक नहीं सके हैं। जल साफ करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। नर्सों के लिये दिल्ली में केवल एक ही कालिज है। मेरा सुझाव है कि कलकता, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर ऐसे अधिक कालिज होने चाहियें।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : First of all I want to say about family planning *(interruption)*

An Hon. Member : The hon. Member is a Sanyasi. How he is concerned with the family Planning ?

Shri Rameshwaranand : The hon. Members will have to listen. I can speak on this subject.

The Report runs that the Government have opened 10,984 family planning centres at different places in the country and 7,00,000 persons have been sterilised in those centres. You should preach *Brahmcharya* to the people and spend money on it instead of spending crores of rupees on family planning. But you are yourself a prey to this so how can you preach this to the people. You are talking so high about family planning. I want to know how many members of the families of the President. Prime Minister, other Ministers, Chief Ministers and senior officers have been sterilised.

If the high-ups do a certain thing the smaller people also follow them. So if you want to make your family planning a success then first of all the Minister of Health and high officers of our Ministry should get them sterilized.

Our Manusmriti says that only those people should marry who have read the four Vedas, three Vedas, two Vedas or at least one Veda. In the olden days only those boys and girls entered the wedlock of marriage who had practised calibacy. Why do you not impose restrictions on the marriage of those persons who are not wise who do not understand what marriage is ? On the one hand the marriages are multiplying and on the other hand you are giving liberty to men and women to marry several times by passing the divorce bill. How far it is furtified ? This will lead us no where. According to **Varna Ashram** every married person resolved to beget on e or two children and thus was no problem of over population there. The people in olden days believed in religious things and charity. You do not believe in these things. You have no faith in God. It is like a vicious circle. You may spend any amount on these schemes but you cannot succeed.

In the Report Rs. 24 crores have been allocated for water supply—21 crores for cities and 3 crores for the villages. Is it proper to allocate only 3 crores of rupees for the villages whichs number about 8 or 9 lakhs. It is crude joke being play with the villages.

Our country is the country of Rishis and Munis. The allopathy has no place here. The entire money meant for medicines should be spent on Ayurvedic medicines. Ayurvedic schools should be set up. The Vedas can meet your full requirement of medicines and there is no need to import medicines from outside

If men and women follow the old ways of life then we will not require any medicine. It is said the tuberculosis is without any remedy. But have you ever studied as to who are the persons who fall a prey to this disease. this disease is contracted by over indulgence in sexual intercourse. For this you have no remedy save to teach calibacy. Do the people who are overnourished not, suffering from this disease.

Shri Balmiki (Bulandshahar) : There are germs of this disease.

Shri Rameshwara nand : There are no germs. Put the germs on my body and see if I can contract T.B. T.B. is contracted only when sperm has been wasted and not before that. Therefore you should go back to olden days.

It is not correct that there is a hospital after every 6,000 persons. A part from several attached villages the population of Gharonda also is 15,000. Some times the doctor is absent and at other times the nurse is absent and if both are present, there are no medicines. I say it with confidence that 60 percent of the medicines are sold in the market. The doctor directs the patient to purchase the medicine from such and such shop and the poor villager has to purchase the same medicine from the market which he should have got from the hospital. The villages are at the mercy of God.

Twenty villages are served by one hospital. There are no roads and conveyance there. Now, you tell how, the patient can be carried to the hospital.

All your energies and resources are directed towards the cities. I do not object to it . But you should also give attention to the villages.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : हम स्वास्थ्य मंत्रालय से बहुत कुछ आशा करते हैं, परन्तु जब तक उसको आवश्यक धन नहीं दिया जायेगा, वह अपने काम को कैसे कर सकता है।

पानी की समस्या अभी तक गांवों तक ही सीमित थी परन्तु अब शहरों में भी इसने घर कर लिया है। यदि जल दे भी दिया जाता है फिर भी नालियों की कमी की वजह से रोग फैलते जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

औषधियों में नये आविष्कारों और मंत्रालय द्वारा किये गये उपायों के कारण मृत्यु-दर कम हो गया है। मलेरिया समाप्त कर दिया गया है। हैजा अब कभी दिखाई नहीं देता है। चेचक और दूसरे रोग भी अब नहीं रहे हैं। गांवों में अस्पतालों की संख्या बढ़ने के कारण छोटी आयु के बालकों के मरने की भी घटनाएं कम होती हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि इस मंत्रालय ने कितना काम किया है।

आज हमारा देश उच्च कोटि के डाक्टर पैदा कर रहा है। आज उन की संख्या 10 लाख है। चतुर्थ योजना में 25 और चिकित्सीय कालिज खोलने का विचार है। इसलिये अगले 10–15 वर्षों में गांवों में भी अच्छे डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य होने के नाते मुझे विभिन्न स्थानों पर इस परिषद् के सदस्यों से मिलने का अवसर मिला है। वहां पर जो अनुसन्धान किया जा रहा है। वह देखने योग्य है। अनुसन्धान कार्य की मात्रा भी बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में भारत को सम्मान मिल रहा है। हैदराबाद में हमारी पौषाहार अनुसन्धान संस्था है। अंग्रेज डाक्टरों ने इसकी प्रशंसा की है और उन्होंने अपने चिकित्सीय कर्मचारियों को बताया है कि यदि वे पौषाहार के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें भारत जाना चाहिये। अमरीका अथवा अन्य किसी देश में नहीं। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये गर्व की बात है।

एक डाक्टर को बनाने में समय लगता है। उसको अनुभव ग्रहण करने में समय लगता है और इसके पश्चात् ही ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की सेवाएं अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकती हैं। गांवों में डाक्टरों की कमी को जो समस्या है उसकी ओर हजारों वर्षों से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये जब तक कुछ समय नहीं दिया जाता और चिकित्सीय विभाग को पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती वह अपनी सभी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभा इन समस्याओं पर उदार हृदय से विचार करे। कम से कम चतुर्थ योजना में तो और अधिक पैसा दिया जाना चाहिये।

चेचक, कुष्ठ रोग और क्षय रोग के उन्मूलन का काम राष्ट्रीय स्तर पर ले लिया गया है। मलेरिया और कुछ अन्य रोगों पर काबू पा लिया गया है। फिर भी फिलेरिया जैसे कुछ रोग अभी रहते हैं। जब तक गांवों में पीने के लिये और दूसरे प्रयोजनों के लिये पानी का प्रबन्ध नहीं किया जाता हम देश के लोगों का स्वास्थ्य सुधार नहीं पायेंगे और लोगों को रोगमुक्त नहीं कर पायेंगे। अतः जलसंभरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मंत्रालय को जो भी धनराशि आवंटित की जाये उसका एक बड़ा भाग गांवों में जल संभरण पर व्यय किया जाना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शहरों में 6,000 व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है। परन्तु गांवों में 60,000 व्यक्तियों

के पीछे एक डाक्टर है जोकि बहुत कम है । इसलिये समस्या के इस पहलू की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। डा० श्री निवासन ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिये कालिज छोड़ने से पहले कुछ समय तक गांवों में काम करना जरूरी होना चाहिये। मैं समझता हूं कि केवल इस से ही काम नहीं चलेगा। मेरी राय में तो 8–10 वर्ष के अनुभव के बाद भी उनके लिये गांवों में काम करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। इसके लिये हमें उन्हें शिक्षा और रिहायश सम्बन्धी कुछ सुविधायें देनी होंगी ।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का भी जिक्र किया गया था। मैं इसको पसन्द नहीं करता क्योंकि इससे गांवों की जनता के साथ भेदभाव किया जाता है। जब हम अच्छा उपचार चाहते हैं तो ग्रामीण लोगों के लिये ही इसकी मनाही क्यों होनी चाहिये ।

स्वास्थ्य मंत्रालय डाक्टरों के लिये नवीकर पाठ्यक्रमों को चलाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है । गांवों में इस प्रकार का पाठ्यक्रम चालू किया जाये तो इससे कम आयु के डाक्टरों के लिये अच्छा वातावरण पैदा हो जायेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन में मंत्रियों और कुछ अधिकारियों को ले जाया जाता है । मैं चाहता हूं कि गैर-सरकारी डाक्टरों और संसद् सदस्यों को इन सम्मेलनों में ले जाया जाये ताकि उन्हें पता लगता रहे कि वहां क्या हो रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने एकस्व आदि का जिक्र किया। दवाइयों में जालसाजी को रोकने के लिये हमने एक कानून बनाया था। परन्तु उसको लागू करने के लिये कड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है । कानून के बनने के बाद भी आज किसी को दण्ड नहीं दिया जाता है । मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इसकी ओर ध्यान देगा।

परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग अधिक गरीब होते हैं वे ही अधिक बच्चे पैदा करते हैं। हाल ही में मैं बिहार, केरल, राजस्थान और कुछ अन्य स्थानों पर गया। मैं वहां पर कारखाने के मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों से मिला। महिलाओं ने मुझ से शिकायत की कि पुरुष उनको गर्भ निरोधकों को इस्तेमाल नहीं करने देते। हाल ही में गर्भाशय पर लगाने वाली एक चीज का आविष्कार किया गया है। यह बहुत सस्ती है और इसको लगाना बड़ा सरल है । ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों और कारखानों के मजदूरों की स्त्रियों के लिये यह बहुत उपयोगी चीज है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नाइकर) : एक माननीय सदस्य ने कहा कि एकस्व विधि औषधियों की कीमतों को घटाने में बाधक सिद्ध हो रही है। यह सच है कि सरकार शीघ्र ही एकस्व विधि में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक ला रही है। दवाइयों की कीमतों की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। इसके अतिरिक्त हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि औषधियों के तैयार करने के लिये जो सामान आयात किया जाता है उसके लिये अंधे लाइसेंस न दिये जायें ।

आयात की घोषणा के शीघ्र पश्चात् इस मंत्रालय के कहने पर उद्योग मंत्रालय ने औषधियों के मूल्य प्रदर्शित करने के लिये आदेश जारी किया था ।

[श्री पू० शे० नास्कर]

अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, परन्तु औषधियों की कीमतें 1 अप्रैल, 1963 से स्थिर कर दी गई थीं और वे बठी नहीं हैं। दवाइयों में जालसाज़ी के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई है। समिति जांच करने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंची है कि ऐसी औषधियां गैर लाइसेंस शुदा लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। ऐसे मामले बहुत कम हैं। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

घटिया दवाइयां बनाने को रोकने के लिये हमने बिना लाइसेंस के औषधियां बनाना निषेध कर दिया है। लाइसेंस शुदा निर्माताओं की एक सूची छपा ली गई है जो आसानी से मिल सकती है। उसकी प्रतियां सभी राज्यों को भेज दी गई हैं। इस दिशा में कुछ और भी उपाय किये गये हैं।

समिति ने 1959 से 1964 तक कई नमूनों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 20 प्रतिशत नमूने निर्धारित स्तर के नहीं थे। इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि ऐसी दवाइयां जो निर्धारित स्तर के अनुसार नहीं हैं, मार्केट में न बिकने पावें। हमारे देश में यह प्रचार बहुत प्रचलित है कि विटामिनों को खाने से बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। अतः इस विटामिन के धोखे में लोग निम्नस्तर की अथवा नकली दवाइयां खा लेते हैं। नकली और निम्नस्तर की दवाइयों को मार्केट में बिकने से रोकने के लिये कई कदम उठाये जा रहे हैं। औषधि नियंत्रण संगठन को राज्य और केन्द्रीय स्तर पर अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। केन्द्रीय औषधि निदेशालय को सुदृढ़ बनाने के कुछ हमारे प्रस्ताव हैं। राज्यों के भी अपने संगठनों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रस्ताव हैं।

खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये सरकार ने हाल ही में एक विधेयक पास किया है। अभी तक खाद्य अपमिश्रण रोकने का कार्य राज्य सरकारें कर रही थीं ; अब केन्द्रीय सरकार ने समवर्ती शक्तियों के अधीन केन्द्रीय स्तर पर, खाद्य अपमिश्रण को रोकने की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बना दिया है। खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये प्रादेशिक प्रयोगशालाएं और अन्य संगठन स्थापित करने के लिये चौथी योजना में 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कुछ डाक्टर मित्रों ने मुझे बताया है कि यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था न की गई तो कई बीमारियों को फैलने से रोकना कठिन हो जायेगा। जल सप्लाई और निस्सारण को सुधारने के व्यापक कार्यक्रम की सहायता के लिये 1954 की स्वास्थ्य योजना में राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रम भी शामिल किया गया था।

प्रविधिक समितियों ने यह अनुमान लगाया है कि ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं पर 600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा और शहरी जल सप्लाई योजनाओं पर 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में मैंने पढ़ा था कि हमारी 40 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को स्वच्छ जल मिलता है और 20 प्रतिशत जनसंख्या के लिये सफाई की व्यवस्था है। इससे आप हमारी समस्या कितनी बड़ी है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं।

शहरी जल योजना कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को ऋण दिया जाता है और वे स्थानीय निकायों को अपनी जल सप्लाई और मल-व्यवस्था की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन देती है। इन सब योजनाओं को स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होता है।

तीसरी योजना में जल सप्लाई और मल-व्यवस्था के लिये 80.40 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 285 ऐसी योजनायें थीं जो कार्यान्वित नहीं हो सकीं और जिन पर 24 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। इनको तीसरी योजना की अवधि में शामिल कर लिया गया है और इनके अतिरिक्त 440 नई योजनाएं मंजूर कर ली गई हैं जिन पर 80 करोड़ रुपया व्यय होगा।

ग्रामीण जल सप्लाई का कार्य कई एजेन्सियों करती है। नलों द्वारा जल सप्लाई के लिये जो इंजीनियरिंग कुशलता की आवश्यकता होती वह इस मंत्रालय के अधीन होती है, जबकि कुंओं का कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत होता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये जल सप्लाई का कार्य गृह-मंत्रालय के अधीन है।

तीनों योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में कुंओं की व्यवस्था करने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलों द्वारा जल सप्लाई करने के लिये प्रशिक्षित लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि यह राज्य विषय है, फिर भी यह मंत्रालय राज्य सरकारों पर जोर डालता रहा है कि वे अपने लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों में विस्तार करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की कठिन योजनायें कार्यान्वित हो सकें।

पहली योजना के अन्तिम दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नलों द्वारा जल सप्लाई पर 5.5 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था ; दूसरी योजना में 16 करोड़ रुपये ; तीसरी योजना में 16.34 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। यह सब आंकड़े राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) के हैं।

यह सच है कि राष्ट्र के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये हम निवारक उपायों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सुरक्षित जल सप्लाई और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों योजनाओं में, अभी तक, स्वास्थ्य के अन्तर्गत जितनी धन की व्यवस्था की गई थी उसका एक तिहाई भाग जल सप्लाई और स्वच्छता पर व्यय किया गया है। चौथी योजना में हम इससे अधिक व्यय करना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I want to raise a point of order. There is no quorum in the House.

Mr. Deputy Speaker. : Now there is quorum.

श्री पू० शे० नास्कर : दिल्ली में जल सप्लाई की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। यह समिति इस बात की भी जांच करेगी कि पिछले वर्ष जो जल गन्दा हो गया था, क्या उसको रोका जा सकता था और यदि हां, तो जिस एजेंसी पर इसकी जिम्मेवारी थी, क्या उसने अपना कार्य किया कि नहीं ?

दिल्ली में जल की कमी के बारे में भी कुछ कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 10 करोड़ गैलन जल की आवश्यकता है। कुछ महीने पहले दिल्ली नगर-पालिका निगम ने जल सप्लाई में 4 करोड़ गैलन की वृद्धि करने के लिये एक योजना बनाई थी। इसमें से एक करोड़ गैलन की योजना पूरी हो गई है और 3 करोड़ गैलन की योजना कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि अगले वर्ष के अन्त तक योजना का शेष भाग भी

[श्री पू० शे०नास्कर]

पूरा हो जायेगा। दक्षिण दिल्ली में जल की कमी के बारे में भी प्रश्न उठाये गये हैं। यह 1 करोड़ गैलन जल अभी दक्षिण दिल्ली में नहीं पहुंचा है। इसमें से प्रतिदिन 30—40 लाख गैलन जल दक्षिण-दिल्ली को सप्लाई करने का नगर निगम का विचार है परन्तु दुर्भाग्यवश अभी पटेल नगर का बूस्टर पम्प तैयार नहीं हुआ है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह आशवासन दिया है कि अगले महीने के अन्त तक यह तैयार हो जायेगा। इस 4 लाख गैलन जल से दक्षिण दिल्ली की कठिनाई कुछ कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त 12 नलकूप लगाये जा चुके हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ होने से पहले 13 और नलकूप लग जायेंगे।

जल की कमी का सब से बड़ा कारण है पीने के जल का अपव्यय। इस अपव्यय के तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सार्वजनिक नल। लोग साधारणतया उन्हें बन्द नहीं करते और इससे बहुत बड़ी मात्रा में जल बरबाद हो जाता है। दूसरा कारण है "लीकिंग" नल। नगर निगम को इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करनी चाहिये। इससे भी बहुत जल की बचत होगी। तीसरा कारण है बागों के लिये पीने के जल का प्रयोग। जिन मकानों में पानी का मीटर नहीं लगा, वहां लोग बागों के लिये खुले रूप से पीने का पानी प्रयोग कर रहे हैं। हम सम्बन्धित मंत्रालय से इन मकानों में मीटर लगाने के लिये कह रहे हैं। अतः यदि 1 करोड़ अथवा 1.3 करोड़ गैलन की वृद्धि हो गई और जल को बरबाद होने से रोकने के उपाय सफल हो गये, तो मुझे आशा है कि आने वाली गर्मियों में हमें अधिक कठिनाई नहीं होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 20 मार्च, 1965/30 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday March 20, 1965/Chaitra 30, 1887 (Saka).

———

GMGIPND—LS III—693 (Ai) LS—23-7-65—600.

PS. 48. XLI. 40-65(N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI.